सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

खण्ड-I

2019-2020

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और
संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन

वित्त लेखे

खण्ड-I

2019-2020

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और
संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन

व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के ये वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किये जा रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उप राज्यपालों को भी प्रेषित किये जा रहे हैं।

विषय सूची

		पृष्ठ
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	**(vii-ix)**
	सांविधिक पृष्ठभूमि	**(xi)**
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	**(xiii-xxi)**
	अनुभाग-क- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	
	खण्ड-I	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण....	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4-6
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	7-9
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	10-13
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14-17
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय....	18
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	19-29
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	30-35
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	36-42
8	सरकार के निवेशों का विवरण	43
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण	44
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण	45
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	46-47
12	वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	48-53
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश	54-56
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	57-89

विषय सूची (जारी)

पृष्ठ

अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख

खण्ड-I

1	वित्तीय स्थिति का विवरण....	92-93
2	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	94-96
	अनुलग्नक क- रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	97-98
3	प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)	99-102
4	व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-	
	(क) कार्यकलाप के अनुसार व्यय	103-106
	(ख) प्रकृति के अनुसार व्यय....	107
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	108-117
6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	118-123
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण	124-130
8	सरकार के निवेशों का विवरण....	131
9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण	132
10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण	133
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	134-135
12	वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण	136-141
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश	142-144
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	145-151

विषय सूची- (जारी)

पृष्ठ

अनुभाग-क- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर

खण्ड-II

भाग-I

14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण … …. …. ….	154-178
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण …. …. …. …. …. …….	179-220
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण …. …. …. …...	221-304
17	उधार एवं अन्य देयताओं पर विस्तृत विवरण …. …. …. …. …. …. …	305-320
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण …. …… ….. ……	321-353
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण …. …. …. … ….. ……. …… ……	354-377
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण…. …. … …. …. ….. .	378-384
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण …. …. …. ..	385-403
22	चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण …. …. …. ……. ….. ….. ...	404-407

भाग-II

परिशिष्ट-

I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय …. …. …. …. …. …. ….. ….. …...	410-416
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय …. …. …. …. …. …. ….. ….. …	417
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्था-वार और योजना-वार) … …. …. …. …. …. . … …. …. …. …. ..	418-420
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण… …. …. …. …. ….	421-422
V	योजनाओं पर व्यय	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय योजनाएं) …. …. ……	423
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….	424-426

विषय सूची- (जारी)

अनुभाग-क- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर

खण्ड-II

पृष्ठ

भाग-II

परिशिष्ट- (समाप्त)

VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)….	427-428
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है) …. …..	429-430
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम …. …. …. …. …. …. …… ..	431-432
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची	433
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय ….. ….. ….. …..	434-440
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं ...	441
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं …. …. …. …. …. …. …. …. …. …	442-443
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मदें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ..... …. …. …. …. …. …..	444-448

विषय सूची- (जारी)

अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख

पृष्ठ

खण्ड-II

भाग-I

14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण … …. …. ...	450-460
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण …. …. …. …. …. ….	461-469
16	लघु शीर्षवार तथा उप-शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण …. …. …...	470-553
17	उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण …. …. …. …. …. ….	554-569
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण …. …. …. …	570-602
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण …. …. …. … …. …. ….	603
20	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण…. …. … …... …	604
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण …. ….	605-623
22	चिह्नित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरण …. …. …. …. …. ….	624-627

भाग-II

परिशिष्ट-

I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय …. …. …. …. …. ……. ….. ….	630
II	सहायिकी पर तुलनात्मक व्यय …. …. …. …. …. …. …. …	631
III	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता/ सहायता अनुदान (संस्था-वार और योजना-वार) …. …. …. …. …. …. ….. …… …… … ..	632
IV	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण … …. …. ….	633-634
V	योजनाओं पर व्यय	
	क. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय योजनाएं) ….. …….	635
	ख. संघ शासित क्षेत्र योजनाएं…. …. …. …. …. …. …. ….	636

विषय सूची- (समाप्त)

अनुभाग-ख- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (समाप्त)

खण्ड-II

	भाग-II	**पृष्ठ**
	परिशिष्ट- (समाप्त)	
VI	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ) (अलेखापरीक्षित आँकड़े)	637
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा कि विवरण 18 और 21 में दर्शाया गया है) ……	638-639
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम …. …. …. …. …. ….. …	640-641
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं- ₹ 1 करोड़ या अधिक लागत वाले अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. ……. ….. ….. …. ..	642
X	वेतन और गैर-वेतन भाग के विसंयोजन सहित अनुरक्षण व्यय ….. ….. ….. …..	643
XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. ……. ….. ….. ..	644
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं …. …. …. …. …. …. ….. ….. ….	645-646
XIII	संघ शासित क्षेत्रों का पुनर्गठन- मदें जिनके लिए संघ शासित क्षेत्रों के मध्य/ बीच शेषों के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ..... … …. ……. ……	647-651

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन (विधानमण्डल रहित) के वित्त लेखे को समाहित करने वाला यह संकलन उपर्युक्त अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सरकार/ प्रशासन की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं के साथ-साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है, खण्ड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खण्ड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सरकार/ प्रशासन के विनियोग लेखाओं को एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख सरकार/ प्रशासन के वित्त लेखे जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 149 और धारा 71 के अनुसार तैयार किये गये हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसरण में, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) का व्यय संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के वित्त लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखे सहित दर्शाये गये हैं। वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के वित्त लेखे अनुभाग 'क' के रूप में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और अनुभाग 'ख' के रूप में संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं।

वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 149 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण (सं. 7, 8, 9, 19 तथा 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विवरण सं. 5, 6 तथा विवरण सं. 2 का अनुलग्नक) तथा परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI और XII) को संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सरकार/ प्रशासन के निगमों/ कंपनियों/ सोसाइटियों, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, से प्राप्त सूचना से सीधे ही तैयार किया गया है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/ अथवा विभाग मुख्यत: प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं

को तैयार करने तथा इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित अनुप्रयोज्य विधियों, मानकों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने हेतु मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग प्रणालियों एवं प्रबंधन सरंचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

लेखापरीक्षा सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संचालित की गयी थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे महत्त्वपूर्ण गलत विवरण से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर और लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु वित्त लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट स्थिति को प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ उक्त अवधि अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय मेरे अन्य प्रतिवेदनों में शामिल किये गये हैं।

अति महत्त्वपूर्ण प्रकरण

मैं अति महत्त्वपूर्ण प्रकरणों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की सत्यता, पारदर्शिता एवं समग्रता तथा लोक वित्त पर विधान के वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं:

1. सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 32.02 करोड़ के राजस्व प्रकृति के संव्यवहारों को भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस-2) का उल्लंघन करते हुए पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया था, जोकि राजस्व के रूप में ऐसे संव्यवहारों की बुकिंग को विनिर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, ₹ 239.29 करोड़ के राजस्व प्रकृति के अन्य व्यय को भी पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया था। इसने ₹ 271.31 करोड़ की सीमा तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राजस्व घाटे के कम आंकलन का मार्ग प्रशस्त किया।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु लेखाओं की समाप्ति से पूर्व तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के तेरह सरकारी विभागों ने ₹ 348.31 करोड़ की राशि के 53 विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्रस्तुत नहीं किये थे और इसलिए, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि ₹ 348.31 करोड़ का व्यय वास्तविक रूप से उस उद्देश्य हेतु किया गया है जिसके लिए यह प्राधिकृत किया गया था।

3. 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, ₹ 1,087.09 करोड़ की राशि के 176 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी), जो देय हो गये थे, 10 विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायता अनुदान के प्रति जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्रों के प्राधिकरणों तथा निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इसलिए, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि राशि, जिसके लिए यूसी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, वास्तविक रूप से उस उद्देश्य हेतु व्यय की गयी है जिसके लिए यह प्राधिकृत की गयी थी।

उपर्युक्त प्रकरणों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का वर्णन वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) प्रशासन के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है।

दिनांकः 17 फरवरी 2022
स्थानः नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

सांविधिक पृष्ठभूमि

1. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन तथा इससे संबंधित अथवा तत्संबंधी प्रासंगिक मामलों के लिए बनाया गया था।

2. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को नियुक्त दिवस अर्थात् 31 अक्टूबर 2019 के प्रभाव से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) में पुनर्गठित किया। पुनर्गठन के उपरांत, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) गजट अधिसूचना एसओ 3937 (ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत बना रहा।

3. 1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक की अवधि हेतु तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखे अलग से तैयार किये गये हैं।

4. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 के अनुसरण में, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के ऐसे व्यय को समेकित निधि से किये जाने के लिए संसद में लंबित संस्वीकृति तक अधिकृत किया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 81 के अनुसरण में, तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के माननीय राज्यपाल द्वारा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख हेतु व्यय को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की संचित निधि से किये जाने के लिए अधिकृत किया था।

5. वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) की अनुदानों हेतु मांगों को भारतीय संसद द्वारा मार्च 2020 में पारित किया गया था।

6. तदनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) के वित्त लेखाओं को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं के साथ अलग से दर्शाया गया है। अतः संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के वित्त लेखे 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) 31 अक्टूबर 2019 के नियुक्त दिवस के उपरांत अनुभाग 'क' के रूप में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और अनुभाग 'ख' के रूप में संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं।

7. वित्त लेखे खण्ड-I के अनुभाग 'क' तथा अनुभाग 'ख' के अनुक्रम में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार (विधानमण्डल सहित) तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं (लेखाओं पर टिप्पणियाँ) को पृथक रूप से दर्शाया गया है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखाओं की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के वित्त लेखे 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 ('नियुक्त दिवस' 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के गठन के संदर्भ में) तक की अवधि के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार और लद्दाख प्रशासन (क्रमशः 'क' और 'ख' पृथक अनुभागों में) की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखाओं के साथ ही राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों से पूर्वाकलित संघ शासित क्षेत्र सरकार की देयताओं एवं परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक की अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्त लेखे पृथक रूप से तैयार किये गये हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I: समेकित निधि: यह निधि संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त की गयी सभी धनराशि को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार होती है तथा विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग सम्मिलित हैं: राजस्व तथा पूँजीगत (लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम सहित)। इन्हें आगे 'प्राप्तियाँ' एवं "व्यय" में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन क्षेत्रकों में विभक्त किया गया है, अर्थात् "कर राजस्व", "करेतर राजस्व", तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। ये तीनों क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभक्त होते हैं जैसे "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएं", इत्यादि। पूँजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग में कोई

क्षेत्रक अथवा उप-क्षेत्रक नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रकों में विभाजित होता है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "समाज सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं', तथा 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय अनुभाग में ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभक्त हो जाते हैं जैसे "राज्य के अंग" 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि। "पूँजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रकों में उप-विभाजित किया जाता है अर्थात् "सामान्य सेवाएं", "समाज सेवाएं", "आर्थिक सेवाएं" "लोक ऋण", "ऋण तथा अग्रिम", "अंतर्राज्यीय निपटारा" तथा "आकस्मिकता निधि को अंतरण"।

भाग II: आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा विधि के तहत स्थापित किया जाता है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा प्राधिकरण लंबित होता है, उन्हें वहन करने के लिए अग्रिमों की पूर्ति हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा जाता है। निधि को संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे करके प्रतिपूरित किया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की आकस्मिकता निधि **शून्य** है।

भाग III: लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशि, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा होती है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमाओं (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (दोनों जो अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लम्बित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छह क्षेत्रक सम्मिलित हैं अर्थात् "अल्प बचत", 'भविष्य निधि' इत्यादि, "आरक्षित निधियाँ", "जमाएं एवं अग्रिम", "उचंत एवं विविध", "प्रेषण" तथा "रोकड़ शेष"। ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है।

3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, नामतः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो वर्ण), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा वस्तु शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ कार्यकलापों, उप-शीर्ष योजनाओं, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं तथा वस्तु शीर्ष व्यय के अभिप्राय/ उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग प्रतिमान शामिल है (मार्च 2019 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋणों तथा अग्रिमों सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखाओं में आँकड़े निवल स्तर पर दर्शाये जाते हैं, अर्थात् खर्चे की कटौती के रूप में वसूलियों के लेखांकन के पश्चात्। यह तरीका विधानमण्डल को प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा विनियोग लेखाओं में दर्शाने से भिन्न है, जहाँ व्यय सकल स्तर पर दिखाये जाते हैं।

6. लेखे की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखाओं की संरचना

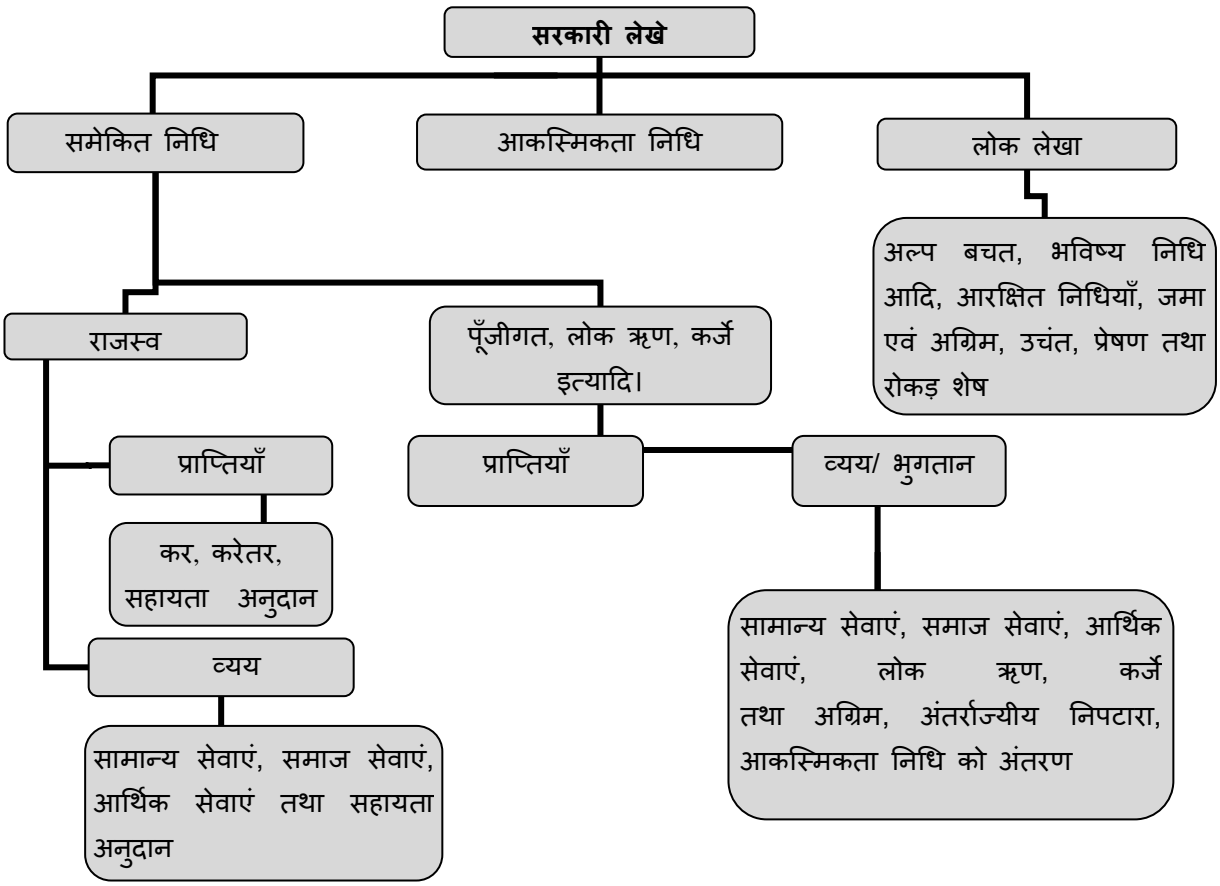

ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार की वित्तीय स्थिति तथा संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का अनुलग्नक शामिल है। **खण्ड-I** के **13** विवरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्ष के अंत में विद्यमान संचयी आँकड़ों तथा पिछले वर्ष के अंत की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।
2. **प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण:** यह विवरण सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुलग्नक भी शामिल है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों और उधार तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से हटकर यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार की उधारों में इसके द्वारा लिये गये बाजार ऋणों (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों को शामिल किया जाता है। 'अन्य देयताओं' में 'अल्प बचतें, भविष्य निधि' आदि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमाएं' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड-II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।

7. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण**: यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी ऋणों और अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूँजी में संघ शासित क्षेत्र के निवेशों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।

9. **सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण:** यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों का मूल तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।

10. **सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण:** यह विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान प्राप्तकर्त्ता जैसे, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत को दिये गये समस्त सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट-III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध करवाता है।

11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों का विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।

12. **राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूँजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेषों, वर्ष के शुरू में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश:** यह विवरण लेखाओं की परिशुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 14,15,16,17,18 तथा 21 के समतुल्य है।

वित्त लेखाओं के खण्ड-II में दो भाग हैं- भाग-I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग-II में तेरह परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है।

15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (संघ शासित क्षेत्र योजना, संघ शासित क्षेत्र योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजना योजनाएं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं।

16. **पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को योजनागत (संघ शासित क्षेत्र योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजना योजनाएं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लघुशीर्ष स्तर तक पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, महत्त्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, यह विवरण उप-शीर्ष स्तरों तक भी ब्यौरे को दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा लिये गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि**)** तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों को शामिल करता है। यह विवरण तीन श्रेणियों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋणों के ब्यौरे; (ख) परिपक्वता विवरणिका अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के ऋणों से संबंधित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; और बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।

18. **सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण 7 के समतुल्य है।

19. **निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण अधिष्ठान वार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 और 19 के बीच, विसंगतियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्षवार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड-I में विवरण 8 के समतुल्य है।

20. **सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकारी प्रत्याभूतियों के अधिष्ठान वार ब्यौरे को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड-I में विवरण 9 के समतुल्य है।

21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।

22. **चिह्नित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण:** यह विवरण, आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से निवेशों के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग II में वेतन, सहायिकी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं के संबंध में योजना व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **तेरह परिशिष्ट** सम्मिलित हैं। लेखाओं में ये ब्यौरे उप-शीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ऐसा सामान्यत: वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II में विषय सूची पर दर्शायी गयी है। परिशिष्ट के साथ पठित विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार की वित्तीय स्थिति की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणक

नीचे दिया गया अनुभाग खण्ड-I में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरणों को खण्ड-II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों के साथ सीधा संपर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है)

घ. आवधिक समायोजन तथा बही समायोजन:

मापदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड I)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	- - -
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (सहायिकी)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	---	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	- - -
ऋण की स्थिति/ उधार	1, 2, 6	17	- - -
कंपनियों, निगमों इत्यादि में सरकार के निवेश	8	19	- - -
रोकड़	1, 2,12, 13	- - -	- - -
लोक लेखा में शेष तथा उसके निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	- - -
प्रत्याभूतियाँ	9	20	
योजनाएं	- - -	- - -	IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (सीएसएस/ केन्द्रीय/ संघ शासित क्षेत्र योजना व्यय)

कतिपय संव्यवहार, जो लेखे में प्रकट होते हैं, में बुकिंग के समय रोकड़ का वास्तविक संचलन शामिल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ संव्यवहार लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों (जैसे कोषागार, प्रभाग इत्यादि) द्वारा उनके स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिए, वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन को शामिल करते हुए संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वसूलियाँ इत्यादि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग को इंगित करते हुए) के नामे करते हुए तथा राजस्व प्राप्ति/ ऋणों/ लोक लेखा को बुक समायोजन से दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार 'शून्य' बिल, जहाँ धनराशि समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य हस्तांतरित होती है, लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाई स्तर पर बिना रोकड़ के संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं बही समायोजन करता है, जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणियों के परिशिष्ट (खण्ड-I) तथा संबंधित विवरण की पाद टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

आवधिक समायोजन तथा बही समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(1) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में निधियों का सृजन/ निधियों के अंशदान का समायोजन, उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियाँ, ऋण शोधन निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में लेखे के जमा शीर्षों को क्रेडिट करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारी समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहाँ ब्याज मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि तथा मुख्य शीर्ष 8011- बीमा तथा पेन्शन निधि को जमा करके समायोजित किया जाता है।

(4) भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन केन्द्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाओं पर आधारित था। ये समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा करते हुए मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिम में प्रति प्रविष्टि द्वारा बट्टे खाते डाले जाते हैं) राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण दोनों शीर्षों को प्रभावित करते हैं।

ङ. पूर्णांक: ₹ 0.01 लाख/ करोड़ का अंतर, जहाँ कहीं हो, पूर्णांक के कारण है।

अनुभाग-क

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर

खण्ड-I

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर यूटी द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु शेषों को दर्शाते हैं)

			(₹ करोड़ में)	
परिसंपत्तियाँ [1]	***संदर्भ क्र. सं.***		**31 मार्च 2020 तक**	**31 अक्टूबर 2019 तक**
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			14,82.28 **(-)42.08**	**(-)42.08**
(i) कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में नकद		21	- **6.77**	6.77
(ii) विभागीय शेष		21	- **4.97**	4.97
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	- **0.12**	0.12
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	**3,83.92**	3,83.92
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में जमाएं	2(vi)	21	14,82.28 * **(-)4,48.72**	(-)4,48.72
(vi) चिह्नित निधियों से निवेश[2]	3(vi) क (i)	22	- **10.86**	10.86
पूँजीगत व्यय		5 व 16	54,22.20 **10,30,00.76**	**10,30,00.76**
(i) कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	3(v)	8 व 19	81.12 **34,28.03**	34,28.03
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5 व 16	53,41.08 **9,95,72.73**	9,95,72.73
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	3(x)	21	**-** **-**	**-**
ऋण और अग्रिम	3(iv)	18	35.80 **17,40.44**	**17,40.44**
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	**-** **12.69**	**12.69**
उचंत एवं विविध शेष[3]	3(ix)	21	**-** **3,44.15**	**3,44.15**
प्रेषण शेष			- -	-
प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता[4]			1,62.09	-
			-	-
कुल			71,02.37	**10,50,55.96**
			10,50,55.96	

[1] *परिसंपत्तियों और देयताओं के आँकड़े संचयी आँकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' अनुभाग में टिप्पणी 1(ii) का भी अवलोकन करें।*

[2] *कंपनियों इत्यादि के शेयरों में चिह्नित निधियों में से निवेश को पूँजीगत व्यय से बाहर रखा गया है और 'चिह्नित निधियों से निवेश' के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।*

[3] *इस विवरण में लाइन मद 'उचंत और विविध शेष' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा, 'विभागीय शेष' और 'स्थायी नकद अग्रदाय' सम्मिलित नहीं है, जिनको अलग से ऊपर सम्मिलित किया गया है, हालांकि बाद वाला इन लेखाओं में कहीं और इस क्षेत्रक का हिस्सा है।*

[4] *प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/ राजस्व घाटे को प्रदर्शित नहीं करती है।*

(*) *कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर "विवरण संख्या 02 के अनुलग्नक" खण्ड-I की पाद टिप्पणी '@' का संदर्भ लें।*

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर यूटी द्वारा प्रतिधारित एवं प्रभाजित किये जाने हेतु शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

देयताएं	***संदर्भ क्र. सं.***		**31 मार्च 2020 तक**	**30 अक्टूबर 2019 तक**
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			34,98.03 **4,66,66.22**	**4,66,66.22**
(i) आंतरिक ऋण		6 व 17	35,56.94 **4,54,29.09**	4,54,29.09
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		6 व 17	(-)58.91 **12,37.13**	12,37.13
अनियोजित ऋण		6 व 17	- **96.29**	96.29
राज्य आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	(-)58.47 **10,55.03**	10,55.03
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं के लिए ऋण		6 व 17	-	-
विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण		6 व 17	(-)0.44 **38.77**	38.77
अन्य ऋण		6 व 17	- **47.04**	47.04
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	3(x)	21	- **1.00**	**1.00**
लोक लेखा पर देयताएं			36,04.34 **3,9,28.77**	**3,97,28.77**
(i) लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि		17 व 21	10,41.80 **2,71,61.62**	2,71,61.62
(ii) जमाएं		17 व 21	7,73.57 **69,14.23**	69,14.23
(iii) आरक्षित निधियाँ	3(vi)	21 व 22	1,86.95 **28,05.43**	28,05.43
(iv) प्रेषण शेष	3(ix)	21	13,98.31 **28,47.49**	28,47.49
(v) उचंत और विविध शेष	3(ix)	21	2,03.71 -	- -
व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता		12	- **1,86,59.97**	**1,86,59.97**
कुल			71,02.37 **10,50,55.96**	**10,50,55.96**

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

भाग-I समेकित निधि			
अनुभाग-कः राजस्व			
प्राप्तियाँ		**संवितरण**	
	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
			(₹ करोड़ में)
राजस्व प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**2,25,57.34**	**राजस्व व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	**2,27,19.43**
कर राजस्व (संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सृजित) *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**40,56.49**	**वेतन[1]** *(संदर्भ विवरण 4-ख व परिशिष्ट-I)*	**1,07,07.38**
करेतर राजस्व *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**20,62.77**	**सहायिकियाँ [1]** **(संदर्भ परिशिष्ट-II)**	**-**
		सहायता अनुदान[1] [2] *(संदर्भ विवरण 4-ख व* **परिशिष्ट-*III*)**	**39,66.96**
ब्याज प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	9.24	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4 व 15)*	**60,35.44**
अन्य *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	20,53.53	ब्याज भुगतान एवं ऋण-सेवा *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	25,31.63
		पेन्शन *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 15)*	20,95.31
संघीय कर/ शुल्कों का अंश *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**-**	अन्य *(संदर्भ विवरण 4-ख)*	14,08.50
		समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**16,46.05**
		आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	**3,63.60**
केन्द्र सरकार से अनुदान *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**1,64,38.08**	**स्थानीय निकायों और पीआरआई को प्रतिकर और समुदेशन** *(संदर्भ विवरण 4-क व 15)*	-
राजस्व घाटा	**1,62.09**	**राजस्व अधिशेष**	**-**

[1] *वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान के आँकड़ों को सभी क्षेत्रकों में एक समेकित आँकड़ा प्रस्तुत करने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। 'सामाजिक', 'सामान्य' और 'आर्थिक' सेवाओं के क्षेत्रकों के अंतर्गत इस विवरण में होने वाले व्यय में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान (इनकी व्याख्या क्रमशः विवरण 15 खण्ड-II में नीचे 'सामान्य', 'सामाजिक', और 'आर्थिक सेवाओं' के रूप में पाद टिप्पणी भ, म, और य में की गई है।) पर व्यय सम्मिलित नहीं है।*

[2] *सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दी जाती है जो ऊपर एक लाइन मद के रूप में सम्मिलित है। ये अनुदान स्थानीय निकायों के लिए करों, शुल्कों की क्षतिपूर्ति और आबंटन से अलग हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों और पीआरआई को क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में दर्शाया गया है।*

टिप्पणीः 31 अक्टूबर 2019 (नियुक्त दिवस) से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के गठन के कारण पूरे विवरण सं. 2 में पिछले वर्ष के शेष लागू नहीं हैं।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-I समेकित निधि-(समाप्त)			
अनुभाग-खः पूँजीगत-			
प्राप्तियाँ		**संवितरण**	
	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
			(₹ करोड़)
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**-**	**पूँजीगत व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख व 16)*	**54,22.20 (क)**
		सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**7,33.57**
		समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**14,92.93**
		आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क व 16)*	**31,95.70**
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	**2.34**	**संवितरित ऋण और अग्रिम** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	**38.14**
सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	-	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	-
समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.30	**समाज सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	-
आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	1.89	**आर्थिक सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 व 18)*	38.14
अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण) *(संदर्भ विवरण 3, 7 व 18)*	0.15	**अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण)** *(संदर्भ विवरण 4-क 7 व 18)*	-
लोक ऋण प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	**1,66,47.37**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	**1,31,49.34**
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	1,66,47.37	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	1,30,90.43
भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 3, 6 व 17)*	-	भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 व 17)*	58.91
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि *(संदर्भ विवरण 3)*	**3,92,07.05**	**कुल व्यय समेकित निधि** *(संदर्भ विवरण 4)*	**4,13,29.11**
समेकित निधि में घाटा	**21,22.06**	**समेकित निधि में अधिशेष**	**-**
भाग-II आकस्मिकता निधि			
आकस्मिकता निधि *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**आकस्मिकता निधि** *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**

(क) *₹ 87.69 करोड़ की सहायिकी, ₹ 32.02 करोड़ का सहायता अनुदान और ₹ 0.17 करोड़ का वजीफा तथा छात्रवृत्ति सम्मिलित हैं। कृपया पैरा 1(v) (घ), (क), (ग) तथा "अनुलग्नक-"ख" लेखाओं पर टिप्पणियाँ खण्ड-I देखें।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-खः पूँजीगत-(समाप्त)			
प्राप्तियाँ		**संवितरण**	
	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
			(₹ करोड़ में)
भाग-III लोक लेखा[4]			
लघु बचतें *(संदर्भ विवरण 21)*	**25,95.70**	**लघु बचतें** *(संदर्भ विवरण 21)*	**15,53.90**
आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ *(संदर्भ विवरण 21)*	**5,65.90**	**आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ** *(संदर्भ विवरण 21)*	**3,78.95**
जमाएं *(संदर्भ विवरण 21)*	**19,31.93**	**जमाएं** *(संदर्भ विवरण 21)*	**11,58.36**
अग्रिम *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**जमाएं** *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**
उचंत एवं विविध[5] *(संदर्भ विवरण 21)*	**40,02.79**	**उचंत एवं विविध[5]** *(संदर्भ विवरण 21)*	**37,99.08**
प्रेषण *(संदर्भ विवरण 21)*	**22,67.87**	**प्रेषण** *(संदर्भ विवरण 21)*	**8,69.56**
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा *(संदर्भ विवरण 21)*	**1,13,64.19**	**कुल संवितरण लोक लेखा** *(संदर्भ विवरण 21)*	**77,59.85**
लोक लेखा में घाटा	**-**	**लोक लेखा में अधिशेष**	**36,04.34**
अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)	-	**अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)**	-
अथ रोकड़ शेष	**-**	**अंत रोकड़ शेष**	**14,82.28 (#)**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**14,82.28**	**रोकड़ शेष में कमी**	

[4] ब्योरे हेतु कृपया विवरण 17 तथा 21 में खण्ड-II का संदर्भ लें।

[5] उचंत और विविध में "अन्य लेखे" जैसे नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं के कारण आँकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। ब्योरे हेतु कृपया विवरण 21, खण्ड-II का संदर्भ लें।

(#) कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर विवरण संख्या 2 खण्ड-I के "परिशिष्ट" पाद टिप्पणी '@' का संदर्भ लें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुलग्नक क

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

	सरकार की संपूर्ण रोकड़ स्थिति	**30 अक्टूबर 2019 को**	**31 मार्च 2020 को**	
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष**			
(i)	कोषागारों में रोकड़	6.77	-	
			6.77	
(ii)	आरबीआई के पास जमाएं **एमएच 8999**	(-)4,69.74	14,82.28	(@)
			(-)4,69.74	
(iii)	जेएण्डके बैंक और अन्य बैंकों में जमा	21.02	-	
			21.02	($)
(iv)	स्थानीय प्रेषण	-	-	
	कुल	**(-)4,41.95**	14,82.28	
			(-)4,41.95	
(v)	रोकड़ शेष निवेश लेखा में रोका गया शेष **(एमएच 8673)**	3,83.92	-	
			3,83.92	
	कुल (क)	**(-)58.03**	14,82.28	
			(-)58.03	
(ख)	**अन्य रोकड़ शेष और निवेश**			
(i)	विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, अर्थात् लोक निर्माण एवं वन प्रभागों के अधिकारी	4.97	**4.97**	
(ii)	विभागीय अधिकारियों के साथ आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0.12	**0.12**	
(iii)	चिह्नित निधियों में से निवेश	10.86	**10.86**	(^)
	कुल (ख)	**15.95**	**15.95**	
	कुल (क) और (ख)	**(-)42.08**	14,82.28	
			(-)42.08	

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों: रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य कोषागारों, भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा, अन्य बैंकों तथा पारगमन में प्रेषण, रोकड़ से मिलकर बना है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 'रिज़र्व बैंक के पास जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष, 31 मार्च 2020 के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। संपूर्ण रोकड़ स्थिति तक पहुँचने के लिए रोकड़ शेषों/ आरक्षित निधियों आदि में से कोषागारों, विभागों और निवेशों में रखे रोकड़ शेष को 'आरबीआई के पास जमा' शेष में जोड़ा जाता है।

(@) *रिज़र्व बैंक के पास जमाओं' के प्रति शेष भारतीय लेखा के अनुसार शेष को दर्शाता है, जिसमें 10 अप्रैल 2020 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की सरकारी भुगतानों की सलाह भी सम्मिलित है। अंकों के मध्य ₹ 0.58 करोड़ (क्रे.) का कुल अंतर है जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया गया [₹ 14,82.28 करोड़ (डे.)] और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया गया [₹ 14,82.86 करोड़ (क्रे.)] अंतर आरबीआई एवं सरकार के बीच मिलानाधीन है (दिसंबर 2020)।*

($) *जिसमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया, लाहौर में पड़े ₹ 0.03 करोड़ भी सम्मिलित हैं। हालांकि यह लेखा परिचालित स्थिति में नहीं हैं।*

(^) *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुलग्नक क-(जारी)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश-(जारी)

(क) दैनिक रोकड़ शेषः भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अंतर्गत, यद्यपि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसरण में, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 'नियुक्त दिवस' 31 अक्टूबर 2019 से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) में विभाजित किया गया था, तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने 31 मार्च 2020 तक दोनों संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी व्यवसाय के संचालन हेतु आरबीआई के साथ उक्त लेखा का संचालन जारी रखा है, तदनुसार सरकार को दिनांक 01.04.2011 से सभी दिवसों में बैंक में ₹ 1.14 करोड़ के न्यूनतम रोकड़ शेष का अनुरक्षण करना है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम रहता है, तो कमी को समय-समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों को लेते हुए ठीक किया जाता है। दिनांक 31.03.2020 तक उपर्युक्त न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अनुदान के सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों के प्रयोजनों हेतु दैनिक रोकड़ शेष को बनाये रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग के साथ दिन में हुए संव्यवहारों की रिपोर्टों (आरबीआई कांउटर पर एजेन्सी बैंकों द्वारा अंतर सरकारी संव्यवहार तथा कोषागार संव्यवहार को रिपोर्ट किया गया) का मूल्यांकन करती है। ऐसा करके जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसको 14 दिनों के कोषागार बिलों की परिपक्वता, यदि कोई हो, को जोड़कर और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के उपरांत बकाया शेष, यदि कोई हो, को कोषागार बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। **परिणामस्वरूप प्राप्त कुल रोकड़ शेष यदि न्यूनतम रोकड़ शेष एवं जमा शेष से कम रहता है** और अगर उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार बिल परिपक्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आरबीआई 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग्स को पुनः छूट प्रदान करती है और कमियों को दूर करती है। यदि उस दिन कोई 14 दिवसीय कोषागार बिलों की होल्डिंग्स न हो उस स्थिति में सरकार अन्य सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों/ विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट को लागू करती है।

(ख) दिनांक 01-04-2011 से सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा तय सीमा ₹ 3,15.00 करोड़ थी, 11-11-2013 से ₹ 4,72.50 करोड़ थी, जिसे 01-02-2016 से ₹ 8,80.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान वह तय सीमा जिसमें सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखती है, नीचे दिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	**दिनों की संख्या**
उन दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम लिये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	21
उन दिनों की संख्या जिनमें विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त करने के माध्यम से न्यूनतम शेष बनाये रखा गया।	81
उन दिनों की संख्या जिनमें उपर्युक्त अग्रिम लेने के उपरांत भी न्यूनतम शेष में कमी थी किंतु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।	शून्य
उन दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया।	51

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(i) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिये गये थे। 31.03.2020 को शेष ₹ 2,95.18 करोड़ (सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 1,87.89 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत ₹ 1,07.29 करोड़)। 30 अक्टूबर 2019 को ₹ 6,92.11 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 6,92.11 करोड़ और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य) का शेष था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(समाप्त)

अनुलग्नक क-(समाप्त)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश-(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

(ii) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिनांक 01.04.2011 से एक करार किया। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान रैपो दर निम्नानुसार थी:

अवधि	**रैपो दर**
31-10-2019 से 26-03-2020	5.15 प्रतिशत
27-03-2020 से 31-03-2020	4.40 *प्रतिशत*

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में ब्याज 90 दिनों तक प्रभारित किया जाता है, जो रैपो दर के समकक्ष होता है और 90 दिनों से अधिक अवधि हेतु यही ब्याज रैपो दर का एक प्रतिशत अधिक हो जाता है।

सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की 100 प्रतिशत तक की सीमा तक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रैपो दर से दो प्रतिशत अधिक होता है तथा सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों के 100 प्रतिशत से अधिक होने पर यही रैपो दर पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्टों पर भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमश: ₹ 11.04 करोड़ तथा ₹ 1.83 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

(ग) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु भारत सरकार के कोषागार बिल जिनका मूल्य ₹ 35,07.21 करोड़ (₹ 35,07.21 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा शून्य संघ शासित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) था, उन्हें 09 अवसरों पर खरीदा गया तथा ₹ 35,07.21 करोड़ (₹ 35,07.21 करोड़ भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिल तथा शून्य संघ शासित क्षेत्र प्रतिभूतियाँ) को 14 अवसरों पर पुन: छूट दी गई। 31 मार्च 2020 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में कोई राशि नहीं थी। तथापि, 30 अक्टूबर 2019 को रोकड़ शेष निवेश लेखा में रोकी गयी ₹ 3,83.92* करोड़ की राशि अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

(घ) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा पर शून्य ब्याज अर्जित हुआ।

(*) *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।*

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)
		(वास्तविक)
	विवरण	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-	
क.	**कर राजस्व-**	
क.1	**स्वयं के कर राजस्व-**	**40,56.49**
	संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	21,15.75
	भू-राजस्व	48.32
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	1,17.54
	राज्य उत्पाद शुल्क	5,87.67
	बिक्री कर	7,82.43
	वाहनों पर कर	2,46.08
	वस्तुओं और यात्रियों पर कर	1,58.47
	विद्युत पर कर और शुल्क	0.23
क.2	**करों की निवल प्राप्तियों का अंश-**	**-**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-
	निगम कर	-
	निगम कर के अलावा आय पर कर	-
	आय और व्यय पर अन्य कर	-
	धन-संपत्ति पर कर	-
	सीमा शुल्क	-
	संघीय उत्पाद शुल्क कर	-
	सेवा कर	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	-
	अन्य	-
	कुल-क	**40,56.49**
ख.	**करेतर राजस्व-**	
	विद्युत	11,96.66
	मुख्य/ मध्यम सिंचाई	6,06.73
	पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	62.73
	जलापूर्ति और स्वच्छता	59.54

टिप्पणीः 31 अक्टूबर 2019 (नियुक्त दिवस) से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के गठन के कारण पूरे विवरण सं. 3 में पिछले वर्ष के शेष लागू नहीं हैं।

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

		(₹ करोड़ में)
		(वास्तविक)
	विवरण	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)	
ख.	**करेतर राजस्व**-(समाप्त)	
	पुलिस	35.85
	अलौह खनन और धात्विक उद्योग	14.61
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	13.78
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	11.32
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	9.24
	वन और वन्य जीवन	8.94
	लोक निर्माण	7.96
	फसल पैदावार	7.50
	लेखन सामग्री और मुद्रण	5.72
	मत्स्यपालन	3.44
	पशुपालन	3.43
	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2.27
	शहरी विकास	2.18
	ग्राम और लघु उद्योग	2.14
	लघु सिंचाई	1.95
	आवास	1.84
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1.44
	श्रम और रोजगार	0.61
	पर्यटन	0.53
	खाद्य संग्रहण और भण्डारण	0.47
	अन्य	1.89
	कुल-ख	**20,62.77**

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

			(₹ करोड़ में)
			(वास्तविक)
	विवरण		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-(समाप्त)		
II.	**भारत सरकार से अनुदान**		
ग.	**अनुदान-**		
	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-		
	केन्दीय प्रायोजित योजनाएं-		**34,06.82**
		केन्द्रीय सहायता/ अंश	34,06.82
		बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	-
		अन्य	-
	वित्त आयोग अनुदान-		**-**
		पश्च हस्तातंरण राजस्व घाटा अनुदान	-
		ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-
		शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-
		राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु सहायता-अनुदान	-
	अन्य अंतरण/ विधानमण्डल युक्त राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान-		**1,30,31.26**
		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	-
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	49.48
		विशेष सहायता	
		जीएसटी के कार्यान्वयन से हुयी राजस्व की हानि हेतु क्षतिपूर्ति	12,47.28
		राजस्व घाटे को प्राप्त करने हेतु अनुदान	1,17,34.50
		कुल-ग	**1,64,38.08**
		कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**2,25,57.34**
III.	**पूँजीगत, लोक ऋण और अन्य प्राप्तियाँ**		
घ.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ-**		
	विनिवेश प्राप्तियाँ		-
	अन्य		-
		कुल-घ	**-**

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(समाप्त)

			(₹ करोड़ में)
			(वास्तविक)
	विवरण		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
ङ.	**लोक ऋण प्राप्तियाँ-**		
	आंतरिक ऋण-		**1,66,47.37**
		बाजार ऋण	39,86.00
		आरबीआई से डब्ल्यूएमए [1]	1,24,00.30
		बंध पत्र	-
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,61.07
		राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		**-**
		केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-
		अन्य ऋण	-
		विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण	-
		कुल-ङ	**1,66,47.37**
च.	राज्य सरकार से ऋण एवं अग्रिम **(वसूलियाँ) [2]**		**2.34**
छ.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**		
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ [3] (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		**3,92,07.05**

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से लिये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट।

[2] ब्योरे विवरण सं. 7 खण्ड-I और 18 खण्ड-II में दिये गये हैं।

[3] ब्योरे विवरण सं. 14 और 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय					
विवरण		**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
क.	**सामान्य सेवाएं-**				
क.1	**राज्य के अंग-**	**3,64.85**	**-**	**-**	**3,64.85**
	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	8.91	-	-	8.91
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	4.32	-	-	4.32
	मंत्रिपरिषद	-	-	-	-
	न्याय-प्रशासन	1,10.06	-	-	1,10.06
	चुनाव	2,41.56	-	-	2,41.56
क.2	**राजकोषीय सेवाएं-**	**28,87.50**	**-**	**-**	**28,87.50**
	भू-राजस्व	2.62	-	-	2.62
	स्टाम्प और पंजीकरण	9.36	-	-	9.36
	संपत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	-	-	-	-
	राज्य उत्पाद शुल्क	18.14	-	-	18.14
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2.19	-	-	2.19
	वाहनों पर कर	21.93	-	-	21.93
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शुल्कों का संग्रहण	2,94.65	-	-	2,94.65
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.19	-	-	0.19
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	6.79	-	-	6.79
	ब्याज भुगतान और ऋण-सेवा	25,31.63	-	-	25,31.63
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं-**	**40,34.99**	**6,64.34**	**-**	**46,99.33**
	लोक सेवा आयोग	2.82	-	-	2.82
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	46.44	-	-	46.44
	जिला प्रशासन	1,74.47	-	-	1,74.47
	कोषागार और लेखे प्रशासन	2,05.18	-	-	2,05.18
	पुलिस	30,72.54	2,10.80	-	32,83.34
	कारावास	32.99	-	-	32.99
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	30.37	2.18	-	32.55
	लोक निर्माण	2,75.82	4,47.21	-	7,23.03
	सतर्कता	19.92	-	-	19.92
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,74.44	4.15	-	1,78.59

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
क.4	**पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं-**	**20,96.41**	**69.23**	-	**21,65.64**
	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	20,95.30	-	-	20,95.30
	विविध सामान्य सेवाएं	1.11	69.23	-	70.34
	कुल सामान्य सेवाएं	**93,83.75**	**7,33.57**	**-**	**1,01,17.32**
ख.	**समाज सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (विवरण के नीचे [1] देखें)**	**48,08.35**	**2,46.83**	**-**	**50,55.18**
	सामान्य शिक्षा	45,66.08	2,46.83	-	48,12.91
	तकनीकी शिक्षा	47.84	-	-	47.84
	खेल और युवा सेवाएं	1,74.73	-	-	1,74.73
	कला और संस्कृति	19.70	-	-	19.70
ख.2	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-**	**17,54.64**	**3,96.24**	**-**	**21,50.88**
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	16,74.78	3,96.24	-	20,71.02
	परिवार कल्याण	79.86	-	-	79.86
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-**	**9,85.91**	**7,16.51**	**-**	**17,02.42**
	जलापूर्ति और स्वच्छता	5,78.19	3,65.14	-	9,43.33
	आवास	56.99	5.23	-	62.22
	शहरी विकास	3,50.73	3,46.14	-	6,96.87
ख.4	**सूचना और प्रसारण-**	**41.19**	**0.35**	**-**	**41.54**
	सूचना और प्रचार	41.19	0.35	-	41.54
ख.5	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण -**	**58.60**	**16.37**	**-**	**74.97**
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	58.60	16.37	-	74.97
ख.6	**श्रम और श्रम कल्याण -**	**19.19**	**-**	**-**	**19.19**
	श्रम और रोजगार	19.19	-	-	19.19

[1] *सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति के प्रति पूँजीगत परिव्यय बुक करने हेतु केवल मुख्य शीर्ष।*

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
विवरण		**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
ख.7	**समाज कल्याण और पोषण -**	**9,31.44**	**1,10.78**	**-**	**10,42.22**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,30.86	90.98	-	6,21.84
	पोषण	2,91.34	19.80	-	3,11.14
	प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत	1,09.24	-	-	1,09.24
ख.8	**अन्य-**	**15.42**	**5.85**	**-**	**21.27**
	अन्य समाज सेवाएं	1.23	5.85	-	7.08
	सचिवालय-समाज सेवाएं	14.19	-	-	14.19
	कुल समाज सेवाएं	**86,14.74**	**14,92.93**	**-**	**1,01,07.67**
ग.	**आर्थिक सेवाएं-**				
ग.1	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-**	**13,25.45**	**5,29.32**	**-**	**18,54.77**
	फसल पैदावार	2,45.33	2,96.59	-	5,41.92
	मृदा एव जल संरक्षण	39.79	4.69	-	44.48
	पशुपालन	2,74.34	40.50	-	3,14.84
	डेयरी विकास	-	-	-	-
	मत्स्यपालन	39.07	6.91	-	45.98
	वन एवं वन्य जीवन	3,76.80	27.54	-	4,04.34
	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	75.88	1,32.05	-	2,07.93
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,36.77	17.69	-	2,54.46
	सहकारिता	21.01	3.35	-	24.36
	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	16.46	-	-	16.46
ग.2	**ग्रामीण विकास -**	**2,29.23**	**6,84.14**	-	**9,13.37**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम-	24.40	-	-	24.40
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	-	-	-	-
	भूमि सुधार	-	-	-	-
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,04.83	6,84.14	-	8,88.97
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-**	**-**	**-**	-	**-**
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-
ग.4	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण -**	**2,53.43**	**1,41.54**	-	**3,94.97**
	मुख्य सिंचाई	3.32	-	-	3.32
	मध्यम सिंचाई	27.21	4.04	-	31.25
	लघु सिंचाई	1,61.86	59.88	-	2,21.74
	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	14.52	3.79	-	18.31
	बाढ़ नियंत्रण एवं अपवाह	46.52	73.83	-	1,20.35

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(समाप्त)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
ग.5	**ऊर्जा-**	**24,54.61**	**1,85.21**	**-**	**26,39.82**
	विद्युत	24,54.61	1,85.21	-	26,39.82
ग.6	**उद्योग एवं खनिज -**	**1,73.81**	**1,40.59**	**15.14**	**3,29.54**
	ग्राम एवं लघु उद्योग	1,50.18	1,35.91	-	2,86.09
	लौह एवं इस्पात उद्योग	-	2.68	-	2.68
	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	23.63	2.00	-	25.63
	अन्य उद्योग एवं खनिज	-	-	15.14	15.14
ग.7	**परिवहन-**	**1,07.50**	**6,60.35**	**23.00**	**7,90.85**
	सड़कें और पुल	1,07.50	6,02.30	-	7,09.80
	सड़क परिवहन	-	58.05	23.00	81.05
ग.8	**संचार**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग.9	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण -**	**16.85**	**2.78**	-	**19.63**
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	16.85	-	-	16.85
	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान	-	2.78	-	2.78
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं-**	**1,60.06**	**8,51.77**	.	**10,11.83**
	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	27.35	-	-	27.35
	पर्यटन	96.31	1,03.38	-	1,99.69
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	30.76	-	-	30.76
	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.64	7,48.39	-	7,54.03
	कुल आर्थिक सेवाएं	**47,20.94**	**31,95.70**	**38.14**	**79,54.78**
घ.	**सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-**				
	सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि-	-	-	-	-
	विविध ऋण	-	-	-	-
	कुल सरकारी सेवकों को ऋण इत्यादि			**-**	**-**
ङ.	**लोक ऋण-**				
	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	-	-	1,30,90.43	1,30,90.43
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	58.91	58.91
	कुल लोक ऋण	**-**	**-**	**1,31,49.34**	**1,31,49.34**
च.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**	**-**	**-**	**-**	**-**
	यूटी व्यय की कुल समेकित निधि	**2,27,19.43**	**54,22.20**	**1,31,87.48**	**4,13,29.11**

4 व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(समाप्त)

ख. प्रकृति के अनुसार व्यय				
	व्यय की वस्तु	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**		
		राजस्व	**पूँजीगत**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)
				(₹ करोड़ में)
1.	वेतन	1,07,07.38	-	1,07,07.38
2.	निर्माण कार्य	0.24	49,07.49	49,07.73
3.	सहायता अनुदान	39,66.96	32.02	39,98.98
4.	ब्याज	25,31.63	-	25,31.63
5.	पेन्शन और उपदान	20,95.31	-	20,95.31
6.	सामग्री और आपूर्तियाँ	2,67.48	94.68	3,62.16
7.	एसपीओ/ वीडीसी/ आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं इत्यादि को मानदेय	2,56.86	2.55	2,59.41
8.	विद्युत प्रभार	2,40.23	0.08	2,40.31
9.	समारक्षण का बाह्य स्रोतन	2,12.84	-	2,12.84
10.	मशीनरी और उपकरण	1,87.27	6.38	1,93.65
11.	परिवहन/ संभलाई प्रभार	1,54.25	0.01	1,54.26
12.	अनुरक्षण और मरम्मत	1,49.50	0.01	1,49.51
13.	नकद सहायता	93.01	-	93.01
14.	वजीफा एवं छात्रवृत्ति	91.96	0.17	92.13
15.	सहायिकी	-	87.69	87.69
16.	किराया दर और कर	69.45	-	69.45
17.	औषधि और यंत्र	52.91	-	52.91
18.	कार्यालयीन खर्चे	50.78	0.40	51.18
19.	होटलों का किराया	49.57	-	49.57
20.	आरक्षित और जमा निधि में अंतरित	49.48	-	49.48
21.	विज्ञापन और प्रचार	46.38	0.07	46.45
22.	लघु निर्माण कार्य	-	46.29	46.29
23.	पुस्तक, आवधिक पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	29.94	0.04	29.98
24.	यात्रा खर्चे	29.38	0.13	29.51
25.	पीओएल	28.81	0.15	28.96
26.	प्रतिकर	27.61	-	27.61
27.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	24.61	-	24.61
28.	नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम	21.77	-	21.77
29.	कैम्प, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन	17.02	1.54	18.56
30.	फर्नीचर और साज-सज्जा	15.83	1.05	16.88
31.	आहार खर्चे	16.17	-	16.17
32.	अमर नाथ यात्रा	14.11	-	14.11
33.	राहत और पुनर्वास	11.42	2.55	13.97
34.	वर्दी	13.20	-	13.20
35.	दूरभाष	6.30	-	6.30
36.	पुरस्कार	3.67	-	3.67
37.	निर्माण कार्य	-	2.10	2.10
38.	मजदूरियाँ	0.65	-	0.65
39.	अन्य	11,85.45	2,36.80	14,22.25
	कुल	**2,27,19.43**	**54,22.20**	**2,81,41.63**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
क-	**सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.07	-	-	-
					4.07
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	13,56.87	-	2,10.80	2,10.80
					13,56.87
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	34.95	-	2.18	2.18
					34.95
4059-	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	61,53.33	-	4,47.21	4,47.21
					61,53.33
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,04.39	-	4.15	4.15
					1,04.39
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,63.21	-	69.23	69.23
					1,63.21
	कुल क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**78,16.82**	-	7,33.57	7,33.57
					78,16.82
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
(क)	**शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा-**				
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-	69,82.53	-	2,46.83	2,46.83
					69,82.53
	कुल-ख(क)-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा	**69,82.53**	-	2,46.83	2,46.83
					69,82.53

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(ख)	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-**				
4210-	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	49,06.22	-	3,96.24	3,96.24
					49,06.22
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	7.97	-	-	-
					7.97
	कुल-ख(ख)-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	**49,14.19**	-	3,96.24	3,96.24
					49,14.19
(ग)	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-**				
4215-	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	79,46.76	-	3,65.14	3,65.14
					79,46.76
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	3,74.07	-	5.23	5.23
					3,74.07
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	49,94.90	-	3,46.14	3,46.14
					49,94.90
	कुल-ख(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	**1,33,15.73**	-	7,16.51	7,16.51
					1,33,15.73

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-** (जारी)				
(घ)	**सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा-**				
4220-	सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	33.49	-	0.35	0.35
					33.49
	कुल-ख (घ)-सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा	**33.49**	-	0.35	0.35
					33.49
(ङ)	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-**				
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	3,05.38	-	16.37	16.37
					3,05.38
	कुल-ख (ङ)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा	**3,05.38**	-	16.37	16.37
					3,05.38
(च)	**समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-**				
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	27,77.63	-	90.98	90.98
					27,77.63

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-** (समाप्त)				
(छ)	**समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	3,70.83	-	19.80	19.80
			_		**3,70.83**
	कुल-ख (छ)-समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा	**31,48.46**	-	1,10.78	1,10.78
					31,48.46
(ज)	**अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
4250-	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,72.61	-	5.85	5.85
					3,72.61
	कुल-ख(ज)-अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**3,72.61**	-	5.85	5.85
					3,72.61
	कुल-ख-समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**2,90,72.39**	-	14,92.93	14,92.93
					2,90,72.39
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
(क)	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-**				
4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	19,46.40	-	2,96.59	2,96.59
					19,46.40
4402-	मृदा और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	3,90.95	-	4.69	4.69
					3,90.95
4403-	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	3,71.43	-	40.50	40.50
					3,71.43

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(क)	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-**				
4404-	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	11.56	-	-	-
					11.56
4405-	मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	2,22.30	-	6.91	6.91
					2,22.30
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	9,33.44	-	27.54	27.54
					9,33.44
4408-	खाद्य भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	32,67.49	-	1,32.05	1,32.05
					32,67.49
4415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	3,36.08	-	17.69	17.69
					3,36.08
4416-	कृषिगत वित्तीय संस्थानों में निवेश	#	-	-	-
					#
4425-	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	4,01.61	-	3.35	3.35
					4,01.61
4435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4.07	-	-	-
					4.07
	कुल-ग(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	**78,85.33**	-	5,29.32	5,29.32
					78,85.33

 # नगण्य ₹ 0.40 लाख मात्र।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(ख)	**ग्रामीण विकास का पूँजागत लेखा-**				
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,02,59.36	-	6,84.14	6,84.14
					1,02,59.36
	कुल-ग (ख)-ग्रामीण विकास का पूँजागत लेखा	**1,02,59.36**	-	6,84.14	6,84.14
					1,02,59.36
(ग)	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-**				
4575-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	36,88.82	-	-	-
					36,88.82
	कुल-ग(ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	**36,88.82**	-	-	-
					36,88.82
(घ)	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-**				
4701-	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	12,57.66	-	4.04	4.04
					12,57.66
4702-	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	20,60.63	-	59.88	59.88
					20,60.63

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	
					(₹ करोड़ में)	
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)					
(घ)	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)					
4705-	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	3,22.06	-	3.79	3.79	
					3,22.06	
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	16,96.00	-	73.83	73.83	
					16,96.00	
	कुल-ग(घ)-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	**53,36.35**	-	1,41.54	1,41.54	
					53,36.35	
(ङ)	**ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-**					
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,42,12.80	-	1,85.21	1,85.21	
					1,42,12.80	
	कुल-ग(ङ)- ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	**1,42,12.80**	-	1,85.21	1,85.21	
					1,42,12.80	(क)
(च)	**उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-**					
4851-	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	18,18.59	-	1,35.91	1,35.91	
					18,18.59	
4852-	लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2,09.24	-	2.68	2.68	
					2,09.24	

(क) *राज्य सरकार द्वारा सूचित पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि को प्रोफॉर्मा घटाकर शेष कर दिया गया है।*

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(छ)	**उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
4853-	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	77.70	-	2.00	2.00
					77.70
4854-	सीमेन्ट और अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.24	-	-	-
					0.24
4858-	अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1.25	-	-	-
					1.25
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	31.34	-	-	-
					31.34
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.06	-	-	-
					0.06
4885-	उद्योगों एवं खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	42.73	-	-	-
					42.73
	कुल-ग(छ)-उद्योग एवं खनिजों का पूँजीगत लेखा	**21,81.15**	-	1,40.59	1,40.59
					21,81.15
(ज)	**परिवहन का पूँजीगत लेखा-**				
5054-	सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	1,37,08.19	-	6,02.30	6,02.30
					1,37,08.19

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(छ)	**परिवहन का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
5055-	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	2,63.25	-	58.05	58.05 **2,63.25**
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	27.74	-	-	- **27.74**
	कुल-ग(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा	**1,39,99.18**	-	6,60.35	6,60.35 **1,39,99.18**
(ज)	**संचार का पूँजीगत लेखा-**				
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.02	-	-	- **0.02**
	कुल-ग(ज)-संचार का पूँजीगत लेखा	**0.02**	-	**-**	**-** **0.02**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-**				
5425-	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर परिव्यय	1,59.34	-	2.78	2.78 **1,59.34**
	कुल-ग(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा	**1,59.34**	-	2.78	2.78 **1,59.34**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 तक प्रगामी व्यय (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	2019-20 के दौरान व्यय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	2019-20 तक प्रगामी व्यय (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	
					(₹ करोड़ में)	
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)					
(ञ)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)					
5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	22,84.78	-	1,03.38	1,03.38	
					22,84.78	
5465-	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	6,08.19	-	-	-	
					6,08.19	(क)
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	54,96.23	-	7,48.39	7,48.39	
					54,96.23	
	कुल-ग(ञ)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**83,89.20**	-	8,51.77	8,51.77	
					83,89.20	
	कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**6,61,11.55**	-	31,95.70	31,95.70	
					6,61,11.55	
	कुल योग	**10,30,00.76**	-	54,22.20	54,22.20	
					10,30,00.76	(ग)

(ख) *राज्य सरकार ने पूँजीगत विनिवेश के कारण ₹ 28.10 करोड़ की राशि 31 मार्च 2010 को प्रोफॉर्मा घटाकर शेष कर दी है।*

(ग) *पूँजीगत विनिवेश और पिछले गलत वर्गीकरण के कारण वर्ष के अंत तक खर्च से प्रोफॉर्मा घटाकर क्रमश: ₹ 28.10 करोड़ की राशि और ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि को कम कर दिया गया है। इस विवरण हेतु कृपया मुख्य शीर्ष 5465 और 4801 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (क) और (ख) का भी संदर्भ लें।*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(झ) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में सरकार का कुल निवेश ₹ 81.12 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 को ₹ 34,28.03 करोड़ का निवेश था जिसे अभी तक नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान सरकारी लेखे में कोई लाभांश जमा नहीं किया था।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(समाप्त)

नवीनतम प्रोफार्मा लेखा द्वारा बताये गये लेखा के पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के कामकाज के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:-

प्रोफॉर्मा लेखेः प्रत्येक उपक्रम के सामने दर्शायी गयी अवधियों के लिए विभागीय अधिकारियों से अभी तक (दिसंबर 2020) नीचे उल्लिखित उपक्रमों के अंतर्गत प्रोफार्मा लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं-

लेखा का मुख्य शीर्ष		उपक्रम का नाम	अवधि जिसके लिए देय है
4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	1	सरकारी मुद्रणालय, श्रीनगर	1968-69 और (दिसंबर 2020) उसके बाद
	2	सरकारी मुद्रणालय, जम्मू	1968-69 और (दिसंबर 2020) उसके बाद
4408- खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	1	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, श्रीनगर	1975-76 (परिशोधित लेखा) और (दिसंबर 2020) उसके बाद
	2	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग, जम्मू	1973-74 से 1997-98 और 1999-2000 और उसके बाद। तथापि, वर्ष 1998-99 के प्रोफॉर्मा लेखाओं को वर्ष 2002-03 (दिसंबर 2020) के दौरान अंतिम रूप दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्तियाँ	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2020 को शेष
क लोक ऋण -					
					(₹ करोड़ में)
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण [1]	**4,54,29.09**	-	1,66,47.37	1,30,90.43	35,56.94
					4,54,29.09
बाजार ऋण	3,42,90.80	-	39,86.00	5,70.08	34,15.92
					3,42,90.80
डब्ल्यूएमए [2]	6,92.11	-	1,24,00.30	1,21,05.12	2,95.18
					6,92.11
बंधपत्र	35,37.55	-	-	-	-
					35,37.55
वित्तीय संस्थानों से ऋण	35,38.31	-	2,61.07	1,98.57	62.50
					35,38.31
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	33,70.32	-	-	2,16.66	(-)2,16.66
					33,70.32
6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-	**12,37.13**	-	-	58.91	(-)58.91
					12,37.13
गैर-नियोजित ऋण	96.29	-	-	-	-
					96.29
आयोजना योजनाओं हेतु राज्य/ संघ शासित क्षेत्र हेतु ऋण	10,55.02	-	-	58.47	(-)58.47
					10,55.02

[1] *ब्यौरे विवरण सं. 17 खण्ड-II में दिये गये हैं।*

[2] *डब्ल्यूएमए: अर्थोपाय अग्रिम।*

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्तियाँ**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**31 मार्च 2020 को शेष**
क लोक ऋण-(समाप्त)					
					(₹ करोड़ में)
6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-(समाप्त)					
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-
					-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-
					-
अन्य ऋण	47.04	-	-	-	-
					47.04
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	-	-
					-
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण	38.78	-	-	0.44	(-)0.44
					38.78
कुल लोक ऋण	**4,66,66.22**	-	1,66,47.37	1,31,49.34	34,98.03
					4,66,66.22
ख अन्य देयताएं					
लोक लेखा-					
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,71,61.62	-	25,95.70	15,53.90	10,41.80
					2,71,61.62
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	12,60.62	-	5,42.79	3,11.32	2,31.47
					12,60.62
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	15,33.95	-	23.11	67.63	(-)44.52
					15,33.95

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

उधारों की प्रकृति	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्तियाँ**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**31 मार्च 2020 को शेष**	
ख अन्य देयताएं-(समाप्त)						
लोक लेखा-(समाप्त)						
					(₹ करोड़ में)	
ब्याज वहन करने वाली जमाएं	53.67	-	7,65.45	4,53.09	3,12.36	
					53.67	
ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	68,60.56	-	11,66.48	7,05.27	4,61.21	
					68,60.56	
कुल अन्य देयताएं	**3,68,70.42**	-	50,93.53	30,91.21	20,02.32	
					3,68,70.42	
कुल लोक ऋण और अन्य देयताएं	**8,35,36.64**	-	2,17,40.90	1,62,40.55	55,00.35	(क)
					8,35,36.64	(क)

(क) आँकड़े सरकार के पास मिलानाधीन (दिसंबर 2020) हैं।

परिशोधन व्यवस्थाओं, ऋण-सेवा इत्यादि के ब्योरे के लिए इस विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ 33, 34 और 35 पर देखी जा सकती हैं।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 **परिशोधन व्यवस्थाएं -**

सरकार ने भारत सरकार से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई परिशोधन व्यवस्था नहीं बनायी है।

2 **लघु बचत कोष से ऋण -**

डाकघरों में "लघु बचत योजनाओं" और "लोक भविष्य निधि" में संग्रहण में से ऋणों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। लघु बचत संग्रहणों से ऋण जारी करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि अर्थात् "राष्ट्रीय लघु बचत कोष" बनाया गया था। 30 अक्टूबर 2019 के अंत में तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित बकाया शेष ₹ 33,70.32 करोड़ था जिसे अभी तक प्रभाजित किया जाना है और इसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, संघ शासित जम्मू एवं कश्मीर द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की गयी थी, तथापि, सरकार ने अवधि के दौरान ₹ 2,16.66 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया।

3 **भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:-**

विवरण संख्या 17 में ब्योरा दिया गया है।

30.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार को चुकाने के लिए ₹ 95.38 करोड़ (मूलधन ₹ 58.91 करोड़ और ब्याज ₹ 36.47 करोड़) की राशि देय हो गई। ₹ 95.38 करोड़ की कुल राशि के प्रति, पूरी राशि (मूलधन ₹ 58.91 करोड़ और ब्याज ₹ 36.47 करोड़) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान सीधे वसूली के रूप में समायोजित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2019-20 (31.03.2020 की समाप्ति) के अंत में केन्द्र सरकार से ऋणों पर कोई राशि अतिदेय नहीं थी।

4 **संघ शासित क्षेत्र सरकार का आंतरिक ऋण:- इसमें खुले बाजार से लिये गये दीर्घकालिक ऋण, स्वायत्त निकायों से सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन अंतराल और ऋणों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्रकार की उधारी सम्मिलित है।**

(i) खुला बाजार ऋण:- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये सभी ऋण जिनका चलन एक वर्ष से अधिक है, ऋण की इस श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किये जाते हैं।

(ii) विभिन्न बकाया ऋणों का पूरा ब्योरा विवरण संख्या 17 और विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

5 ऋण-सेवा -

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज-1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तथा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

		2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	**2019-20 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)**
			(₹ करोड़ में)
(i)	**वर्ष के अंत में सकल ऋण और अन्य बकाया देयताएं-**		
(क)	लोक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	45,39.83	7,38,27.84
		7,38,27.84	
(ख)	अन्य देयताएं	9,60.52	97,08.80
		97,08.80	
		55,00.35	**8,35,36.64**
	कुल (i)	**8,35,36.64**	
(ii)	**सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज-**		
(क)	लोक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि पर	25,05.41	33,15.78
(ख)	अन्य देयताओं पर	26.22	39.63
	कुल (ii)	**25,31.63**	**33,55.41**
(iii)	**कटौती-**		
(क)	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	0.13	0.31
(ख)	नकद शेषों के निवेश पर वसूला गया ब्याज	-	1.70
	कुल (iii)	**0.13**	**2.01**
(iv)	**निवल ब्याज प्रभार**	**25,31.50**	**33,53.40**

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(समाप्त)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

5 ऋण-सेवा -(समाप्त)

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तथा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं तथा राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

		2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	**2019-20 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)**
			(₹ करोड़ में)
(v)	कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (ii)} का प्रतिशत	11.22	11.17
(vi)	कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (iv)} का प्रतिशत	11.22	11.16

इसके अलावा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य से प्राप्त ब्याज जैसे कुल ₹ 9.11 करोड़ की कुछ अन्य प्राप्तियाँ और समायोजन भी थे। यदि इनकी भी कटौती की जाती है, तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 25,22.39 करोड़ होगा जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.18 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में शून्य प्राप्त हुआ।

6 ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग

सरकार ने 2011-12 से ऋण शोधन निधि की स्थापना की और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण

अनुभाग 1: ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-							
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-
कुल- सामान्य सेवाएं	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समाज सेवाएं-							
विश्वविद्यालय/ अकादमिक संस्थान	-	-	-	-	-	-	
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	
नगर पालिकायें/ नगर परिषद/ नगर निगम	12.74	-	-	-	-	-	सरकार से
						12.74	सूचना
शहरी विकास प्राधिकरण	1.91	-	-	-	-	-	प्रतीक्षित
						1.91	(दिसंबर
आवास बोर्ड	2.90	-	-	-	-	-	2020)
						2.90	
राज्य आवास निगम	-	-	-	-	-	-	
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	
अन्य	1,28.93	-	-	-	0.30	(-)0.30	
						1,28.93	
कुल- समाज सेवाएं	**1,46.48**	-	-	-	0.30	(-)0.30	
						1,46.48	

(1) *ब्योरे हेतु कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

(क) पूरे विवरण में बकायों में वसूलियों का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
							(₹ करोड़ में)
आर्थिक सेवाएं-							
पंचायती राज संस्थान	0.01		-	-	-	-	
						0.01	
नगर पालिकायें/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	
						-	
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-	
						-	
सांविधिक निगम	4,11.23	-	23.00	-	-	23.00	
						4,11.23	
सरकारी कंपनियाँ	4,95.80	-	15.14	1.88	-	13.26	सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)
						4,95.80	
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	9.77	-	-	-	-	-	
						9.77	
अन्य	6,55.58	-	-	0.01	-	(-)0.01	
						6,55.58	
कुल- आर्थिक सेवाएं	**15,72.39**	**-**	38.14	1.89	**-**	36.25	
						15,72.39	
सरकारी सेवक							
सरकारी सेवक	21.57	-	-	0.15	-	(-)0.15	
						21.57	
कुल सरकारी सेवक	**21.57**	-	-	0.15	-	(-)0.15	
						21.57	
कुल - ऋण और अग्रिम	**17,40.44**	-	38.14	2.34	-	35.80	
						17,40.44	($)

$ कृपया मुख्य शीर्ष 6801- विवरण संख्या 18 खण्ड-II के नीचे की पाद टिप्पणी 'ए' का संदर्भ लें। मुख्य शीर्ष 4801- विवरण संख्या 16 खण्ड-II के नीचे पाद टिप्पणी 'ए' का भी संदर्भ लें।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(i) ऋणों व अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्रक/ ऋणी समूह (1)	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान (क)**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना**	**31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
							(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित ऋण के मामले "शाश्वत रूप से ऋण" के रूप में संस्वीकृत किये गये हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**ऋणी अधिष्ठान**	**संस्वीकृति का वर्ष**	**संस्वीकृति आदेश सं.**	**राशि**	**ब्याज दर**

सरकार से आँकड़े/ सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग 2: क्षेत्र-वार ऋणों व अग्रिमों का सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ करोड़ में)
च - ऋण और अग्रिम-[1]							
ख- समाज सेवाओं हेतु ऋण-							
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	**5.46**	**-**	-	0.05	-	(-)0.05	
						5.46	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	**1.93**	-	-	0.01	-	(-)0.01	
						1.93	
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	**35.30**	**-**	-	^	-	^	
						35.30	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	**0.13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						0.13	
समाज कल्याण और पोषण	**1,03.53**	**-**	-	0.24	-	(-)0.24	
						1,03.53	
अन्य समाज सेवाएं	**0.13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						0.13	
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण -							
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण	**40.65**	**-**	-	0.01	-	(-)0.01	
						40.65	
ग्रामीण विकास हेतु ऋण	**0.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						0.05	
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	**1.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						1.43	

[1] *ब्यौरे हेतु विस्तृत विवरण सं. 18 खण्ड-II के अनुभाग 1 का संदर्भ लें।*

(क) *सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) थी।*

(^) *पूरे विवरण में ₹ 0.01 करोड़ से कम नगण्य।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग 2: क्षेत्र-वार ऋणों व अग्रिमों का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान (क)	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ करोड़ में)
च- ऋण और अग्रिम-(समाप्त)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण -(समाप्त)							
ऊर्जा	**85.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						85.05	
उद्योगों एवं खनिजों हेतु ऋण	**7,99.63**	**-**	15.14	1.88	-	13.26	
						7,99.63	
परिवहन	**6,10.62**	**-**	23.00	-	-	23.00	
						6,10.62	
सामान्य आर्थिक सेवाएं	**34.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						34.96	
सरकारी सेवक	**21.57**	**-**	-	0.15	-	(-)0.15	
						21.57	
कुल	**17,40.44**	**-**	38.14	2.34	-	35.80	
						17,40.44	

(क) *सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग 3: ऋणी अधिष्ठान से बकायों में चुकौती का सारांश					
ऋणी-अधिष्ठान	**31 मार्च 2020 को बकायों की राशि**			**पूर्व अवधि जिससे बकाया संबंधित है**	**31 मार्च 2020 को अधिष्ठान के प्रति कुल बकाया ऋण**
	मूलधन	**ब्याज**	**कुल**		
					(₹ करोड़ में)

सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(समाप्त)

अनुभाग: 3 ऋणी अधिष्ठान से बकायों में चुकौती का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(क) कार्यालय महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार ऋण लेखेः सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों के संबंध में, जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, 2019-20 (31.03.2020 की समाप्ति) के अंत में कुल मूलधन ₹ 11.54 करोड़ के रूप में बकाया था, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	**लेखा शीर्ष**	**31.03.2020 को बकाया (₹ करोड़ में)**	
		मूलधन	**ब्याज**
1	7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि		
	201- गृह निर्माण अग्रिम (क)	-	-
		10.51	**0.39**
	202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	-	-
		1.03	**0.04**
	कुल	**-**	**-**
		11.54	**0.43**

(क) *हालांकि, गृह निर्माण अग्रिमों के ब्योरेवार लेखे प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में रखे जाते हैं, कम/ मध्यम आय समूह आवास योजनाओं हेतु ऋणों के ब्योरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।*

8. सरकार के निवेशों का विवरण

अक्टूबर से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश							
(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)							
							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**समुद्यम का नाम** (क)	**2019-20 (31-03-2020 की समाप्ति)**			**2019-20 (30-10-2019 की समाप्ति)**		
		समुद्यमों की संख्या	**31 मार्च 2020 के अंत में निवेश**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश**	**समुद्यमों के नाम**	**30 अक्टूबर 2019 के अन्त में निवेश**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान के दौरान प्राप्त ब्याज/ लाभांश**
1	सांविधिक निगम	3	57.51	शून्य			शून्य
			3,74.34 (ख)		3	3,74.33	
2	ग्रामीण बैंक	2	2.35	शून्य			शून्य
			45.82		2	45.82	
3	सरकारी कंपनियाँ	37	17.91	शून्य			शून्य
			29,59.71		37	29,59.71	
4	अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी	2	-	शून्य			शून्य
			0.34		2	0.34	
5	सहकारी बैंक/ सोसाइटियाँ	8	3.35	शून्य			शून्य
			47.83		8	47.83	
	कुल	52	81.12 (ग)	शून्य			शून्य
			(ख) **34,28.04** (ग)		52	**34,28.03**	

(क) *ब्योरे हेतु कृपया खण्ड-II में विवरण सं. 19 का संदर्भ लें।*

(ख) *संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधित आँकड़ों के कारण वित्त लेखे 01.04.2019 से 30.10.2019 में ₹ 0.01 करोड़ का अंतर है।*

(ग) *आँकड़े सरकार एवं संबंधित पीएसयू के अंतर्गत मिलानाधीन (दिसंबर 2020) हैं।*

9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

क. वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उठाये गए एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रकों में 31 मार्च 2020 को बकाया प्रत्याभूतित राशियाँ नीचे दी गयी हैं:-

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है)	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित राशि		31 अक्टूबर 2019 की शुरूआत में बकाया		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान अतिरिक्त		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान हटायी गयी		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 के अंत में बकाया (क)		प्रत्याभूति कमीशन या शुल्क (ख)		अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
1	विद्युत (2)*	29,72.65	16,38.11	-	-	13,25.49	-		-	-	-	13,25.49	-	-	-	-
				2,29.31								**2,29.31**				
2	सहकारी (6)*	1,10.87	23.32	-	-	0.58	-		-	-	-	0.58	-	-	-	-
				34.79								**34.79**				
3	राज्य वित्तीय निगम (1)*	50.00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				45.03								**45.03**				
4	अन्य संस्थान (7)*	4,08.26	1.65	-		-	-	(-)1.53		-	-	(-)1.53		-	-	-
				1,42.94	**1.65**							**1,42.94**	**1.65**			
5	कुल (16)*	35,41.76	16,63.08	-		13,26.07	-	(-)1.53		-	-	13,24.54 (ग)		-	-	-
				4,52.07	**1.65**							**4,52.07**	**1.65**			

** कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े सस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।*

(क) संघ शासित क्षेत्र बजट 2019-20 में दर्शाये गये 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूतियों की राशि विवरण में दर्शायी गयी राशि से भिन्न है। मामला संघ शासित क्षेत्र सरकार सहित संबंधित एजेन्सियों के साथ पत्राचाराधीन है, विवरण प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है।

(ख) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कोई कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया था।

(ग) कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-II विवरण संख्या 20 का सन्दर्भ लें।

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(i) नकद में प्रदत्त सहायता-अनुदान (i)							
अनुदानग्राही का नाम/ श्रेणी	अनुदान-सहायता के रूप में जारी कुल निधियाँ			कॉलम (नंबर 2) # में दर्शायी गयी कुल निर्गत निधियों में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियाँ			
	31-10-2019 से 31-03-2020			31-10-2019 से 31-03-2020			
	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)	कुल	
1	2			3			
							(₹ करोड़ में)
1	**शहरी स्थानीय निकाय-**						
(i)	नगर निगम	-	-	-	-	-	-
(ii)	नगरपालिकाएं/ नगर परिषद	1,65.49	-	1,65.49	-	-	-
(iii)	अन्य	1,39.87	-	1,39.87	-	-	-
2	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-**						
(i)	सरकारी कंपनियाँ	8.08	-	8.08	-	-	-
(ii)	सांविधिक निगम	23,87.68	-	23,87.68	-	-	-
3	**स्वायत्त निकाय-**						
(i)	विश्वविद्यालय	4,93.20	31.63	5,24.83	-	-	-
(ii)	विकास प्राधिकरण	48.43	-	48.43	-	-	-
(iii)	सहकारी संथान	2.25	-	2.25	-	-	-
(iv)	अन्य	2,83.24	4.05	2,87.29	-	-	-
4	**गैर-सरकारी संगठन**	1.50	0.52	2.02	-	-	-
5	**अन्य**	1,01.53	3,31.51	4,33.04	-	-	-
	कुल	**36,31.27**	**3,67.71**	**39,98.98** $	**-**	**-**	**-**

 # यूटी सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

$ पूँजीगत व्यय से प्राप्त ₹ 32.02 करोड़ शामिल हैं। कृपया "लेखाओं पर टिप्पणियाँ" खण्ड-I के अनुलग्नक- ख का संदर्भ लें।

(ii) विभिन्न रूप में दिया गया सहायता-अनुदान

विभिन्न रूप में दिये गये सहायता-अनुदान के संबंध में सूचना यूटी सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक		
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल
			(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	25,56.69	2,01,62.74	2,27,19.43
व्यय शीर्ष (पूँजीगत)	-	54,22.20	54,22.20
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अंतर्राज्यीय निपटारा और आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण के अंतर्गत संवितरण (क)	1,31,49.34	38.14	1,31,87.48
कुल	**1,57,06.03**	**2,56,23.08**	**4,13,29.11**
ङ. लोक ऋण-			
यूटी सरकार का आंतरिक ऋण	1,30,90.43	-	1,30,90.43
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	58.91	-	58.91
च. ऋण और अग्रिम-			
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-
समाज सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	-	38.14	38.14
सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि	-	-	-
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	-	-	-

(क) खण्ड-II के विवरण संख्या 17 और 18 में विस्तृत लेखा दिया गया है।

टिप्पणी- 31 अक्टूबर 2019 (नियुक्त दिवस) से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के गठन के कारण पूरे विवरण में पिछले वर्ष के शेष लागू नहीं हैं।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण-(समाप्त)

विवरण	**वास्तविक**		
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020		
	प्रभारित	**दत्तमत**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)	
झ. अंतर्राज्यीय निपटारा-			
अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-	-
ज. आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण-			
आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण	-	-	-

(i) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान कुल व्यय के लिए दत्तमत व्यय और प्रभारित व्यय का प्रतिशत इस प्रकार थाः-

	कुल व्यय का प्रतिशत	
वर्ष	**प्रभारित**	**दत्तमत**
2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)	38.00	62.00

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	अवधि के दौरान 31-10-2019 से 31-03-2020	31 मार्च 2020 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत व्यय और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
लोक निर्माण	**61,53.33**	-	4,47.21	4,47.21
				61,53.33
अन्य सामान्य सेवाएं	**16,63.49**	-	2,86.36	2,86.36
				16,63.49
समाज सेवाएं-				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	69,82.53	-	2,46.83	2,46.83
				69,82.53
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	49,14.19	-	3,96.24	3,96.24
				49,14.19
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,33,15.73	-	7,16.51	7,16.51
				1,33,15.73
सूचना एवं प्रसारण	33.49	-	0.35	0.35
				33.49
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	3,05.38	-	16.37	16.37
				3,05.38
समाज कल्याण और पोषण	31,48.46	-	1,10.78	1,10.78
				31,48.46
अन्य समाज सेवाएं	3,72.61	-	5.85	5.85
				3,72.61
कुल- समाज सेवाएं	**2,90,72.39**	-	14,92.93	14,92.93
				2,90,72.39
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	78,85.33	-	5,29.32	5,29.32
				78,85.33
ग्रामीण विकास	1,02,59.36	-	6,84.14	6,84.14
				1,02,59.36

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	अवधि के दौरान 31-10-2019 से 31-03-2020	31 मार्च 2020 को	
				(₹ करोड़ में)	
पूँजीगत व्यय और अन्य व्यय-					
पूँजीगत व्यय-					
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	36,88.82	-	-	-	
				36,88.82	
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	53,36.35	-	1,41.54	1,41.54	
				53,36.35	
ऊर्जा	1,42,12.80	-	1,85.21	1,85.21	
				1,42,12.80	(क)
उद्योग और खनिज	21,81.15	-	1,40.59	1,40.59	
				21,81.15	
परिवहन	1,39,99.18	-	6,60.35	6,60.35	
				1,39,99.18	
संचार	0.02	-	-	-	
				0.02	
विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	1,59.34	-	2.78	2.78	
				1,59.34	
सामान्य आर्थिक सेवाएं	83,89.20	-	8,51.77	8,51.77	
				83,89.20	(क)
कुल- आर्थिक सेवाएं	**6,61,11.55**	-	31,95.70	31,95.70	
				6,61,11.55	**(क)**
कुल-पूँजीगत सेवाएं	**10,30,00.76**	-	54,22.20	54,22.20	
				10,30,00.76	**(क)**
ऋण और अग्रिम-					
समाज सेवाएं-					
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5.46	-	(-)0.05	(-)0.05	
				5.46	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.93	-	(-)0.01	(-)0.01	
				1.93	

(क) कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्षों 4801 तथा 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण- (जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	अवधि के दौरान 31-10-2019 से 31-03-2020	31 मार्च 2020 को	
				(₹ करोड़ में)	
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)					
समाज सेवाएं-(समाप्त)					
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	35.30	-	*	*	
				35.30	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	0.13	-	-		
				0.13	
समाज कल्याण और पोषण	1,03.53	-	(-)0.24	(-)0.24	
				1,03.53	
अन्य समाज सेवाएं	0.13	-			
				0.13	
कुल समाज सेवाएं	**1,46.48**	-	(-)0.30	(-)0.30	
				1,46.48	
आर्थिक सेवाएं-					
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	40.65	-	(-)0.01	(-)0.01	
				40.65	
ग्रामीण विकास	0.05	-	-	-	
				0.05	
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.43	-	-	-	
				1.43	
ऊर्जा	85.05	-	-	-	
				85.05	(ख)
उद्योग और खनिज	7,99.63	-	13.26	13.26	
				7,99.63	
परिवहन	6,10.62	-	23.00	23.00	
				6,10.62	

* *नगण्य*

(ख) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	अवधि के दौरान 31-10-2019 से 31-03-2020	31 मार्च 2020 को	
				(₹ करोड़ में)	
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)					
आर्थिक सेवाएं-					
सामान्य आर्थिक सेवाएं	34.96	-	-	-	
				34.96	
कुल- आर्थिक सेवाएं	**15,72.39**	-	36.25	36.25	
				15,72.39	
सरकारी सेवकों को ऋण	**21.57**	-	(-)0.15	(-)0.15	
				21.57	
कुल-ऋण और अग्रिम	**17,40.44**	-	35.80	35.80	
				17,40.44	(ख)
कुल-पूँजीगत और अन्य व्यय	**10,47,41.20**	-	54,58.00	54,58.00	
				10,47,41.20	
कटौती					
आकस्मिकता निधि से अंशदान					
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	28.10	-	-	-	
				28.10	
विकास निधियों, आरक्षित निधियों इत्यादि से अंशदान	-	-	-	-	
निवल- पूँजीगत और अन्य व्यय	**10,47,13.10**	-	54,58.00	54,58.00	
				10,47,13.10	
निधियों के प्रधान स्रोत					
2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020) हेतु राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)			**(-)1,62.09**		
जोड़-सेवानिवृत्ति/ विनिवेश के कारण समायोजन	**(-)28.10**	-	**-**	-	
				(-)28.10	

(ख) कृपया खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। खण्ड-II के विवरण संख्या 16 के मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि	अवधि के दौरान 31-10-2019 से 31-03-2020	31 मार्च 2020 को
				(₹ करोड़ में)
निधियों के प्रधान स्रोत				
ऋण-				
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	4,54,29.09	-	35,56.94	35,56.94
				4,54,29.09
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	12,37.13	-	(-)58.91	(-)58.91
				12,37.13
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,71,61.62	-	10,41.80	10,41.80
				2,71,61.62
कुल- ऋण	**7,38,27.84**	-	45,39.83	45,39.83
				7,38,27.84
अन्य देयताएं-				
आकस्मिकता निधि	1.00	-	-	-
				1.00
आरक्षित निधियाँ	28,05.43	-	1,86.95	1,86.95
				28,05.43
जमा एवं अग्रिम	69,01.54	-	7,73.57	7,73.57
				69,01.54
उचंत और विविध (सरकारी लेखाओं और नकद शेष निवेश लेखा में पड़ी राशि के अलावा)	(-)3,49.24	-	2,03.71	2,03.71
				(-)3,49.24
प्रेषण	28,47.49	-	13,98.31	13,98.31
				28,47.49
कुल - अन्य देयताएं	**1,22,06.22**	-	25,62.54	25,62.54
				1,22,06.22
कुल- ऋण और अन्य देयताएं	**8,60,34.06**	-	71,02.37	71,02.37
				8,60,34.06

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित राशि**	**अवधि के दौरान 31-10-2019 से 31-03-2020**	**31 मार्च 2020 को**	
				(₹ करोड़ में)	
कटौती- नकद शेष	(-)4,41.95	-	14,82.28	14,82.28	
				(-)4,41.95	
कटौती- निवेश	3,94.78	-	-	-	
				3,94.78	
जोड़-31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि हेतु सरकारी लेखा को बंद राशि	-	-	-	-	
				-	
निधियों का निवल प्रावधान	**8,60,53.13**	-	54,58.00	56,20.09	$
				8,60,53.13	

$ *राजस्व घाटे ₹1,62.09 करोड़ से ₹ 56,20.09 करोड़ तक भिन्न है।*

(₹ 1,62.09 करोड़ राजस्व घाटा) 31 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के अंत तक की अवधि हेतु पूँजीगत और अन्य व्यय के मध्य ₹ 1,62.09 करोड़ का अंतर भी था और इसलिए, निधियों का निवल प्रावधान संचयी राजस्व घाटा और संघ शासित क्षेत्र लेखा में संवृत राशि को दर्शाता है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2020 तक शेषों का सारांश है

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

नामे शेष (₹ करोड़ में)		सामान्य लेखा का क्षेत्रक	लेखा का नाम	खाते शेष (₹ करोड़ में)
			समेकित निधि	
8,43,40.79	[1]	क से घ और, ठ का भाग (एमएच 8680 मात्र)	सरकारी लेखा	
55,84.29	[1]			
		ङ	लोक ऋण	34,98.03
				4,66,66.22
35.80		च	ऋण और अग्रिम	
17,40.44	($)			
			आकस्मिकता निधि	
			आकस्मिकता निधि	-
				1.00
			लोक लेखा	
		झ	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	10,41.80
				2,71,61.62
		ञ	**आरक्षित निधियाँ**	
			(i) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	
			सकल शेष	2,31.47
				12,71.48
-			निवेश	
10.86	(^)			
			(ii) ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ	
			सकल शेष	(-)44.52
				15,33.95
			निवेश	
		ट	**जमा और अग्रिम**	
			(i) ब्याज वहन करने वाले जमा	3,12.36
				53.67
			(ii) ब्याज वहन न करने वाले जमा	4,61.21
				68,60.56
-			(iii) अग्रिम	
12.69				

[1] *कृपया खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 56 को यह समझने के लिए देखें की ये आँकड़े किस प्रकार आये हैं।*

$ *कृपया मुख्य शीर्ष 4801 और 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

^ *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(जारी)

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2020 तक शेषों का सारांश है

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

नामे शेष		**सामान्य लेखा का क्षेत्रक**	**लेखा का नाम**	**खाते शेष**
(₹ करोड़ में)				**(₹ करोड़ में)**
		ठ	**उचंत और विविध**	
-			निवेश	
3,83.92	(^)			
-			अन्य मद (निवल)	2,03.71
3,49.24				
		ड़	**प्रेषण**	13,98.31
				28,47.49
14,82.28	(*)	ढ़	**नकद शेष**	
(-)4,41.95				
71,02.37				71,02.37
8,63,95.99			**कुल**	**8,63,95.99**

^ निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

** जैसा कि रिज़र्व बैंक में जमा राशि के संबंध में जो कि सरकार के नकद शेष का घटक है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताये गये आँकड़ों और लेखाओं में प्रतिबिम्बित आँकड़ों में भिन्नता थी। कृपया पृष्ठ संख्या 7 के विवरण संख्या 2 के अनुलग्नक के अधीन '@' पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

ख सरकारी लेखाः सरकारी लेखे में अनुसरण की जाने वाली बहीखाता प्रणाली के अंतर्गत, सरकार के राजस्व, पूँजीगत और अन्य संव्यवहारों के अंतर्गत बुक की गयी राशि, जिसकी शेष राशि को लेखे में वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, को एक एकल शीर्ष "सरकारी लेखा" में रखा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष ऐसे सभी संव्यवहारों के संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।
इसके लिए लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं एवं अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अलावा), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के अंतर्गत शेष राशि जोड़ी जाती है और वर्ष के अंत (31 मार्च 2020) में नकद शेष को ज्ञात और प्रमाणित किया जाता है।
सारांश में अन्य शीर्षकों में सरकारी लेखा बही में सभी लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ध्यान में रखा गया है जिसके संबंध में सरकार को प्राप्त धन का भुगतान करने की देयता है या भुगतान की गयी राशि की वसूली करने का दावा है और लेखाबही में प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिए खोले गये लेखा शीर्ष भी हैं।
यह समझना चाहिए कि इन शेषों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो राज्य की सभी भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार इत्यादि और न ही किसी प्रोद्भूत बकाया या किसी बकाया देयता को हिसाब में लिया जाता जिसको सरकार द्वारा अनुसरण किये जाने वाले लेखांकन के नकद आधार के अंतर्गत लेखा में नहीं लाया जाता है।
वर्ष (31 मार्च 2020) के अंत में सरकारी लेखा के डेबिट पर प्राप्त हुयी निवल राशि निम्नलिखित है:

डेबिट		**विवरण**	**क्रेडिट**
(₹ करोड़ में)			**(₹ करोड़ में)**
8,43,40.79*	क.	30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
		31 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
-	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	2,25,57.34
-	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
2,27,19.43	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
54,22.20	ङ.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
-	च.	उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे)	-
-	छ.	30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
		31 मार्च 2020 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	55,84.29
2,81,41.63		**कुल**	2,81,41.63
8,43,40.79			**8,43,40.79**

(i) कई मामलों में, अंत शेष में असंगत असमानता है जैसा कि प्राप्तियाँ, संवितरण और आकस्मिकता निधि और लोक लेखा (विवरण संख्या 21) के ब्योरे में बताया गया है और लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेखो में दर्शाया गया है। विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ii) शेषों को उनके सत्यापन और स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) जिन मामलों में शेषों की स्वीकृतियों में विलंब हुआ है और जिनमें सम्मिलित राशियाँ महत्त्वपूर्ण हैं, उनका उल्लेख परिशिष्ट-VII क खण्ड-II में किया गया है।

(iv) शेषों के मिलान से संबंधित ऐसे मामले जिनमें विवरण/ दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, का वर्णन परिशिष्ट-VII ख खण्ड-II में दिया गया है।

* *कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः संदर्भ लें।*

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार-

i अधिष्ठान और लेखांकन अवधि

वित्त लेखे 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के संदर्भ में 31 अक्टूबर 2019 के 'नियुक्त दिवस' के पश्चात् अनुभाग 'क' के रूप में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और अनुभाग 'ख' के रूप में संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संव्यवहारों को प्रस्तुत करता है। इस तिथि से तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख में द्विभाजित किया गया था।

संघ शासित क्षेत्र लद्दाख से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं (लेखाओं पर टिप्पणियाँ) को वित्त लेखे खण्ड-I के अनुभाग 'ख' के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया गया है।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (अनुभाग 'क') के वित्त लेखाओं को 20 जिला कोषागारों को सम्मिलित करते हुए 121 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है। अप्रैल 2016 से, पूँजीगत अनुभाग के संबंध में तथा अप्रैल 2017 से निर्माण एवं वन प्रभागों से संबंधित राजस्व अनुभाग के संबंध में, जम्मू एवं कश्मीर सरकार सिविल लेखांकन प्रणाली में बदल गयी। तदनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान निर्माण एवं वन प्रभागों से कोई मासिक लेखा देय नहीं था।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान मासिक लेखाओं के प्रतिपादन में 03 से 18 दिवसों तक की देरी हुयी। हालांकि, वर्ष 2019-2020 के अंत (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया है।

ii लेखांकन का आधार

कुछ आवधिक समायोजनों और बही समायोजनों के अपवाद के साथ जिनमें कोई वास्तविक नकदी प्रवाह नहीं होता है **(अनुलग्नक-क)**, प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक परिसंपत्तियों जैसे इमारतें, मशीनरी, उपकरण वाहन इत्यादि और वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे सरकारी निवेश, सरकार द्वारा ऋण इत्यादि को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है अर्थात् अधिग्रहण/ खरीद के समय मूल्य या मूल निवेश या ऋण का मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का अवमूल्यन नहीं किया जाता और वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों के जीवन काल के अंत में हुई हानि को मूल्यांकित व

पहचाना नहीं जा सका। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक संवितरित सभी सेवानिवृत्त लाभों को लेखाओं में व्यय के रूप में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2020 को संघ शासित क्षेत्र सरकारों की पेन्शन देयता अर्थात् अतीत के लिए सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान के प्रति देयता और उसके कर्मचारियों की वर्तमान सेवाओं को लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है।

iii मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के लेखे भारतीय रुपये में अनुरक्षित किये जाते हैं।

iv लेखाओं का स्वरूप

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत संघ और संघ शासित क्षेत्रों के लेखाओं को ऐसे स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त "स्वरूप" शब्द का एक व्यापक अर्थ है ताकि न केवल लेखाओं को रखने वाले व्यापक स्वरूप के निर्धारण को शामिल किया जा सके, बल्कि उचित लेखा शीर्षों के चयन का आधार भी हो सके जिसके अंतर्गत संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाना है।

v राजस्व या पूँजीगत के रूप में व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्तक प्रकृति के होते हैं तथा राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त किये जाने हेतु अभिप्रेत होते हैं। पूँजीगत व्यय को, सामग्री और दीर्घकालिक प्रकृति की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने या दीर्घकालिक देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार के लेखा मानकों (आईजीएएस-2) के अनुसार अनुदान सहायता (जीआईए) पर व्यय को अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना अनुदानकर्त्ता के बहीखाते में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्त्ता के बहीखाते में राजस्व रसीद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत सरकार और संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों और विशेष प्रयोजन वाहनों को वितरित सहायता अनुदान, केन्द्रीय और राज्य योजनाओं पर या सहायता के रूप में व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जिसको संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में भी माना जाता है।

मदों पर बजटीय आबंटन के अनुसार राजस्व प्रकृति के निम्नलिखित संव्यवहार, जिनका मूल्य ₹ 271.31 करोड़ है, को पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया है जो नीचे दर्शाये गये हैं:

क. पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान

लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान के प्रावधानों के विपरीत संघ शासित क्षेत्र सरकार ने पूँजीगत व्यय के रूप में ₹ 32.02 करोड़ के सहायता अनुदान को संवितरित किया।

ख. खाद्यान्नों की परिचालन लागत और परिवहन/ संभलाई प्रभार

संघ शासित क्षेत्र सरकार के उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पूँजीगत व्यय के रूप में खाद्यान्नों के परिचालन/ परिवहन लागत/ संभलाई प्रभार पर ₹ 151.43 करोड़ के बराबर (शीर्ष- 4235/60/800 के अंतर्गत ₹ 35.80 करोड़ और शीर्ष -4408/01/101 के अंतर्गत ₹ 115.63 करोड़) के राजस्व प्रकृति का व्यय बुक किया।

ग. पूँजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किया गया वजीफा एवं छात्रवृत्ति

संघ शासित क्षेत्र सरकार ने पूँजीगत व्यय के रूप में वजीफा और छात्रवृत्ति पर ₹ 0.17 करोड़ का बजट तैयार और बुक किया।

घ. पूँजीगत व्यय के अंतर्गत बुक की गयी सहायिकी

संघ शासित क्षेत्र सरकार ने सहायिकी के रूप में ₹ 87.69 करोड़ खर्च किये और इसे पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया।

इसका विवरण **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

vi लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार ने भारतीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) की अनुशंसा पर सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों (आईजीएएस-1), सरकार द्वारा संवितरित सहायता अनुदानों (आईजीएएस-2) तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों (आईजीएएस-3) के लेखांकन, वर्गीकरण और प्रकटन हेतु भारत सरकार लेखांकन मानक को अधिसूचित किया गया है। संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रकटन के लिए अधिसूचित प्रोफॉर्मा के अनुसार पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु वार्षिक वित्त लेखे {विवरण सं. 7, 9, 10 (खण्ड-I), 18, 20 तथा परिशिष्ट-III (खण्ड-II)} में केवल उपलब्ध सूचना ही निगमित हो पायी है।

2. लेखाओं की गुणवत्ता-

i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रहण ₹ 767.75 करोड़ था। वस्तु

एवं सेवा कर के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,115.75 करोड़ थी। संघ शासित क्षेत्र को, उपर्युक्त अवधि के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि पर ₹ 1,247.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुयी।

ii लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय का संचालन तभी करना होता है जब लेखाओं में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन हेतु लघु शीर्ष 800 का नियमित संचालन राजस्व या व्यय की अपनी समुचित वस्तु हेतु प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किये बिना लेखाओं को अपारदर्शिता प्रदान करता है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान ₹ 1,962.50 करोड़ (जिसमें मुख्य शीर्ष- 0801 के अंतर्गत विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹ 1,196.66 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं) लेखाओं के 37 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 22,557.34 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 8.70 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, लेखाओं के 47 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,647.03 करोड़ का व्यय, जोकि ₹ 28,141.63 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 9.41 प्रतिशत है, लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया था। ऐसे उदाहरण, जहाँ मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय को पर्याप्त अनुपात में (50 प्रतिशत या अधिक/ महत्त्वपूर्ण राशि) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत/ बुक किया गया था, क्रमशः **(अनुलग्नक ग एवं घ)** में सूचीबद्ध हैं।

iii बकाया/ असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

(क) 31 मार्च 2020 को, 31 अक्टूबर 2019 से 31 जनवरी 2020 (पुनर्गठन के उपरांत) तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा आहरित ₹ 348.31 करोड़ की राशि के 53 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष*	**लंबित डीसी बिलों की संख्या (#)**	**राशि (₹ करोड़ में)**
2019-20 31.10.2019 से 31.01.2020	53	348.31
कुल	**53**	**348.31**

(*) उपर्युक्त बताये गये वर्ष का संबंध 'देय वर्ष' से है अर्थात् वास्तविक आरहण के दो माह उपरांत तथा 31 मार्च 2020 तक लेखे समायोजन।

(#) 13 विभागों द्वारा आहरित।

ये अधिकांश डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे;

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**बकाया राशि**	**31 मार्च 2020 तक ₹ 348.31 करोड़ की कुल बकाया राशि का प्रतिशत**
1.	लोक निर्माण	150.97	43.34
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	74.27	21.32
3.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	41.37	11.88
4.	आवास और शहरी विकास	30.42	8.73
5.	राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	16.51	4.74
6.	पशुपालन	11.16	3.20

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान आहरित ₹ 3,030.20 करोड़ की राशि के 270 एसी बिलों में से, ₹ 2,249.82 करोड़ (74.25 प्रतिशत) की राशि के 199 एसी बिलों का आहरण अकेले मार्च 2020 में किया गया था और ₹ 1,738.72 करोड़ (77.28 प्रतिशत) की राशि के 102 एसी बिलों का आहरण मार्च 2020 के अंतिम दिवस को किया गया था। मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय यह इंगित करता है कि आहरण प्रथमतया बजटीय प्रावधानों को समाप्त करने हेतु किये गये थे तथा अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करते हैं।

(ख) इसके अतिरिक्त, नीचे दिये गये विवरणानुसार, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक आहरित ₹ 7,219.07 करोड़ की राशि के 2,287 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल 31 मार्च 2020 तक प्रतीक्षित थे। आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य इन बकाया डीसी बिलों का अभी तक द्विविभाजन किया जाना है।

वर्ष*	**लंबित डीसी बिलों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
2017-18 तक	1,901	2,304.68
2018-19	244	2,607.37
2019-20 (31.08.2019 तक)	116	2,233.96
2019-20 (01.09.2019 से 30.10.2019)	26	73.06
कुल	**2,287**	**7,219.07**

(*) उपर्युक्त बताये गये वर्ष का संबंध 'देय वर्ष' से है अर्थात् वास्तविक आरहण के दो माह उपरांत तथा 31 मार्च 2020 तक लेखे समायोजन।

ये अधिकांश डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे;

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**बकाया राशि**	**31 मार्च 2020 तक ₹ 7,219.07 करोड़ की कुल बकाया राशि का प्रतिशत**
1.	शिक्षा	2,746.71	38.05
2.	ग्रामीण विकास	2,288.90	31.71
3.	गृह	494.49	6.85
4.	कृषि	328.66	4.55
5.	चिकित्सा	203.80	2.82
6.	राजस्व	214.16	2.97
7.	उद्योग	180.09	2.49

iv बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)

30 सितंबर 2018 तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा निर्मोचित अनुदानों हेतु 31 मार्च 2020 को अप्रभाजित बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) की स्थिति निम्नानुसार हैः

वर्ष*	**प्रतीक्षित यूसी की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
2017-18 तक	1,370	5,972.99
2018-19	403	2,218.09
2019-20 (30.04.2018 तक)	256	1,163.41
2019-20 (30.09.2018 तक)	176 (#)	1,087.09
कुल	**2,205**	**10,441.58**

(*) उपर्युक्त बताये गये वर्ष का संबंध 'देय वर्ष' से है अर्थात् वास्तविक आरहण के 18 माह उपरांत तथा 31 मार्च 200 तक लेखे समायोजन।

 # 10 विभागों द्वारा आहरित।

इन यूसी में से अधिकांश निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित हैं;

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**बकाया राशि**	**31 मार्च 2020 को ₹ 10,441.58 करोड़ की कुल बकाया राशि का प्रतिशत**
1.	शिक्षा	5,798.71	55.53
2.	आवास एवं शहरी विकास	1,425.69	13.65
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	796.29	7.63
4.	कृषि	742.43	7.11
5.	पर्यटन	272.74	2.61

उद्देश्य जिसके लिए निर्मोचित सहायता अनुदान का उपयोग किया गया, उसकी पुष्टि केवल उपयोगिता प्रमाण प्रत्रों (यूसी) की प्राप्ति पर ही की जा सकती है, जो अन्य प्रयोजनों हेतु निधियों के अपयोजन के प्रति संरक्षण का कार्य करता है। अत: लेखाओं में दर्शाये गये व्यय की यूसी को प्राप्त न होने की सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता और न ही इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि राशि उस उद्देश्य हेतु ही खर्च की गयी है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था।

v नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की बजट नियमपुस्तक के पैरा 20.3.1 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को उनके कार्यालय में बुक लेखाओं (प्राप्तियों एवं व्यय की प्रत्येक मद) को महालेखाकर कार्यालयों में बुक लेखाओं से मिलान कराये जाने की आवश्यकता होती है और 15 जून तक इस मिलान की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान, 359 नियंत्रण अधिकारियों में से 214 ने ₹ 18,623.34 करोड़ की प्राप्तियों (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हुए ₹ 22,557.34 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 82.56 प्रतिशत) तथा ₹ 10,966.92 करोड़ के व्यय (लोक ऋण को सम्मिलित न करते हए ₹ 28,141.63 करोड़ के कुल व्यय का 38.97 प्रतिशत) का मिलान किया था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के प्रयोजन हेतु केवल एक साइबर कोषागार था। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान साइबर कोषागार के साथ यूटीजीएसटी के मिलान को संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि कोषागार द्वारा त्रुटि ज्ञापन को सृजित करने की कोई क्रियाविधि नहीं अपनाई गयी है। यद्यपि, मामला सरकार और आरबीआई साथ उठाया गया था,

तथापि, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है। नियंत्रण अधिकारी (जहाँ व्यय का अधिकांश हिस्सा सम्मिलित है) जिन्होंने अपने लेखाओं का पूर्णतः या अंशतः मिलान नहीं किया था उनका ब्यौरा **अनुलग्नक-ङ** में दिया गया है।

vi रोकड़ शेष

महालेखाकार के बहीखातों में प्रतिबिम्बित (₹ 1,482.28 करोड़) और आरबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ₹ 1,482.86 करोड़ (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक के संव्यवहारों और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक लद्दाख यूटी से संबंधित संव्यवहारों को हटाकर महालेखाकार द्वारा आंकलित) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ सरकार के रोकड शेष के मध्य 31 मार्च 2020 तक ₹ 0.58 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, बैंक से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा दावों के गैर-निपटान, विलंब पर किसी दण्ड-स्वरूप ब्याज का दावा नहीं किया गया था।

30 अक्टूबर 2019 को आरबीआई और महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य भी ₹ 83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। पिछले पाँच वर्षों का आरबीआई के साथ अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विभेदक रोकड़ शेष और 30 अक्टूबर 2019 को उसकी स्थिति नीचे दर्शायी गयी है।

वर्ष	**आरबीआई के अनुसार आँकड़े**	**एजी के अनुसार आँकड़े**	**अंतर (₹ करोड़ में)**
2018-19	(क्रे.) 1.15	(डे.) 43.34	(डे.) 42.19
2017-18	(डे.) 1.11	(क्रे.) 125.76	(क्रे.) 124.65
2016-17	(क्रे.) 0.09	(डे.) 0.18	(डे.) 0.09
2015-16	(डे.) 0.12	(डे.) 81.91	(डे.) 82.03
2014-15	(डे.) 1.45	(डे.) 8.53	(डे.) 9.98

पिछले वर्षों (वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि हेतु) के संबंध में भी ₹ 92.19 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर है। यह अंतर मुख्यतः एजेन्सी बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा आरबीआई और महालेखाकार के साथ आँकड़ों के गैर-मिलान के कारण है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 15030/32/2019-जेके-पार्ट दिनांक 25 अक्टूबर 2019 के अनुदेशों की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र आरबीआई के साथ 31 अक्टूबर 2019 के 'नियुक्त दिवस' के पश्चात् भी उसी तरह से

लेखा का परिचालन करना जारी रखेगा जैसे वह तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के साथ परिचालित करता था।

3. अन्य मदें-

i (क) सेवानिवृत्त लाभों पर देयताएं

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों पर "पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों" का खर्च ₹ 2,095.31 करोड़ (अवकाश नकदीकरण लाभों के प्रति ₹ 297.32 करोड़ सहित) था, जो ₹ 22,719.43 करोड़ के कुल राजस्व व्यय का 9.22 प्रतिशत है तथा ₹ 22,557.34 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.29 प्रतिशत है।

(ख) परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना

परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनानुसार, 1 जनवरी 2010 को या उसके बाद भर्ती किये गये संघ शासित क्षेत्र सरकार के कर्मचारी इस योजना द्वारा कवर किये गये हैं, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान करते हैं, जिसे समान राशि सहित संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा सुमेलित किया जाता है।

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार ने सरकारी अंश के रूप में ₹ 2.30.31 करोड़ की राशि का अंशदान किया तथा कर्मचारियों ने भी अपने हिस्से का ₹ 240.07 करोड़ का अंशदान किया। संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹ 9.76 करोड़ की सीमा तक कम अंशदान किया गया था। ₹ 470.38 करोड़ की संपूर्ण राशि सरकारी कर्मचारियों हेतु मुख्य शीर्ष 8342- "अन्य जमाएं" के अधीन लघु शीर्ष 117- "सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना" (नई पेन्शन योजना) में हस्तांतरित की गयी थी। ₹ 470.38 करोड़ में से, ₹ 453.09 करोड़ जमा लेखा के इस शीर्ष से राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को, ₹ 17.29 करोड़ की राशि (जो ब्याज वहन करने वाले जमा होते हैं) सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य शीर्ष 8342-"अन्य जमाएं" 117-"परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना" (नयी पेन्शन योजना) के अंतर्गत पड़ी हुयी थी जिसे एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित करना प्रतीक्षित था। इसके अलावा, 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) को समाप्त अवधि हेतु तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 53.67 करोड़ की देयता भी एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित की जानी थी। चूँकि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कर्मचारी के व्यक्तिगत अंशदान के लेखे अनुरक्षित नहीं कर रहा है, कर्मचारी के वेतन बिलों से वसूली की परिशुद्धता को प्रमाणित नहीं किया जा सका। संघ शासित क्षेत्र सरकार और

एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक (दिसंबर 2020) के साथ हस्तांतरित लेखे का कोई मिलान संचालित नहीं किया जा सका।

प्रोद्भूत ब्याज सहित असंग्रहित, असुमेलित और अहस्तांतरित राशियाँ योजना के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार की बकाया देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी गणना नहीं की गयी है।

ii राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेषों का नियतन

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 84 और 85) तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2020 में वह तरीका उपबंधित है जिसके द्वारा शेषों को 31 अक्टूबर 2019 से आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

यद्यपि, इस संबंध में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी, परंतु 30 अक्टूबर 2019 तक के सभी शेषों को आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (दिसंबर 2020) के मध्य प्रभाजित किया जाना है, परिणामस्वरूप लेखाओं के कुछ शीर्षों के अंतर्गत विपरीत शेष रहे। उक्त अवधि हेतु अप्रभाजित मदों का विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II के **परिशिष्ट-XIII** में दिया गया है।

iii प्रत्याभूतियाँ

संघ शासित क्षेत्र सरकार ने कोई विशिष्ट प्रत्याभूति अधिनियम नहीं बनाया है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा और उस पर प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क को प्रभारित करना निर्धारित करे। 31 मार्च 2020 तक संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ संकलित रूप में ₹ 1,324.54 करोड़ (दिसंबर 2020 सरकार के साथ मिलान के अधीन) थी। 30 अक्टूबर 2019 तक ₹ 452.07 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ भी हैं जिन्हें अभी तक प्रभाजित (दिसंबर 2020) किया जाना है।

iv ऋण और अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर (जिसके लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर विस्तृत लेखे अनुरक्षित करते हैं), अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों, जैसा कि विवरण 7 और 18 में दर्शाया गया है, संबंधी सूचना संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर होती है जो कि ऐसे लेखाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होते हैं। विवरण 7 और 18 में, बकायों में वसूलियों और उन पर प्रोद्भूत ब्याज के विवरण नहीं हैं क्योंकि उक्त सूचना संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है। वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से

31 मार्च 2020) के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न अधिष्ठानों को ₹ 38.14 करोड़ की राशि के ऋण (जिसमें सरकारी सेवकों को शून्य सम्मिलित है) दिये गये थे तथा 31 मार्च 2020 तक ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में ₹ 35.80 करोड़ के निवल बकाया ऋणों को छोड़ते हुए, ₹ 2.34 करोड़ (सरकारी सेवकों से ₹ 0.15 करोड़ और अन्य अधिष्ठानों से ₹ 2.19 करोड़) प्राप्त हुए थे। ₹ 35.80 करोड़ के अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹ 1,740.44 करोड़ का बकाया शेष था जिसे 30 अक्टूबर 2019 तक ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना था।

v निवेश

क) संघ शासित क्षेत्र सरकार, संघ शासित क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी संस्थानों की इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा किया गया निवेश ₹ 81.12 करोड़ है (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है)।

क्र. सं.	**संबंधित का नाम**	**अधिष्ठानों की संख्या**	**निवेश की राशि (₹ करोड़ में)**
1.	सांविधिक निगम	3	57.51
2.	ग्रामीण बैंक	2	2.35
3.	सरकारी कम्पनियाँ	37	17.91
4.	अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारी	2	-
5.	सहकारी बैंक/ सोसाइटियाँ	8	3.35
	कुल	**52**	**81.12**

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान किसी भी अधिष्ठान से कोई भी लाभांश या ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था।

ख) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ₹ 66.78 करोड़ की राशि को पूँजीगत अनुभाग के अधीन लेखा के मुख्य शीर्षों से संबधित अधीनस्थ लघु शीर्ष "190-लोक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत आहरित और बुक किया था। बुक की गयी राशि के प्रति, संबंधित पीएसयू ने ₹ 81.12 करोड़ का निवेश दर्शाया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लेखे (खण्ड-II) के विवरण सं. 16 और 19 के मध्य ₹ 14.34 करोड़ का अंतर था। इसके अलावा, पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने ₹ 3.35 करोड़ का निवेश दर्शाया था। संबंधित पीएसयू का नाम प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है। अंतर का विवरण **अनुलग्नक-च** में दिया गया है।

ग) 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) के अंत में 52 अधिष्ठानों में तत्कालीन राज्य द्वारा किया गया कुल निवेश ₹ 3,428.04 करोड़ (मिलान नहीं की गयी सूचना/ पीएसयू से प्राप्त आँकड़े) था, जिसके लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (दिसंबर 2020) के मध्य कोई प्रभाजन नहीं किया गया है। तथापि, इन आँकड़ों को उन अधिष्ठानों के साथ मिलान किये जाने की आवश्यकता है जहाँ 30 अक्टूबर 2019 तक निवेश किये गये थे।

vi आरक्षित निधियाँ

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, विशिष्ट प्रयोजन हेतु चिह्नित छह आरक्षित निधियाँ (दो ब्याज वहन करने वाली निधियों को सम्मिलित करते हुए) थी। इन निधियों (अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को हटाते हुए) के अंतर्गत कुल संचित शेष ₹ 186.95 करोड़ था। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने 31 मार्च 2020 को ₹ 186.95 करोड़ की आरक्षित निधियों के अंतर्गत उपलब्ध शेष में से, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान किसी राशि का निवेश नहीं किया था।

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), जो कि एक ब्याज वहन करने वाली निधि है, से 10.86 करोड़ के निवेश सहित 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर इन निधियों में कुल 2,805.43 करोड़ का संचित सकल शेष और 2,794.57 करोड़ का निवल शेष था। तथापि, इन शेषों को आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि

(i) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, एसडीआरएफ हेतु भारत सरकार द्वारा कोई राशि निर्गत नहीं की थी। तथापि, ₹ 134.41 करोड़ की राशि ("अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं" के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ₹ 97.65 करोड़ का केन्द्रीय अंश, ₹ 10.85 करोड़ संघ शासित क्षेत्र जेएण्डके अंश और ₹ 25.91 करोड़ ब्याज) कोष को अंतरित की गयी थी।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, 31 मार्च 2020 को कोष में ₹ 176.90 करोड़ का नामे शेष छोड़ते हुए, ₹ 311.31 करोड़ (एमएच-2245 को नामे कटौती द्वारा ₹ 80.82 करोड़ और कोष से सीधे ही ₹ 230.49 करोड़) का व्यय प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया था।

दो नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य 30 अक्टूबर 2019 तक नामे शेष राज्य आपदा

प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹ 1,271.48 करोड़ के गैर-प्रभाजन के कारण है। ₹ 1,260.62 करोड़ का निवल अप्रभाजित शेष छोड़ते हुए कोष से ₹ 10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था।

(ii) प्रतिकर वन-रोपण कोष

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹ 295.06 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष- 8336-103- "राज्य प्रतिकर वन-रोपण कोष" के अंतर्गत ऋ- 'जमाएं' के नामे की गयी थी और ₹ 408.37 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष- 8121-129- "राज्य प्रतिकर वन-रोपण कोष" के अंतर्गत ट-'आरक्षित निधियाँ' को अंतरित की गयी थी। उक्त अवधि के दौरान जमा/ आरक्षित में यथापेक्षित कोई ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया था।

(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ (परिचालित निधियाँ)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, चार ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ थी, नामतः मुख्य शीर्ष- 8229-'विकास एवं कल्याण निधियाँ' {₹ 50.88 करोड़ (डेबिट)} के अंतर्गत लघु शीर्ष-200-'अन्य विकास एवं कल्याण निधि', लघु शीर्ष 105- 'सामान्य बीमा निधि- जनता बीमा' (₹ 4.03 करोड़), मुख्य शीर्ष 8235-'सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत लघु शीर्ष- 117-'प्रत्याभूति मोचन निधि' (₹ 1.00 करोड़) एवं लघु शीर्ष- 200-'अन्य निधियाँ' (₹ 1.33 करोड़)। 31 मार्च 2020 के अंत तक इन चार परिचालित निधियों में कुल संचित शेष ₹ 44.52 करोड़ (डेबिट) है। 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक ₹ 838.11 करोड़ की राशि के शेषों को पाँच परिचालित आरक्षित निधियों के अंतर्गत अभी तक प्रभाजित किया जाना है। इसका परिणाम भी मुख्य शीर्ष- 8229-200-'अन्य विकास एवं कल्याण निधि' के अंतर्गत ₹ 50.88 करोड़ के नामे शेष के रूप में हुआ है।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण परिचालित आरक्षित निधियों का विवरण निम्नलिखित हैः

(i) प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ)

प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर 2013 के आरबीआई के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि सरकार के लिए यह वांछनीय है कि वह निधि के गठन के वर्ष के आरंभ में बकाया प्रत्याभूतियों के न्यूनतम एक प्रतिशत का योगदान करे और उसके बाद पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के न्यूनतम तीन से पाँच प्रतिशत के कोष प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत का योगदान करे।

दिशानिर्देशों के अनुसार, पाँच महीनों (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु जीआरएफ में योगदान की अपेक्षित राशि का आंकलन नहीं किया जा सका क्योंकि बकाया प्रत्याभूतियों को अभी तक दो नये संघ शासित क्षेत्र अर्थात् संघ शासित क्षेत्र

जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (दिसंबर 2020) के मध्य प्रभाजित किया जाना है। तथापि, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने निधि के प्रति ₹ एक करोड़ का अंशदान किया। संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान किसी भी राशि को प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क के रूप में प्राप्त नहीं किया गया था। 30 अक्टूबर 2019 तक निधि में ₹ 20.42 करोड़ का अंत शेष था जिसे प्रभाजित किया जाना था जैसा कि विवरण 21 एवं 22 में दर्शाया गया है।

लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार, सरकार को प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) को अंशदान अंतरित करने के लिए मुख्य शीर्ष 2075- 'विविध सामान्य सेवाएं' के अंतर्गत परिचालित लघु शीर्ष-800 के बजाय व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य/ उप-मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जहाँ कहीं आवश्यक हो, लघु शीर्ष 797-'आरक्षित निधियों/ जमा लेखा को परिचालित किए जाने की आवश्यकता थी।

(ii) समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने अपनी बकाया देयताओं को चुकाने हेतु 30 जनवरी 2012 को एक समेकित ऋणशोधन निधि का गठन किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर प्रतिवर्ष कुल बकाया देयताओं के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम 10 प्रतिशत का अंशदान इस निधि में करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, इसके बाद वाले वर्ष से वार्धिक देयताओं के संबंध में अंशदान ऐसी वार्धिक देयताओं के 0.50 प्रतिशत पर किया जाएगा।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹ 27.50 करोड़ अर्थात् 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु कुल ₹ 5,500.35 करोड़ की वार्धिक देयताओं का 0.50 प्रतिशत, के अपेक्षित अंशदान के प्रति किसी राशि का अंशदान नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप निधि को ₹ 27.50 करोड़ का कम अंशदान हुआ। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर निधि को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा इस निधि के आरंभ से ₹ 355.87 करोड़ के अंशदान को आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

(ग) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ (अपरिचालित निधियाँ)

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (30 अक्टूबर 2019 पुनर्गठन से पूर्व) से संबंधित पाँच ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ थी, इन पाँच अपरिचालित निधियों में 30 अक्टूबर 2019 के अंत में संचित शेष ₹ 695.84 करोड़ था, जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित नहीं किया गया है।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान परिचालित आरक्षित निधियों में धन के अंतरण हेतु किया गया बुक समायोजन **अनुलग्नक-क** में दर्शाया गया है। चिह्नित शेषों से सरकार द्वारा किये गये निवेश और आरक्षित निधियाँ क्रमशः विवरण 21 एवं 22 में वर्णित हैं।

vii केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ)

केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को संसद के एक अधिनियम द्वारा अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्त्व रखने वाली सड़कों तथा रेलवे के ऊपर या नीचे पुल के माध्यम से सड़कों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों तथा राज्य सड़कों के विकास एवं अनुरक्षण तथा मानवरहित रेल-सड़क समपारों पर सुरक्षा निर्माण कार्यों के उत्थान हेतु नवंबर 2000 में स्थापित किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार को केन्द्र सरकार से इस निधि हेतु ₹ 49.48 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था और निर्माण कार्यों पर ₹ 24.18 करोड़ का व्यय हुआ जैसा कि सीआरएफ अधिनियम में विनिर्दिष्ट है। 31 मार्च 2020 तक इस निधि में ₹ 25.30 करोड़ का अप्रयुक्त शेष है। 30 अक्टूबर 2019 को निधि के अंतर्गत ₹ 573.33 करोड़ थे जिन्हें अभी तक दो नये आनुक्रमित संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

viii ब्याज समायोजन

सरकार 'झ- लघु बचतें तथा भविष्य निधि' इत्यादि, 'ञ- आरक्षित निधियाँ (क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ' और 'ट- जमाएं तथा अग्रिम (क) ब्याज वहन करने वाले जमा' श्रेणियों के अंतर्गत शेषों के संबंध में ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान मुख्य शीर्ष '2049- ब्याज भुगतान- 03-लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज' को नामे करके लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज के रूप में ₹ 818.43 करोड़ का भुगतान किया था।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में जमा किये गये ब्याज को संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अनंतिम आधार पर सूचित किया था जो अपने कर्मचारियों के सा.भ. निधि खातों के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

ix उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

वित्त लेखे का विवरण सं. 21 उचंत तथा प्रेषण शीर्षों (लोक लेखा) के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत

अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों के कुल योग द्वारा संगणित किया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु मुख्य उचंत ओर प्रेषण शीर्षों में से कुछ के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **अनुलग्नक-छ** में दी गयी है।

x आकस्मिकता निधि

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठन के फलस्वरूप, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक नयी आकस्मिकता निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था जिसे 31 मार्च 2020 तक सृजित नहीं किया गया है। तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की निधि में ₹ एक करोड़ का शेष था जिसे दोनों संघ शासित क्षेत्रों के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

xi संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा दी गयी निधियाँ)

भारत सरकार के निर्णयानुसार, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) हेतु सभी सहायता को संघ शासित क्षेत्र सरकार को समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है न कि सीधे ही कार्यान्वयन एजेन्सियों को। तथापि, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे ही ₹ 335.54 करोड़ की राशि निर्गत की।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, सोसाइटियों इत्यादि ने सीधे ही केन्द्र सरकार से ₹ 460.48 करोड़ प्राप्त किये। खण्ड-II के **परिशिष्ट-VI** में इसका विवरण है।

xii पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 का उद्देश्य सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण संबंधी चिंता को मुख्यधारा में लाना है। "पर्यावरण", अपशिष्ट प्रबंधन, “प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण”, “पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा” तथा "पर्यावरण संरक्षण" इत्यादि संबंधी बजट और व्यय के आँकड़े संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वाउचरों/ बजट दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर संकलित किये जाते हैं।

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किये गये व्यय लेखा के विभिन्न कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं। सामान्यतः

पर्यावरण संरक्षण संबंधी व्यय मुख्य शीर्ष-3435-"पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत बुक किया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435-"पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत ₹ 23.78 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति ₹ 16.85 करोड़ का व्यय किया। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान व्यय, राजस्व व्यय का 0.07 प्रतिशत था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य शीर्ष 3435-"पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु वस्तु शीर्ष स्तर तक बजट आबंटन की तुलना में व्यय को **अनुलग्नक-ज** में दर्शाया गया है।

xiii मुख्य नीतिगत निर्णय- सूचना का प्रकटीकरण

बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे खण्ड-II के **परिशिष्ट-XI** में प्रकटीकरण हेतु अपेक्षित सूचना को प्रासांगिक प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया था।

xiv श्रम उपकर

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में, श्रम उपकर के कारण कटौती की गयी राशि सचिव, जेएण्डके भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के नाम पर आधिकारिक बैंक खाते में रखी जाती है तथा सरकारी लेखे से बाहर रहती है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान निधि का विवरण अर्थात् प्राप्त राशि, खर्च की गयी राशि, वसूली गयी पर निधि में जमा नहीं की गयी राशि, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। तथापि, यह सूचित किया गया था कि 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 635.64 करोड़ का शेष था।

xv जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) अधिनियम, 2006 और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाएं

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा संसद में मार्च 2020 में एफआरबीएम अधिनियम के तहत रखे गये वक्तव्यों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु कोई राजकोषीय संकेतक-रोलिंग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के

दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को ₹ 162.09 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 5,620.09 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ था।

xvi राजस्व/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिये गये विवरण के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	**मद**	**राजस्व घाटे पर प्रभाव (क)**		**राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (ख)**	
		कम आंकलन	**अधिक आंकलन**	**कम आंकलन**	**अधिक आंकलन**
1(v)क	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	32.02	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)ख	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत खाद्यानों की परिचालन लागत और परिवहन/ सँभलाई प्रभार	151.43	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)ग	पूँजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किया गया वजीफा एवं छात्रवृत्ति	0.17	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(v)घ	पूँजीगत व्यय के अंतर्गत बुक की गयी सहायिकी	87.69	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं	कोई प्रभाव नहीं
1(i)ख	परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना में कम अंशदान	9.76	कोई प्रभाव नहीं	9.76	कोई प्रभाव नहीं
कुल निवल प्रभाव		**281.07 कम आंकलन**		**9.76 कम आंकलन**	

(क) *राजस्व घाटा ₹ 162.09 करोड़, ₹ 281.07 करोड़ तक कम आंकलन किया गया था।*

(ख) *राजकोषीय घाटा ₹ 5,620.09 करोड़, ₹ 9.76 करोड़ तक कम आंकलन किया गया था।*

अनुलग्नक- क

आवधिक बही समायोजन

(संदर्भ: पैराग्राफ 1(ii) एवं 3 (vi) (ग); पृष्ठ 57 व 70-71)

बही समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्तियाँ
	से	तक	(₹ करोड़ में)	
सा. भ. निधि पर ब्याज	2049-03-104	8009-101	791.21	यूटी सरकार कर्मचारियों की सा. भ. निधि पर वार्षिक ब्याज तथा यूटी सरकार कर्मचारियों (अनंतिम आधार पर) की राज्य जीवन बीमा निधि पर ब्याज और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु एसडीआरएफ के अंतर्गत शेष पर ब्याज।
राज्य बीमा निधि पर ब्याज	2049-03-108	8011-105	27.22	
एसडीआरएफ पर ब्याज	2049-05-105 (डेबिट)	8121-122 (क्रेडिट)	25.91	
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)	2245-05-901 (डेबिट कटौती)	8221-122 (डेबिट)	80.82	एमएच-2245 को नामे कटौती द्वारा एमएच-8121 को नामे जमा एसडीआरएफ से प्राप्त करके की गयी आनुग्रहिक राहत निधि पर व्यय। राशि एमएच-2245 को नामे करके सहायता अनुदान एसडीआरएफ को अंतरित।
	2245-05-101 (डेबिट)	8121-122 (क्रेडिट)	108.50	
केन्द्रीय सड़क निधि	3054-80-797 (डेबिट)	8449-103 (क्रेडिट)	49.48	सड़कों के विकास हेतु भारत सरकार से सीआरएफ सहायता अनुदान।
केन्द्रीय सड़क निधि	5054-80-902 (डेबिट कटौती)	8449-103 (डेबिट)	24.18	सीआरएफ से प्राप्त व्यय आरंभिक रूप से मुख्य शीर्ष-5054 के अंतर्गत बुक किया गया।
प्रत्याभूति मोचन निधि	2075-800 (डेबिट)	8235-117 (क्रेडिट)	1.00	एमएच-2075-800 के अंतर्गत यूटी की समेकित निधि को नामे द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि में अंतरित राशि।

अनुलग्नक- ख

राजस्व के बजाय पूँजीगत के अंतर्गत बुक किये गये व्यय को दर्शाता विवरण

(संदर्भः पैराग्राफ 1 (v) क, ख, ग, घ; पृष्ठ 59)

क्र. सं.	वर्गीकरण	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता-अनुदान	सहायिकी	वजीफा एवं छात्रवृत्ति	वेतन	पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति/ बिक्री की परिचालन लागत
		(₹ करोड़ में)				
1.	4210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	31.63	-	-	-	-
2.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.39	-	-	-	-
3.	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	35.80
4.	4250- समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	0.17	-	-
5.	4401- फसल पैदावर पर पूँजीगत परिव्यय	-	74.03	-	-	-
6.	4408- खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	-	-	-	-	115.63
7.	4851- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	-	13.66	-	-	-
	कुल	**32.02**	**87.69**	**0.17**	**-**	**151.43**

अनुलग्नक- ग

लघु शीर्ष- 800 अन्य प्राप्तियों का संचालन

(संदर्भः पैराग्राफ 2 (ii); पृष्ठ 60)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों के प्रतिशत का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	प्राप्ति की प्रकृति
	(₹ करोड़ में)			
0049- ब्याज प्राप्ति	9.24	8.85	95.78	एसडीएल पर देय ब्याज पर दी गयी छूट और अन्य एजेन्सियों द्वारा भुगतान किये गये ब्याज के कारण प्राप्ति।
0059- लोक निर्माण	7.96	4.76	59.80	अतिथि गृहों से प्राप्तियाँ
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	13.78	7.62	55.30	सरकारी आवास, एमएलए आवास में खानपान से प्राप्ति
0217- शहरी विकास	2.18	2.18	100.00	ग्रामीण और सामान्य आवास से प्राप्तियाँ
0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1.44	1.44	100.00	पंजीकरण शुल्क प्राप्तियाँ
0701- मुख्य और मध्यम सिंचाई	606.73	606.67	99.99	सरकार द्वारा प्राप्त जल उपयोग प्रभार
0702- लघु सिंचाई	1.95	1.95	100.00	विविध प्राप्तियाँ
0801- विद्युत	1,196.66	1,96.66	100.00	विद्युत की बिक्री

अनुलग्नक- घ

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय का संचालन

(संदर्भः पैराग्राफ 2 (ii); पृष्ठ 60)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय के प्रतिशत का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	व्यय की प्रकृति
	(₹ करोड़ में)			
2054- कोषागार और लेखा प्रशासन	205.18	157.96	76.99	अन्य योजनाओं पर व्यय
2211- परिवार कल्याण	79.86	58.73	73.54	परिवार कल्याण योजनाओं पर व्यय
3452- पर्यटन	96.31	49.53	51.43	विभिन्न विकास प्राधिकरणों पर व्यय
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.14	4.14	100.00	वेतन पर व्यय
4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	69.23	69.23	100.00	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर व्यय
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	5.23	3.23	61.76	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर व्यय
4225- एससी/ एसटी ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	16.37	16.37	100.00	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर व्यय
4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	19.79	19.79	100.00	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर व्यय

अनुलग्नक- घ-(समाप्त)

लघु शीर्ष- 800 अन्य व्यय का संचालन

(संदर्भः पैराग्राफ 2 (ii); पृष्ठ 60)

मुख्य शीर्ष	**लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय**	**लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय**	**लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय के प्रतिशत का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय**	**व्यय की प्रकृति**
	(₹ करोड़ में)			
4401- फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	296.59	169.15	57.03	मुख्यतः निर्माण कार्यों पर व्यय
4405- मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	6.91	6.91	100.00	मछुआरों/ भवन निर्माण कार्य कार्यक्रम का कल्याण
4406- वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	27.54	15.94	57.88	वन्य प्रदेश/ वन्य जीवन संरक्षण/ राष्ट्रीय वन-रोपण कार्यक्रम
5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	103.37	103.37	100.00	विभिन्न विकास प्राधिकरणों पर व्यय
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	748.39	748.00	99.95	बीएडीपी/ निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाएं

अनुलग्नक- ङ

नियंत्रण अधिकारियों की सूची (जहाँ व्यय का प्रमुख भाग सम्मिलित है) जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान अपने सरकारी लेखाओं का मिलान नहीं किया है।

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)

(संदर्भः पैराग्राफ 2(v); पृष्ठ 64)

क्र. सं.	**नियंत्रक अधिकारी का नाम**
1.	वित्तीय आयुक्त, राहत, जम्मू
2.	निदेशक, संपदा, जम्मू
3.	निदेशक, लेखापरीक्षा और निरीक्षण, जम्मू
4.	निवासी आयुक्त, नई दिल्ली
5.	निदेशक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं सुदूर संवेदन, कश्मीर
6.	पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जम्मू एवं कश्मीर
7.	प्रधान सचिव, आतिथ्य और प्रोटोकॉल, जम्मू एवं कश्मीर
8.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
9.	प्रधानाचार्य, एसकेआईएमएस चिकित्सा महाविद्यालय/ जेवीसी, श्रीनगर
10.	सचिव, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर
11.	निदेशक, उद्यान कृषि, कश्मीर
12.	मुख्य अभियंता, अधिप्राप्ति एवं सामग्री प्रबंधन, कश्मीर
13.	मुख्य अभियंता, ईएमआरई (पीडीडी), कश्मीर
14.	मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कश्मीर, श्रीनगर
15.	महानिदेशक पुलिस, जम्मू एवं कश्मीर
16.	निदेशक, राज्य वन संस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
17.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, कश्मीर
18.	मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई, कश्मीर, श्रीनगर
19.	मुख्य अभियंता, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग, कश्मीर
20.	मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी, कश्मीर, श्रीनगर
21.	वित्तीय आयुक्त, राजस्व, जम्मू एवं कश्मीर
22.	समाज कल्याण निदेशालय, कश्मीर
23.	मुख्य लेखा अधिकारी (प्रवासी) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, जम्मू
24.	लेखा अधिकारी, सरकारी दंत महाविद्यालय, श्रीनगर

अनुलग्नक- च
निवेश में अंतर का विवरण
(संदर्भः पैराग्राफ 3(v)(ख); पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अधिष्ठान का नाम	वि. सं. 16 के अनुसार राशि	वि. सं. 19 के अनुसार राशि	अंतर	अभ्युक्तियाँ
1.	जेएण्डके एससी/ एसटी/ ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	शून्य	0.25	(-)0.25	राशि को निवेश के बजाय सरकारी संस्वीकृति के अनुसार लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया है।
2.	जेएण्डके महिला विकास निगम लिमिटेड	1.23	शून्य	(+)1.23	निगम ने ₹ 1.23 करोड़ को अनुदान के रूप में दर्शाया है।
3.	जेएण्डके एसआईसीओपी लिमिटेड	0.96	शून्य	(+)0.96	निगम ने ₹ 0.96 करोड़ को अनुदान के रूप में दर्शाया है।
4.	जेएण्डके एसआईडीसीओ लिमिटेड	1.73	शून्य	(+)1.73	यद्यपि सरकार ने लघु शीर्ष 190- निवेश के अंतर्गत राशि को बुक किया है, परंतु निगम ने उक्त राशि को निवेश के रूप में नहीं दर्शाया है।
5.	इलाकाई देहाती बैंक	शून्य	2.35	(-)2.35	सरकार द्वारा निवेश के रूप में इस प्रकार की कोई राशि बुक नहीं की गयी है।
6.	जेएण्डके बैंक	शून्य	15.66	(-)15.66	सरकार द्वारा निवेश के रूप में इस प्रकार की कोई राशि बुक नहीं की गयी है।
	कुल	**3.92**	**18.26**	**(-)14.34**	

अनुलग्नक- छ

उचंत तथा प्रेषणों के अन्तर्गत शेष

(संदर्भः पैराग्राफः 3(ix); पृष्ठ 71-72)

लघु शीर्ष	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डे./ क्रे.)
8658- उचंत लेखा-			**(₹ करोड़ में)**
101- पीएओ उचंत	14.70	0.24	**14.46 (डे.)**
102- उचंत लेखा (सिविल)	5.51	2.26	**3.25 (डे.)**
109- आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	0.15	0.05	**0.10 (डे.)**
110- आरबीआई उचंत (केन्द्रीय लेखे)	0.33	0.42	**0.09 (क्रे.)**
112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	-	221.91	**221.91 (क्रे.)**
139- जीएसटी-स्रोत पर कर कटौती उचंत	1.32	0.99	**0.33 (डे.)**
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन			
110- विविध प्रेषण	-	1,398.24	**1,398.24 (क्रे.)**
8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	0.10	0.17	**0.07 (क्रे.)**

अनुलग्नक- ज

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	वस्तु शीर्ष (क)	2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)	
				बजट (मूल+पूरक)	व्यय
					(₹ करोड़ में)
103- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	2152- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	001- वेतन		11.25	8.43
		002- यात्रा खर्चे		0.14	0.14
		003- छुट्टी यात्रा रियायत		0.25	*
		008- विद्युत प्रभार		0.06	0.06
		009- किराया, दरें एवं कर		0.11	0.10
		071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति		0.06	*
		कुल -2152		**11.87**	**8.73**
103- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	2179- निदेशक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सूदूर संवेदन	001- वेतन		3.66	2.83
		002- यात्रा खर्चे		0.10	0.05
		003- छुट्टी यात्रा रियायत		0.13	-
		006- दूरभाष		0.01	*
		007- कार्यालयीन खर्चे		0.07	0.04

(क) पूरे परिशिष्ट में विवरण संघ शासित क्षेत्र सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)

**पूरे परिशिष्ट में नगण्य*

अनुलग्नक- ज-(जारी)

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**वस्तु शीर्ष (क)**	**2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**	
				बजट (मूल+पूरक)	**व्यय**
					(₹ करोड़ में)
103- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	2179- निदेशक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन	008- विद्युत प्रभार		0.05	0.03
		009- किराया, दरें एवं कर		0.02	0.01
		011- पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और प्रकाशन		0.01	0.01
		014- पीओएल		0.04	0.02
		020- मशीनरी और उपकरण		0.01	*
		021- प्रशिक्षण		0.01	-
		022- कैम्प, संगोष्ठियाँ और सम्मेलन		0.04	0.03
		023- अनुरक्षण एवं मरम्मत		0.03	0.01
		029- आतिथ्य/ सत्कार भत्ते		*	*
		037- व्यावसायिक और विशेष सेवा प्रभार		0.05	0.02
		071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति		0.04	0.02

अनुलग्नक- ज-(जारी)

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**वस्तु शीर्ष (क)**	**2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**	
				बजट (मूल+पूरक)	**व्यय**
					(₹ करोड़ में)
103- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	2179- निदेशक, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन	089- विज्ञापन और प्रचार		0.03	0.01
		271- पुरस्कार		*	-
		320- अनुसंधान और सर्वेक्षण		0.02	0.01
		364- मजदूरी (बाह्यस्रोतन)		0.23	0.24
		कुल-2179		**4.55**	**3.33**
103- वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	2353- अपीलीय प्राधिकारी जल एवं वायु प्रदूषण	001- वेतन		0.15	0.10
		002- यात्रा खर्चे		0.01	0.01
		008- विद्युत प्रभार		*	*
		009- किराया, दरें एवं कर		0.01	0.01
		071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति		*	-
		कुल-2353		**0.17**	**0.12**

अनुलग्नक- ज-(जारी)

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**वस्तु शीर्ष (क)**	**2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**	
				बजट (मूल+पूरक)	**व्यय**
					(₹ करोड़ में)
800- अन्य व्यय	0438- सूचना एवं प्रौद्योगिकी	001- वेतन		0.83	0.40
		002- यात्रा खर्चे		0.06	0.03
		006- दूरभाष		0.02	*
		007- कार्यालयीन खर्चे		0.06	0.02
		014- पीओएल		0.04	0.01
		029- आतिथ्य/ सत्कार भत्ते		0.01	*
		037- व्यावसायिक एवं विशेष सेवा प्रभार		0.01	*
		043- वर्दी		*	*
		048- लेखन-सामग्री एवं मुद्रण		0.01	0.01
		071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति		0.02	*
		103- कार्यालयीन उपकरण और साधित्र		0.05	0.05
		कुल-0438		**1.11**	**0.52**

अनुलग्नक- ज-(जारी)

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**वस्तु शीर्ष (क)**	**2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**	
				बजट (मूल+पूरक)	**व्यय**
					(₹ करोड़ में)
800- अन्य व्यय	2172 सूचना एवं प्रौद्योगिकी हेतु अपर निदेशक परिषद	001- वेतन		0.99	0.84
		002- यात्रा खर्चे		0.03	0.02
		006- दूरभाष		0.01	*
		007- कार्यालयीन खर्चे		0.01	0.01
		008- विद्युत प्रभार		0.01	*
		009- किराया, दरें एवं कर		0.06	0.06
		014- पीओएल		0.01	0.01
		021- प्रशिक्षण		*	-
		023- अनुरक्षण एवं मरम्मत		*	*
		037- व्यावसायिक एवं विशेष सेवा प्रभार		0.01	0.01
		048- लेखन-सामगी एवं मुद्रण		0.01	0.01
		071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति		0.01	-

अनुलग्नक- ज-(जारी)

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**वस्तु शीर्ष**	**2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**	
				बजट (मूल+पूरक)	**व्यय**
					(₹ करोड़ में)
800- अन्य व्यय	2172- सूचना एवं प्रौद्योगिकी हेतु अपर निदेशक परिषद	089- विज्ञापन और प्रचार		0.01	*
		103- कार्यालयीन उपकरण और साधित्र		0.01	-
		कुल-2172		**1.17**	**0.96**
800- अन्य व्यय	2173 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएकेईडीए	001- वेतन		4.52	2.94
		002- यात्रा खर्चे		0.06	0.06
		006- दूरभाष		0.01	0.01
		007- कार्यालयीन खर्चे		0.04	0.02
		008- विद्युत प्रभार		0.01	*
		009- किराया, दरें एवं कर		0.04	0.03
		014- पीओएल		0.05	0.05
		025- मजदूरी		0.06	0.05

अनुलग्नक- ज-(समाप्त)

वाउचरों पर आधारित मुख्य शीर्ष- 3435 "पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" और उप-मुख्य शीर्ष-04 "प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण" के अंतर्गत व्यय पर प्रकटीकरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 3(xii); पृष्ठ 72-73)

लघु शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**वस्तु शीर्ष**	**2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**	
				बजट (मूल+पूरक)	**व्यय**
					(₹ करोड़ में)
800- अन्य व्यय	2173- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएकेईडीए	029- आतिथ्य/ सत्कार भत्ते		*	*
		037- व्यावसायिक एवं विशेष सेवा प्रभार		0.01	*
		043- पोशाक		*	-
		048- लेखन-सामग्री एवं मुद्रण		0.01	*
		054- फर्नीचर और साज-सज्जा		0.02	-
		071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति		0.01	*
		089- विज्ञापन और प्रचार		0.03	*
		103- कार्यालयीन उपकरण और साधित्र		0.04	0.03
		कुल-2173		**4.91**	**3.19**
		कुल-3435		**23.78**	**16.85**

अनुभाग-ख

संघ शासित क्षेत्र लद्दाख

खण्ड-I

---

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

			(₹ करोड़ में)	
परिसंपत्तियाँ[1]	***संदर्भ क्र. सं.***		**31 मार्च 2020 तक**	**30 अक्टूबर 2019 तक**
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
नकद			(-)8,91.33 **(-)42.08**	**(-)42.08**
(i) कोषागारों और स्थानीय प्रेषण में नकद		21	- **6.77**	6.77
(ii) विभागीय शेष		21	 **4.97**	4.97
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	- **0.12**	0.12
(iv) नकद शेष निवेश		21	**3,83.92**	3,83.92
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के पास जमा	2(v)	21	(-)8,91.33 * **(-)4,48.72**	(-)4,48.72
(vi) चिह्नित निधियों से निवेश[2]	3(vi)क	22	- **10.86**	10.86
पूँजीगत व्यय		5 व 16	24.59 **10,30,00.76**	**10,30,00.76**
(i) कंपनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	3(v)	8 व 19	- **34,28.03**	34,28.03
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5 व 16	24.59 **9,95,72.73**	9,95,72.73
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	3(x)	21	**-** **-**	**-**
ऋण और अग्रिम	3(iv)	18	(-)0.03 **17,40.44**	**17,40.44**
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	**-** **12.69**	**12.69**
उचंत एवं विविध शेष[3]	3(ix)	21	**-** **3,44.15**	**3,44.15**
प्रेषण शेष			- -	-
प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता[4]			58.69	-
			-	-
कुल			(-)8,08.08	**10,50,55.96**
			10,50,55.96	

1 *परिसंपत्तियों और देयतओं के आँकड़े संचयी आँकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' भाग में टिप्पणी 1(ii) भी देखें।*

2 *कंपनियों आदि के शेयरों में चिह्नित निधियों में से निवेश को पूँजीगत व्यय से बाहर रखा गया है और चिह्नित निधियों से निवेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।*

3 *इस विवरण में लाईन मद 'उचंत और विविध शेष' में 'नकद शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' और 'स्थायी नकद अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं, जिनको अलग से ऊपर सम्मिलित किया गया है, हालांकि बाद वाला इन लेखाओं में कहीं और इस क्षेत्र का हिस्सा है।*

* *कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर "विवरण संख्या 02 के अनुलग्नक" खण्ड-I की पाद टिप्पणी '@' संदर्भ लें।*

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

(₹ करोड़ में)

देयताएं	*संदर्भ क्र. सं.*		**31 मार्च 2020 को**	**30 अक्बर 2019 को**
	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			- **4,66,66.22**	**4,66,66.22**
(i) आंतरिक ऋण		6 व 17	- **4,54,29.09**	4,54,29.09
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		6 व 17	- **12,37.13**	12,37.13
गैर-आयोजना ऋण		6 व 17	- **96.29**	96.29
राज्य आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	- **10,55.03**	10,55.03
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		6 व 17	-	-
विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण		6 व 17	- **38.77**	38.77
अन्य ऋण		6 व 17	- **47.04**	47.04
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	3(x)	21	- **1.00**	**1.00**
लोक लेखा पर देयताएं			(-)8,08.08 **3,97,28.77**	**3,97,28.77**
(i) लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि		17 व 21	3.82 **2,71,61.62**	2,71,61.62
(ii) जमाएं		17 व 21	(-)8,12.71 **69,14.23**	69,14.23
(iii) आरक्षित निधियाँ	3(ix)	21 व 22	(-)4.43 **28,05.43**	28,05.43
(iv) प्रेषण शेष	3(ix)	21	(-)0.28 **28,47.49**	28,47.49
(v) उचंत और विविध शेष	3(ix)	21	5.52 -	- -
व्यय पर प्राप्तियों का संचित आधिक्य		12	- **1,86,59.97**	**1,86,59.97**
कुल			(-)8,08.08 **10,50,55.96**	**10,50,55.96**

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

प्राप्तियाँ		**संवितरण**	
	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
भाग-I समेकित निधि			
अनुभाग-कः राजस्व			
			(₹ करोड़ में)
राजस्व प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**92.71**	**राजस्व व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	**1,51.40**
कर राजस्व (संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा उठाये गये) *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**56.72**	**वेतन[1]** *(संदर्भ विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-I)*	**45.51**
करेतर राजस्व *(संदर्भ विवरण 3 व 14)*	**35.99**	**सहायिकी [1] (संदर्भ परिशिष्ट-II)**	**-**
		सहायता अनुदान[1] [2] *(संदर्भ विवरण 4-ख* **एवं परिशिष्ट-*III*)**	**0.85**
ब्याज प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	*	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4 एवं 15)*	**95.29**
अन्य *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	35.99	ब्याज भुगतान और ऋण-सेवा *(संदर्भ विवरणा 4-क, 4-ख एवं 15)*	-
		पेन्शन *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	74.08
संघीय करों और शुल्कों का अंश *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**-**	अन्य *(संदर्भ विवरण 4-ख)*	21.21
		समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क एवं 15)*	**3.64**
		आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क एवं 15)*	**6.11**
केन्द्र सरकार से अनुदान *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**-**	**क्षतिपूर्ति और स्थानीय निकायों एवं पीआरआई को समनुदेशन** *(संदर्भ विवरण 4-क एवं 15)*	-
राजस्व घाटा	**58.69**	**राजस्व अधिशेष**	**-**

[1] *वेतन, सहायिकी और सहायता-अनुदान के आँकड़ों को सभी क्षेत्रों में एक समेकित आँकड़ा पेश करने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। 'सामाजिक', 'सामान्य' और 'आर्थिक' सेवाओं के क्षेत्रों के अंतर्गत इस विवरण में होने वाले व्यय में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, सहायिकी और सहायता अनुदान (इनकी व्याख्या क्रमशः विवरण 15 खण्ड-II में नीचे 'सामाजिक', 'सामान्य', और 'आर्थिक सेवाओं' के रूप में पाद टिप्पणी भ, म और य में की गई है।) पर व्यय सम्मिलित नहीं है।*

[2] *सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि को सहायता-अनुदान दिया जाता है जो ऊपर एक लाइन मद के रूप में सम्मिलित है। ये अनुदान स्थानीय निकायों के लिए करों, शुल्कों के क्षतिपूर्ति और आबंटन से अलग हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों और पीआरआई को क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में दर्शाया गया है।*

* *नगण्य*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

भाग-I समेकित निधि-(समाप्त)			
अनुभाग-खः पूँजीगत-			
प्राप्तियाँ		**संवितरण**	
	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
			(₹ करोड़ में)
पूँजीगत प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3 एवं 14)*	**-**	**पूँजीगत व्यय** *(संदर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)*	**24.59**
		सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क एवं 16)*	**3.27**
		समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क एवं 16)*	**0.07**
		आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 4-क एवं 16)*	**21.25**
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)*	**0.03**	**संवितरित ऋण और अग्रिम** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	**-**
सामान्य सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)*	-	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	-
समाज सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)*	-	**समाज सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	-
आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)*	-	**आर्थिक सेवाएं** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	-
अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण) *(संदर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)*	0.03	**अन्य (सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण)** *(संदर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	-
लोक ऋण प्राप्तियाँ *(संदर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)*	**-**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)*	**-**
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)*	-	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, एनएसएसएफ इत्यादि) *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)*	-
भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)*	-	भारत सरकार से ऋण *(संदर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)*	-
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि *(संदर्भ विवरण 3)*	**92.74**	**कुल व्यय समेकित निधि** *(संदर्भ विवरण 4)*	**1,75.99**
समेकित निधि में घाटा	**83.25**	**समेकित निधि में अधिशेष**	**-**
भाग-II आकस्मिकता निधि			
आकस्मिकता निधि *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**आकस्मिकता निधि** *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-खः पूँजीगत-(समाप्त)			
प्राप्तियाँ		**संवितरण**	
	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
			(₹ करोड़ में)
भाग-III लोक लेखा[4]			
लघु बचतें *(संदर्भ विवरण 21)*	**60.17**	**लघु बचतें** *(संदर्भ विवरण 21)*	**56.35**
आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ *(संदर्भ विवरण 21)*	**0.01**	**आरक्षित और ऋण शोधन निधियाँ** *(संदर्भ विवरण 21)*	**4.44**
जमाएं *(संदर्भ विवरण 21)*	**69.96**	**जमाएं** *(संदर्भ विवरण 21)*	**8,82.67**
अग्रिम *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**अग्रिम** *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**
उचंत एवं विविध[5] *(संदर्भ विवरण 21)*	**7.32**	**उचंत एवं विविध[5]** *(संदर्भ विवरण 21)*	**1.80**
प्रेषण *(संदर्भ विवरण 21)*	**-**	**पेषण** *(संदर्भ विवरण 21)*	**0.28**
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा *(संदर्भ विवरण 21)*	**1,37.46**	**कुल संवितरण लोक लेखा** *(संदर्भ विवरण 21)*	**9,45.54**
लोक लेखा घाटा	**8,08.08**	**लोक लेखा में अधिशेष**	**-**
अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)	-	**अंतर्राज्यीय निपटारा लेखा (निवल)**	-
अथ रोकड़ शेष	**-**	**अंत रोकड़ शेष**	**(-)8,91.33 #**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**-**	**रोकड़ शेष में कमी**	**8,91.33**

[4] *ब्यौरे हेतु कृपया विवरण 17 तथा 21 में खण्ड-II का संदर्भ लें।*

[5] *उचंत और विविध में "अन्य लेखे" जैसे नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं के कारण आँकड़े बहुत बड़े दिखाई दे सकते हैं। ब्यौरे हेतु कृपया विवरण 21, खण्ड-II का संदर्भ लें।*

 # कृपया पृष्ठ संख्या 7 पर विवरण संख्या 2 खण्ड-I के "अनुलग्नक" पाद टिप्पणी '@' का संदर्भ लें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(जारी)

अनुलग्नक क

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

	सरकार की समग्र रोकड़ स्थिति	**30 अक्टूबर 2019 को**	**31 मार्च 2020 को**	
(क)	**समान्य रोकड़ शेष**			
(i)	कोषागोरों में रोकड़	6.77	-	
			6.77	
(ii)	आरबीआई के पास जमाएं **एमएच 8999**	(-)4,69.74	(-)8,91.33	@
			(-)4,69.74	
(iii)	जेएण्डके बैंक और अन्य बैंकों में जमाएं	21.02	-	
			21.02	$
(iv)	स्थानीय प्रेषण	-	-	
	कुल	**(-)4,41.95**	(-)8,91.33	
			(-)4,41.95	
(v)	नकद शेष निवेश लेखा में रोके गये निवेश **(एमएच 8673)**	3,83.92	-	
			3,83.92	#
	कुल (क)	**(-)58.03**	(-)8,91.33	
			(-)58.03	
(ख)	**अन्य रोकड़ शेष और निवेश**			
(i)	विभागीय अधिकारियों के पास नकद, अर्थात् लोक निर्माण एवं वन विभागों के प्रभागीय अधिकारी	4.97	**4.97**	
(ii)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0.12	**0.12**	
(iii)	चिह्नित निधियों में से निवेश	10.86	**10.86**	^
	कुल (ख)	**15.95**	**15.95**	
	कुल (क) और (ख)	**(-)42.08**	(-)8,91.33	
			(-)42.08	

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य: रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य कोषागरों, भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाएं, अन्य बैंकों तथा पारगमन में प्रेषण, रोकड़ से मिलकर बना है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 'रिजर्व बैंक के पास जमाएं' शीर्ष के अंतर्गत शेष, 31 मार्च 2020 के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। संपूर्ण रोकड़ स्थिति तक पहुँचने के लिए रोकड़ शेषों/ आरक्षित निधियों आदि में से कोषागारों, विभागों और निवेशों में रखे रोकड़ शेष 'आरबीआई के पास जमा' शेष में जमा किया जाता है।

@ *रिज़र्व बैंक के पास जमा' शेष भारतीय लेखा के अनुसार रखे शेष को दर्शाता है, जिसमें 10 अप्रैल 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी भुगतानों की सलाह भी सम्मिलित है। आँकड़ों के मध्य ₹ 0.36 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर है जैसा कि लेखाओं में प्रतिबिम्बित ₹ 8,91.33 करोड़ और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 8,91.69 करोड़। अंतर आरबीआई एवं सरकार के बीच मिलानाधीन (दिसंबर 2020) है।*

$ *जिसमें इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया, लाहौर में पड़े ₹ 0.03 करोड़ भी सम्मिलित हैं। यह लेखा परिचालित नहीं किया जा रहा है।*

\# *31.03.2020 तक संघ शासित क्षेत्र लद्दाख की प्रतिभूतियों में या भारत सरकार के 14 दिवसीय कोषागार बिलों में कोई राशि नहीं थी। तथापि, 30.10.2019 को ₹ 3,83.92 करोड़ का निवेश था जिसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।*

^ *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।*

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण-(समाप्त)

अनुलग्नक क-(समाप्त)

रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश-(समाप्त)

(क) दैनिक रोकड़ शेषः भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अंतर्गत, यद्यपि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 'नियुक्त दिवस' 31 अक्टूबर 2019 से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) में विभाजित किया गया था, तथापि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने 31 मार्च 2020 तक दोनों संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी व्यवसाय के संचालन हेतु आरबीआई के साथ उक्त लेखा का संचालन जारी रखा है, तदनुसार सरकार को दिनांक 01.04.2011 से सभी दिवसों में बैंक में ₹ 1.14 करोड़ के न्यूनतम रोकड़ शेष का अनुरक्षण करना है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम रहता है, तो कमी को समय-समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों को लेते हुए ठीक किया जाता है। दिनांक 31.03.2020 तक उपर्युक्त न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों की स्वीकृति के प्रयोजन हेतु दैनिक रोकड़ को शेष बनाये रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग के साथ दिन में हुए संव्यवहारों की रिर्पोटों (आरबीआई कांउटर पर एजेन्सी बैंकों द्वारा अंतर सरकारी संव्यवहार तथा कोषागार संव्यवहार को रिपोर्ट किया गया) का मूल्यांकन करती है। ऐसा करके जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसको 14 दिनों के कोषागार बिलों की परिपक्वता यदि कोई हो, को जोड़कर और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के उपरांत बकाया शेष, यदि कोई हो, को कोषागार बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। **परिणामस्वरूप प्राप्त निवल रोकड़ शेष यदि न्यूनतम रोकड़ शेष एवं जमा शेष से कम रहता है** और अगर उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार बिल परिपक्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आरबीआई 14 दिनों के कोषागार बिलों की होल्डिंग्स को पुनः छूट प्रदान करता है और कमियों को दूर करता है। यदि उस दिन कोई 14 दिवसीय कोषागार बिल की होल्डिंग्स न हो उस स्थिति में सरकार अन्य सामान्य अर्थोपोय अग्रिमों/ विशिष्ट अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्ट को लागू करती है।

(ख) 01-04-2011 से सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा तय सीमा ₹ 3,15.00 करोड़ थी, 11-11-2013 से ₹ 4,72.50 करोड़ थी, जिसे 01-02-2016 से ₹ 8,80.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था।

न्यूनतम रोकड़ शेष की वह सीमा जिसे सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान अनुरक्षित किया उसकी गणना नहीं की जा सकी क्योंकि दोनों आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख हेतु एक ही आरबीआई लेखा परिचालित था।

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)
		(वास्तविक)
	विवरण	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-	
क.	**कर राजस्व-**	
क.1	**स्वयं के कर राजस्व-**	**56.72**
	संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर	-
	भू-राजस्व	55.18
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	0.41
	राज्य उत्पाद शुल्क	-
	बिक्री कर	0.26
	वाहनों पर कर	0.81
	वस्तुओं और यात्रियों पर कर	0.06
	विद्युत पर कर और शुल्क	*
क.2	**करों पर निवल प्राप्तियों का अंश-**	**-**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-
	सहकारिता कर	-
	सहकारिता कर के अलावा आय पर कर	-
	आय और व्यय पर अन्य कर	-
	संपत्ति पर कर	-
	सीमा शुल्क	-
	संघीय उत्पाद शुल्क कर	-
	सेवा कर	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	-
	अन्य	-
	कुल क	**56.72**
ख.	**करेतर राजस्व-**	
	विद्युत	32.19
	मुख्य/ मध्यम सिंचाई	0.03
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.33

**नगण्य*

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

		(₹ करोड़ में)
		(वास्तविक)
	विवरण	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-(जारी)	
ख.	**करेतर राजस्व-**(समाप्त)	
	पुलिस	0.01
	अलौह खनन और धात्विक उद्योग	1.00
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	*
	जलापूर्ति और स्वच्छता	0.04
	लोक निर्माण	0.03
	वानिकी और वन्य जीवन	0.20
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-
	खाद्य भण्डारण और भण्डागार	0.05
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	*
	फसल पैदावार	-
	शहरी विकास	-
	श्रम और रोजगार	-
	पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	0.05
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.08
	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	*
	लघु सिंचाई	-
	पशुपालन	-
	मत्स्यपालन	0.03
	आवास	*
	पर्यटन	-
	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.01
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.86
	अन्य	0.08
	कुल ख	**35.99**

**नगण्य*

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

			(₹ करोड़ में)
			(वास्तविक)
	विवरण		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
	राजस्व प्राप्तियाँ-(समाप्त)		
II.	**भारत सरकार से अनुदान**		
ग.	**अनुदान-**		
	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-		**-**
		केन्द्रीय सहायता/ हिस्सेदारी	-
		बाह्य रूप से सहायता प्राप्त योजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	-
		अन्य	-
	वित्त आयोग अनुदान-		**-**
		पश्च हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान	-
		ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-
		शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	-
		राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु सहायता अनुदान	-
	विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान-		**-**
		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	-
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	-
		विशेष सहायता	-
		जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि हेतु क्षतिपूर्ति	-
		राजस्व घाटे की प्राप्ति हेतु अनुदान	-
		कुल ग	**-** *
		कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**92.71**
III.	**पूँजीगत, लोक ऋण और अन्य प्राप्तियाँ**		
घ.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ-**		
	विनिवेश प्राप्तियाँ		-
	अन्य		-
		कुल घ	**-**

* *31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान यूटी लद्दाख के संबंध में जीओआई से निर्मोचित जीआईए यूटी जेएण्डके के माध्यम से प्राप्त किया गया था और यूटी लद्दाख को हस्तांतरित नहीं किया गया था।*

3. प्राप्तियों का विवरण- (समेकित निधि)-(समाप्त)

			(₹ करोड़ में)
			(वास्तविक)
	विवरण		**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**
ङ.	**सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ-**		
	आंतरिक ऋण-		**-**
		बाजार ऋण	-
		आरबीआई से डब्ल्यूएमए [1]	-
		बंधपत्र	-
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	-
		राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-		**-**
		केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-
		अन्य ऋण	-
		विधानमण्डल योजनाओं वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण	-
		कुल ङ	**-**
च.	**राज्य सरकार से ऋण एवं अग्रिम (वसूलियाँ) [2]**		**0.03**
छ.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**		**-**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ [3] (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)		**92.74**

[1] *भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से लिये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट।*

[2] *ब्योरा खण्ड-I के विवरण 7 और खण्ड-II के विवरण 18 में दिया गया है।*

[3] *ब्योरा खण्ड-II के विवरण 14 और 17 में दिया गया है।*

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
क.	**सामान्य सेवाएं-**				
क.1	**राज्य के अंग-**	**20.18**	**-**	**-**	**20.18**
	संसद/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल	-	-	-	-
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक	6.18	-	-	6.18
	मंत्री परिषद	-	-	-	-
	न्याय प्रशासन	3.46	-	-	3.46
	चुनाव	10.54	-	-	10.54
क.2	**राजकोषीय सेवाएं-**	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
	भू-राजस्व	-	-	-	-
	स्टाम्प और पंजीकरण	0.01	-	-	0.01
	संपत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर अन्य करों का संग्रहण	-	-	-	-
	राज्य उत्पाद शुल्क	-	-	-	-
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	-	-	-	-
	वाहनों पर कर	-	-	-	-
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	-	-	-	-
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	-	-	-	-
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	-	-	-	-
	ब्याज भुगतान और ऋण-सेवा	-	-	-	-
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं-**	**46.27**	**3.27**	**-**	**49.54**
	लोक सेवा आयोग	-	-	-	-
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	-	-	-	-
	जिला प्रशासन	-	-	-	-
	कोषागार और लेखा प्रशासन	-	-	-	-
	पुलिस	46.27	3.26	-	49.53
	कारावास	-	-	-	-
	लेखन सामग्री और मुद्रण	-	-	-	-
	लोक निर्माण	-	0.01	-	0.01
	सतर्कता	-	-	-	-
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	-	-	-	-

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
क.4	**पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं-**	**74.08**	**-**	-	**74.08**
	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	74.08	-	-	74.08
	विविध सामान्य सेवाएं	-	-	-	-
	कुल सामान्य सेवाएं	**1,40.54**	**3.27**	**-**	**1,43.81**
ख.	**समाज सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (विवरण के नीचे टिप्पणी 1 का अवलोकन करें)-**	*	**0.07**	**-**	**0.07**
	सामान्य शिक्षा	-	0.07	-	0.07
	तकनीकी शिक्षा	-	-	-	-
	खेल और युवा सेवाएं	-	-	-	-
	कला और संस्कृति	*	-	-	-
ख.2	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	-	-	-	-
	परिवार कल्याण	-	-	-	-
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	जलापूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-
	आवास	-	-	-	-
	शहरी विकास	-	-	-	-
ख.4	**सूचना और प्रसारण-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	सूचना और प्रचार	-	-	-	-
ख.5	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण**	**-**	**-**	**-**	**-**
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	-	-	**-**	-
ख.6	**श्रम एवं श्रम कल्याण-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	श्रम और रोजगार	-	-	**-**	-

1 *सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति के कारण पूँजीगत परिव्यय की बुकिंग हेतु केवल मुख्य शीर्ष।*

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(जारी)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
ख.7	**समाज कल्याण और पोषण-**	**4.30**	**-**	**-**	**4.30**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4.19	-	-	4.19
	पोषण	0.11	-	-	0.11
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	-	-	-	-
ख.8	**अन्य-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	अन्य समाज सेवाएं	-	-	-	-
	सचिवालय- समाज सेवाएं	-	-	-	-
	कुल समाज सेवाएं	**4.30**	**0.07**	**-**	**4.37**
ग.	**आर्थिक सेवाएं-**				
ग.1	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ-**	**-**	**2.80**	**-**	**2.80**
	फसल पैदावार	-	(-)0.56	-	(-)0.56
	मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-
	पशुपालन	-	0.15	-	0.15
	डेयरी विकास	-	-	-	-
	मत्स्यपालन	-	-	-	-
	वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-
	खाद्य, भण्डार एवं भण्डारण	-	3.21	-	3.21
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-
	सहकारिता	-	-	-	-
	अन्य कृषिगत कार्यक्रम	-	-	-	-
ग.2	**ग्रामीण विकास-**	**-**	**-**	-	**-**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	-	-	-	-
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	-	-	-	-
	भूमि सुधार	-	-	-	-
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-**	**6.11**	**2.30**	-	**8.41**
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6.11	2.30	-	8.41
ग.4	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-**	**-**	**0.69**	-	**0.69**
	लघु सिंचाई	-	-	-	-
	मध्यम सिंचाई	-	-	-	-
	लघु सिंचाई	-	0.69	-	0.69
	कमान क्षेत्र विकास	-	-	-	-
	बाढ़ नियंत्रण और अपवाह	-	-	-	-

4. व्यय का विवरण- (समेकित निधि)-(जारी)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय-(समाप्त)					
	विवरण	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**एलएण्डए**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)			
ग.5	**ऊर्जा-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	विद्युत	-	-	-	-
ग.6	**उद्योग एवं खनिज-**	**0.18**	**-**	**-**	**0.18**
	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.18	-	-	0.18
	लौह एवं इस्पात उद्योग	-	-	-	-
	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	-	-	-	-
	अन्य उद्योग एवं खनिज	-	-	-	-
ग.7	**परिवहन-**	**-**	**15.46**	**-**	**15.46**
	सड़कें और पुल	-	15.46	-	15.46
	सड़क परिवहन	-	-	-	-
ग.8	**संचार**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग.9	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण-**	**-**	**-**	-	**-**
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	-	-	-	-
	अन्य वैज्ञानिक और पर्वारणीय अनुसंधान	-	-	-	-
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं-**	**0.27**	**-**	.	**0.27**
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-
	पर्यटन	-	-	-	-
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.27	-	-	0.27
	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	-	-	-	-
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-	-
	कुल आर्थिक सेवाएं	**6.56**	**21.25**	**-**	**27.81**
घ.	**सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण-**				
	सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	-	-	-	-
	विविध ऋण	-	-	-	-
	कुल सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**
ङ.	**लोक ऋण-**	-	-	-	-
	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	-	-	-	-
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	-	-
	कुल लोक ऋण	**-**	**-**	**-**	**-**
च.	**अंतर्राज्यीय निपटारा**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल राज्य व्यय की समेकित निधि	**1,51.40**	**24.59**	**-**	**1,75.99**

4 व्यय का विवरण-(समेकित निधि)-(समाप्त)

ख. प्रकृति के अनुसार व्यय				
	व्यय की मद	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**		
		राजस्व	**पूँजीगत**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)
				(₹ करोड़ में)
1	वेतन	45.51	-	45.51
2	निर्माण कार्य	-	21.59	21.59
3	सहायता अनुदान	0.85	-	0.85
4	पेन्शन और उपदान	74.08	-	74.08
5	सामग्री और आपूर्तियाँ	1.04	-	1.04
6	मानदेय और पारिश्रमिक	2.26	-	2.26
7	विद्युत प्रभार	0.10	-	0.10
8	किराया दर और कर	0.24	-	0.24
9	कार्यालयीन खर्चे	7.80	-	7.80
10	पीओएल	0.21	-	0.21
11	क्षतिपूर्ति	3.53	-	3.53
12	अन्य	15.78	3.00	18.78
	कुल	**1,51.40**	**24.59**	**1,75.99**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
क-	**सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत सेवाएं	4.07	-	-	-
					4.07
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	13,56.87	-	3.26	3.26
					13,56.87
4058-	लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	34.95	-	-	-
					34.95
4059-	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	61,53.33	-	0.01	0.01
					61,53.33
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,04.39	-	-	-
					1,04.39
4075-	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,63.21	-	-	-
					1,63.21
	कुल-क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**78,16.82**	-	3.27	3.27
					78,16.82
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
(क)	**शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा-**				
4202-	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-	69,82.53	-	0.07	0.07
					69,82.53
	कुल-ख(क)-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति का पूँजीगत लेखा	**69,82.53**	-	0.07	0.07
					69,82.53

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(ख)	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-**				
4210-	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	49,06.22	-	-	-
					49,06.22
4211-	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	7.97	-	-	-
					7.97
	कुल-ख(ख)-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	**49,14.19**	-	-	
					49,14.19
(ग)	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-**				
4215-	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	79,46.76	-	-	-
					79,46.76
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	3,74.07	-	-	-
					3,74.07
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	49,94.90	-	-	-
					49,94.90
	कुल-ख(ग)-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	**1,33,15.73**	-	-	-
					1,33,15.73

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-** (जारी)				
(घ)	**सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा**				
4220-	सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	33.49	-	-	-
					33.49
	कुल-ख (घ)-सूचना और प्रसारण का पूँजीगत लेखा	**33.49**	-	-	-
					33.49
(ङ)	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा-**				
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	3,05.38	-	-	-
					3,05.38
	कुल-ख (ङ)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण का पूँजीगत लेखा	**3,05.38**	-	-	-
					3,05.38
(छ)	**समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-**				
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	27,77.63	-	-	-
					27,77.63

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ख-	**समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
(छ)	**समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
4236-	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	3,70.83	-	-	-
					3,70.83
	कुल-ख(छ)-समाज कल्याण और पोषण का पूँजीगत लेखा	**31,48.46**	-	-	-
					31,48.46
(ज)	**अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
4250-	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,72.61	-	-	-
					3,72.61
	कुल-ख(ज)- अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**3,72.61**	-	-	-
					3,72.61
	कुल-ख समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**2,90,72.39**	-	0.07	0.07
					2,90,72.39
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**				
(क)	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-**				
4401-	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय	19,46.40	-	(-)0.56	(-)0.56
					19,46.40
4402-	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	3,90.95	-	-	-
					3,90.95
4403-	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	3,71.43	-	0.15	0.15
					3,71.43

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(क)	**कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा-**				
4404-	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	11.56	-	-	-
					11.56
4405-	मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	2,22.30	-	-	-
					2,22.30
4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	9,33.44	-	-	-
					9,33.44
4408-	खाद्य, भण्डार और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय	32,67.49	-	3.21	3.21
					32,67.49
4415-	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	3,36.08	-	-	-
					3,36.08
4416-	कृषिगत वित्तीय संस्थानों में निवेश	#	-	-	-
					#
4425-	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	4,01.61	-	-	-
					4,01.61
4435-	अन्य कृषिगत कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4.07	-	-	-
					4.07
	कुल-ग(क)-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का पूँजीगत लेखा	**78,85.33**	-	2.80	2.80
					78,85.33

 # नगण्य ₹ 0.40 लाख मात्र।

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(ख)	**ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा-**				
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,02,59.36	-	-	-
					1,02,59.36
	कुल-ग(ख)-ग्रामीण विकास का पूँजीगत लेखा	**1,02,59.36**	-	-	-
					1,02,59.36
(ग)	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा-**				
4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	36,88.82	-	2.30	2.30
					36,88.82
	कुल-ग(ग)-विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा	**36,88.82**	-	2.30	2.30
					36,88.82
(घ)	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-**				
4701-	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	12,57.66	-	-	-
					12,57.66
4702-	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	20,60.63	-	0.69	0.69
					20,60.63

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(घ)	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
4705-	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	3,22.06	-	-	-
					3,22.06
4711-	बाढ़ नियंण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	16,96.00	-	-	-
					16,96.00
	कुल-ग(घ)-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा	**53,36.35**	-	0.69	0.69
					53,36.35
(ङ)	**ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-**				
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,42,12.80	-	-	-
					1,42,12.80
	कुल-ग(ङ)-ऊर्जा का पूँजीगत लेखा	**1,42,12.80**	-	-	-
					1,42,12.80 (क)
(च)	**उद्योग और खनिजों का पूँजीगत लेखा-**				
4851-	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	18,18.59	-	-	-
					18,18.59
4852-	लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2,09.24	-	-	-
					2,09.24

(क) *राज्य सरकार द्वारा सूचित पिछले गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि को प्रोफॉर्मा घटाकर शेष कर दिया गया है।*

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(जारी)				
(च)	**उद्योग और खनिजों का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
4853-	अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	77.70	-	-	- **77.70**
4854-	सीमेन्ट और अधात्विक खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.24	-	-	- **0.24**
4858-	अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1.25	-	-	- **1.25**
4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	31.34	-	-	- **31.34**
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.06	-	-	- **0.06**
4885-	उद्योगों और खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	42.73	-	-	- **42.73**
	कुल-ग(च)-उद्योग और खनिजों का पूँजीगत लेखा	**21,81.15**	-	-	- **21,81.15**
(छ)	**परिवहन का पूँजीगत लेखा-**				
5054-	सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	1,37,08.19	-	15.46	15.46 **1,37,08.19**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय
					(₹ करोड़ में)
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-** (जारी)				
(छ)	**परिवहन का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)				
5055-	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	2,63.25	-	-	- **2,63.25**
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	27.74	-	-	- **27.74**
	कुल-ग(छ)- परिवहन का पूँजीगत लेखा	**1,39,99.18**	-	15.46	15.46 **1,39,99.18**
(ज)	**संचार का पूँजीगत लेखा-**				
5275-	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.02	-	-	- **0.02**
	कुल-ग(ज)-संचार का पूँजीगत लेखा	**0.02**	-	**-**	**-** **0.02**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-**				
5425-	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजागत परिव्यय	1,59.34	-	-	- **1,59.34**
	कुल-ग(झ)- विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का पूँजीगत लेखा	**1,59.34**	-	-	- **1,59.34**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-2020 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान व्यय	2019-2020 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) तक प्रगामी व्यय	
					(₹ करोड़ में)	
ग-	**आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)					
(ञ)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-**(समाप्त)					
5452-	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	22,84.78	-	-	-	
					22,84.78	
5465-	सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निवेश	6,08.19	-	-	-	
					6,08.19	(ख)
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	54,96.23	-	-	-	
					54,96.23	
	कुल-ग(ञ)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**83,89.20**	-	-	-	
					83,89.20	
	कुल-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	**6,61,11.55**	-	21.25	21.25	
					6,61,11.55	
	कुल योग	**10,30,00.76**	-	24.59	24.59	
					10,30,00.76	(ग)

(ख) *राज्य सरकार ने पूँजीगत विनिवेश के कारण ₹ 28.10 करोड़ की राशि 31 मार्च 2010 को प्रोफॉर्मा घटाकर शेष कर दी गई है।*

(ग) *पूँजीगत विनिवेश और पिछले गलत वर्गीकरण के कारण वर्ष के अंत तक खर्च से प्रोफॉर्मा घटाकर क्रमश: ₹ 28.10 करोड़ की राशि और ₹ 1,67.00 करोड़ की राशि को कम कर दिया गया है। इस विवरण हेतु कृपया मुख्य शीर्ष 5465 और 4801 के अंतर्गत पाद टिप्पणी (क) और (ख) का भी संदर्भ लें।*

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(झ) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान विभिन्न समुद्यमों की शेयर पूँजी में यूटी सरकार का कोई निवेश नहीं था। तथापि 30 अक्टूबर 2019 को ₹ 34,28.03 करोड़ का निवेश था जिसे अभी तक नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

उधारों की प्रकृति	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्तियाँ	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2020 को शेष
क लोक ऋण-					
					(₹ करोड़ में)
6003 राज्य सरकार के आंतरिक ऋण [1]	**4,54,29.09**	-	-	-	-
					4,54,29.09
बाजार ऋण	3,42,90.80	-	-	-	-
					3,42,90.80
डब्ल्यूएमए [2]	6,92.11	-	-	-	-
					6,92.11
बंधपत्र	35,37.55	-	-	-	-
					35,37.55
वित्तीय संस्थानों से ऋण	35,38.31	-	-	-	-
					35,38.31
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	33,70.32	-	-	-	-
					33,70.32
6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम-	**12,37.13**	-	-	-	-
					12,37.13
गैर-नियोजित ऋण	96.29	-	-	-	-
					96.29
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाएं	10,55.02	-	-	-	-
					10,55.02

[1] *ब्योरा विवरण संख्या 17 खण्ड-II में दिया गया है।*

[2] *डब्ल्यूएमए: अर्थोपाय अग्रिम।*

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

उधारों की प्रकृति	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी लद्दाख को आबंटित राशि**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्तियाँ**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**31 मार्च 2020 को शेष**
क लोक ऋण-(समाप्त)					
					(₹ करोड़ में)
6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम- (समाप्त)					
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-
					-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-	-	-	-	-
					-
अन्य ऋण	47.04	-	-	-	-
					47.04
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	-	-	-	-	-
					-
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण	38.78	-	-	-	-
					38.78
कुल लोक ऋण	**4,66,66.22**	-	-	-	-
					4,66,66.22
ख अन्य देयताएं-					
लोक लेखा-					
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,71,61.62	-	60.17	56.35	3.82
					2,71,61.62
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	12,60.62	-	-	-	-
					12,60.62
ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ	15,33.95	-	0.01	4.44	(-)4.43
					15,33.95

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

लोक ऋण और अन्य देयताओं का विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

उधारों की प्रकृति	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी लद्दाख को आबंटित राशि**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान प्राप्तियाँ**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**31 मार्च 2020 को शेष**	
ख अन्य देयताएं-(समाप्त)						
लोक लेखा-(समाप्त**)**						
					(₹ करोड़ में)	
ब्याज वहन करने वाली जमाएं	53.67	-	21.88	17.65	4.23	
					53.67	
ब्याज वहन न करने वाली जमाएं	68,60.56	-	48.08	8,65.02	(-)8,16.94	
					68,60.56	
कुल अन्य देयताएं	**3,68,70.42**	-	1,30.14	9,43.46	(-)8,13.32	
					3,68,70.42	
कुल लोक ऋण और अन्य देयताएं	**8,35,36.64**	-	1,30.14	9,43.46	(-)8,13.32	(क)
					8,35,36.64	(क)

(क) आँकड़े सरकार के पास मिलानाधीन (दिसंबर 2020) हैं।

परिशोधन व्यवस्थाओं, ऋण-सेवा इत्यादि के ब्यौरे के लिए इस विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ 31, 32 और 33 पर देखी जा सकती हैं।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 **परिशोधन व्यवस्थाएं -**

सरकार ने भारत सरकार से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई परिशोधन व्यवस्था नहीं बनायी है।

2 **लघु बचत कोष से ऋण -**

डाकघरों में "लघु बचत योजनाओं" और "लोक भविष्य निधि" में संग्रहण में से ऋणों को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में साझा किया जा रहा है। लघु बचत संग्रहणों से ऋण जारी करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि अर्थात् "राष्ट्रीय लघु बचत कोष" बनाया गया था। 30 अक्टूबर 2019 के अंत में तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित बकाया शेष ₹ 33,70.32 करोड़ था जिसे अभी तक दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है और इसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित किया गया है।

3 **भारत सरकार से ऋण और अग्रिम:-**

ब्योरा विवरण संख्या 17 में दिया गया गया है।

30 अक्टूबर 2019 के अंत में ₹ 12,37.13 करोड़ का बकाया शेष था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। शेष को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित किया गया है।

4 **संघ शासित क्षेत्र सरकार का आंतरिक ऋण:- इसमें खुले बाजार से लिये गये दीर्घकालिक ऋण, स्वायत्त निकायों से सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन अंतराल और ऋणों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्रकार की उधारी सम्मिलित है।**

(i) खुला बाजार ऋण:- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये सभी ऋण जिनका चलन एक वर्ष से अधिक है, ऋण की इस श्रेणी के अंतर्गत समूहीकृत किये जाते हैं।

(ii) विभिन्न बकाया ऋणों का पूरा ब्योरा विवरण संख्या 17 और विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिया गया है।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(जारी)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

5 ऋण-सेवा-

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 01 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तथा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

		2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	**2019-20 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)**
			(₹ करोड़ में)
(i)	**वर्ष के अंत में सकल ऋण और अन्य बकाया देयताएं-**		
(क)	सार्वजनिक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	3.82	7,38,27.84
		7,38,27.84	
(ख)	अन्य देयताएं	(-)8,17.14	97,08.80
		97,08.80	
		(-)8,13.32	**8,35,36.64**
	कुल (i)	**8,35,36.64**	
(ii)	**सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज-**		
(क)	सार्वजनिक ऋण और लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि पर ब्याज	-	33,15.78
(ख)	अन्य देयताओं पर ब्याज	-	39.63
	कुल (ii)	**-**	**33,55.41**
(iii)	**कटौती-**		
(क)	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	-	0.31
(ख)	रोकड़ शेषों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	-	1.70
	कुल (iii)	**-**	**2.01**
(iv)	**निवल ब्याज प्रभार**	**-**	**33,53.40**

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण-(समाप्त)

विवरण 6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-(समाप्त)

5 ऋण-सेवा- (समाप्त)

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- 01 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तथा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य देयताएं और राजस्व से प्राप्त ब्याज प्रभारों की कुल निवल राशि निम्नानुसार थी:-

		2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति)	**2019-20 (30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति)**
			(₹ करोड़ में)
(v)	कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु सकल ब्याज {मद (ii)} का प्रतिशत	-	11.17
(vi)	कुल राजस्व प्राप्तियों हेतु निवल ब्याज {मद (iv)} का प्रतिशत	-	11.16

सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न उपक्रमों में निवेशों पर लाभांश के रूप में शून्य प्राप्त किया।

6 ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण

अनुभाग-1- ऋणों और अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्र/ ऋणी समूह 1	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी लद्दाख को आबंटित शेष	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण	31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते डालना	31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ करोड़ में)
सामान्य सेवाएं-							
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-
कुल- सामान्य सेवाएं	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
समाज सेवाएं-							
विश्वविद्यालय/ अकादमिक संस्थान	-	-	-	-	-	-	
पंचायती राज संस्थान	-	-	-	-	-	-	
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	12.74	-	-	-	-	-	सरकार से
						12.74	सूचना
शहरी विकास प्राधिकरण	1.91	-	-	-	-	-	प्रतीक्षित
						1.91	(दिसंबर
आवास बोर्ड	2.90	-	-	-	-	-	2020)
						2.90	
राज्य आवास निगम	-	-	-	-	-	-	
सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	
सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	
सहकारी सोसाइटियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	-	-	-	-	-	-	
अन्य	1,28.93	-	-	-	-	-	
						1,28.93	
कुल- समाज सेवाएं	**1,46.48**	-	-	-	-	-	
						1,46.48	

(1) ब्यौरे हेतु विवरण संख्या 18 खण्ड-II का संदर्भ लें।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(i) ऋणों और अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्र/ ऋणी समूह 1	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी लद्दाख को आबंटित शेष**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते डालना**	**31 मार्च 2020 को शेष 2020 (2+4)-(5+6)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
							(₹ करोड़ में)
आर्थिक सेवाएं-							
पंचायती राज संस्थान	0.01		-	-	-	-	
						0.01	
नगरपालिकाएं/ नगर परिषद/ नगर निगम	-	-	-	-	-	-	
						-	
शहरी विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-	
						-	
सांविधिक निगम	4,11.23	-	-	-	-	-	
						4,11.23	
सरकारी कंपनियाँ	4,95.80	-	-	-	-	-	
						4,95.80	सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)
सहकारी सोसाइटियाँ/ सहकारी निगम/ बैंक	9.77	-	-	-	-	-	
						9.77	
अन्य	6,55.58	-	-	-	-	-	
						6,55.58	
कुल- आर्थिक सेवाएं	**15,72.39**	**-**	-	-	**-**	-	
						15,72.39	
सरकारी सेवक							
सरकारी सेवक	21.57	-	-	0.03	-	(-)0.03	
						21.57	
कुल सरकारी सेवक	**21.57**	-	-	0.03	-	(-)0.03	
						21.57	
कुल -ऋण और अग्रिम	**17,40.44**	-	-	0.03	-	(-)0.03	
						17,40.44	$

$ विवरण संख्या 18 खण्ड-II के मुख्य शीर्ष- 6801 के नीचे पाद टिप्पणी 'क' का संदर्भ लें। इसके अलावा, विवरण संख्या 16 खण्ड-II के मुख्य शीर्ष-4801 के नीचे पाद टिप्पणी 'क' का भी संदर्भ लें।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

(i) ऋणों और अग्रिमों का सारांश: ऋणी समूह-वार-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

क्षेत्र/ ऋणी समूह 1	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी लद्दाख को आबंटित शेष**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान संवितरण**	**31-10-2019 से 31-03-2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते डालना**	**31 मार्च 2020 को शेष 2020 (2+4)-(5+6)**	**बकायों में ब्याज भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
							(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित ऋण के मामले "शाश्वत रूप से ऋण" के रूप में संस्वीकृत किये गये हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**ऋणी अधिष्ठान**	**संस्वीकृति का वर्ष**	**संस्वीकृति आदेश संख्या**	**राशि**	**ब्याज की दर**

सरकार से आँकड़े/ सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	31 अक्टूबर 2019 को शेष	यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण	31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालना	31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)	बकायों में ब्याज भुगतान (क)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ करोड़ में)
च- ऋण और अग्रिम-[1]							
ख- समाज सेवा हेतु ऋण-							
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	**5.46**	**-**	-	-	-	-	
						5.46	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	**1.93**	-	-	-	-	-	
						1.93	
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	**35.30**	**-**	-	-	-	-	
						35.30	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	**0.13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						0.13	
समाज कल्याण और पोषण	**1,03.53**	**-**	-	-	-	-	
						1,03.53	
अन्य समाज सेवाएं	**0.13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						0.13	
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-							
कृषि और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण	**40.65**	**-**	-	-	-	-	
						40.65	
ग्रामीण विकास हेतु ऋण	**0.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						0.05	
विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों हेतु ऋण	**1.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						1.43	

[1] *ब्यौरे के लिए विस्तृत विवरण संख्या 18 खण्ड-II के अनुभाग 1 का संदर्भ लें।*

(क) *पूरे विवरण में सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।*

^ *नगण्य पूरे विवरण में ₹ 0.01 करोड़ से कम।*

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग-2: क्षेत्र-वार ऋणों और अग्रिमों का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिधारित और प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को दर्शाते हैं)

लेखा का शीर्ष	**31 अक्टूबर 2019 को शेष**	**यूटी जम्मू एवं कश्मीर को आबंटित शेष**	**31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान संवितरण**	**31.10.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्भुगतान**	**अशोध्य ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालना**	**31 मार्च 2020 को शेष (2+4)-(5+6)**	**बकायों में ब्याज भुगतान (क)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(₹ करोड़ में)
च - ऋण और अग्रिम-(समाप्त)							
ग- आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण-(समाप्त)							
ऊर्जा	**85.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						85.05	
उद्योग और खनिजों हेतु ऋण	**7,99.63**	**-**	-	-	-	-	
						7,99.63	
परिवहन	**6,10.62**	**-**	-	-	-	-	
						6,10.62	
सामान्य आर्थिक सेवाएं	**34.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
						34.96	
सरकारी सेवक-	**21.57**	**-**	-	0.03	-	(-)0.03	
						21.57	
कुल	**17,40.44**	**-**	-	0.03	-	(-)0.03	
						17,40.44	

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(जारी)

अनुभाग: 3 ऋणी अधिष्ठान से बकायों में पुनर्भुगतान का सारांश					
ऋणी- अधिष्ठान	31 मार्च 2020 को बकायों की राशि			पूर्व अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2020 को अधिष्ठान के प्रति कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		
					(₹ करोड़ में)
सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020)।					

7. सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण-(समाप्त)

अनुभाग: 3 ऋणी अधिष्ठान से बकायों में पुनर्भुगतान का सारांश-(समाप्त)

(बोल्ड में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

(क) कार्यालय महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित ब्योरेवार ऋण लेखे:- सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों के संबंध में, जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे जाते हैं, 2019-20 (31.03.2020 की समाप्ति) के अंत में कुल मूलधन ₹ 11.54 करोड़ के रूप में बकाया था, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	**लेखा का शीर्ष**	**31.03.2020 को बकाया (₹ करोड़ में)**	
		मूलधन	**ब्याज**
1	7610-सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण-		
	201-गृह निर्माण अग्रिम (क)	-	-
		10.51	**0.39**
	202-मोटर वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	-	-
		1.03	**0.04**
	कुल	**-**	**-**
		11.54	**0.43**

(क) *हालांकि गृह निर्माण अग्रिमों के ब्योरेवार लेखे प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में रखे जाते हैं, कम/ मध्यम आय समूह आवास योजनाओं हेतु ऋणों के ब्योरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।*

8. सरकार के निवेशों का विवरण

31 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु विभिन्न व्यवसायों की अंश पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित और अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले निवेश को प्रदर्शित करते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**समुद्यम का नाम (क)**	**2019-20 (31-03-2020 की समाप्ति)**			**2019-20 (30-10-2019 की समाप्ति)**		
		समुद्यमों की संख्या	**31 मार्च 2020 की समाप्ति तक निवेश**	**31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लाभांश/ प्राप्त ब्याज**	**समुद्यमों का नाम**	**30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक निवेश**	**1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लाभांश/ प्राप्त ब्याज**
1	सांविधिक निगम	3	-	शून्य			शून्य
			3,74.34 *		3	3,74.33	
2	ग्रामीण बैंक	2	-	शून्य			शून्य
			45.82		2	45.82	
3	सरकारी कंपनियाँ	37	-	शून्य			शून्य
			29,59.71		37	29,59.71	
4	अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और साझेदारी	2	-	शून्य			शून्य
			0.34		2	0.34	
5	सहकारी संस्थान और स्थानीय निकाय	8	-	शून्य			शून्य
			47.83		8	47.83	
	कुल	52	-	शून्य			**शून्य**
			34,28.04 * (ख)		52	**34,28.03**	

(क) *विवरण के लिए कृपया खण्ड-II में विवरण संख्या 19 का संदर्भ लें।*

(ख) *आँकड़े सरकार और संबंधित पीएसयू के पास मिलानाधीन (दिसंबर 2020) हैं।*

(*) *राज्य वित्तीय निगम द्वारा प्रस्तुत संशोधित आँकड़ों के कारण पिछले लेखे 01.04.2019 से 30.10.2019 से ₹ 0.01 करोड़ का अंतर है।*

9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण

क. वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उठाये गये ऋणों इत्यादि के पुनर्भुगतान हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2020 को बकाया प्रत्याभूतित राशियाँ नीचे दी गयी हैं:-

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रक (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में दी गयी हैं)	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित राशि		31 अक्टूबर 2019 के आरंभ में बकाया		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान अतिरिक्त		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान हटायी गयी		31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान लागू किया गया		31 मार्च 2020 के अंत में पर बकाया (क)		प्रत्याभूति कमीशन या शुल्क (ख)		अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	गैर-उन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्त	प्राप्य	
1	विद्युत (2)*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		6,53.70		2,29.31								2,29.31				
2	सहकारी (6)*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1,02.16		34.79								34.79				
3	राज्य वित्तीय निगम (1)*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		50.00		45.03								45.03				
4	अन्य संस्थान (7)*	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
		1,03.08		1,42.94	1.65							1,42.94	1.65			
5	कुल (16)*	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
		9,08.94	-	4,52.07	1.65							4,52.07	1.65			

** कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े सस्थानों की संख्या को इंगित करते हैं।*

(क) *संघ शासित क्षेत्र बजट 2019-20 में दर्शाये गये 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर बकाया प्रत्याभूतियों की राशि विवरण में दर्शायी गई राशि से भिन्न है। मामला संघ शासित क्षेत्र सरकार सहित संबंधित एजेन्सियों के साथ पत्राचाराधीन है, विवरण प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है।*

(ख) *31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कोई कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था।*

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(i) नकद प्रदत्त सहायता अनुदान							
अनुदानग्राही का नाम/ श्रेणी		**सहायता अनुदान के रूप में निर्मोचित कुल निधियाँ**			**कॉलम (नंबर 2) # में दर्शायी गयी कुल निर्मोचित निधियों में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आबंटित निधियाँ**		
		31-10-2019 to 31-03-2020			**31-10-2019 to 31-03-2020**		
		संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय	**केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)**	**कुल**	**संघ शासित क्षेत्र निधि व्यय**	**केन्द्रीय सहायता (सीएसएस/ सीएस सहित)**	**कुल**
1		**2**			**3**		
							(₹ करोड़ में)
1	**शहरी स्थानीय निकाय-**						
(i)	नगर निगम	-	-	-	-	-	-
(ii)	नगरपालिकाएं/ नगर परिषद	-	-	-	-	-	-
(iii)	अन्य	-	-	-	-	-	-
2	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-**						
(i)	सरकारी कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-
(ii)	सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-
3	**स्वायत्त निकाय-**						
(i)	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-
(ii)	विकास प्राधिकरण	-	-	-	-	-	-
(iii)	सहकारी संस्थान	-	-	-	-	-	-
(iv)	अन्य	0.01	-	0.01	-	-	-
4	**गैर-सरकारी संगठन**	-	-	-	-	-	-
5	**अन्य**	0.84	-	0.84	-	-	-
	कुल	**0.85**	**-**	**0.85**	**-**	**-**	**-**

 # संघ शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है।

(ii) विभिन्न रूप से दिया गया सहायता अनुदान

विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदान से संबंधित सूचना यूटी सरकार से प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक		
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020		
	प्रभारित	दत्तमत	कुल
			(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	6.18	1,45.22	1,51.40
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-	24.59	24.59
लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अतंर्राज्यीय निपटारा और आकस्मिकता निधि में अंतरण (क)	-	-	-
कुल	**6.18**	**1,69.81**	**1,75.99**
ङ. लोक ऋण-			
यूटी सरकार के आंतरिक ऋण	-	-	-
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	-	-	-
च. ऋण एवं अग्रिम-			
समान्य सेवाओं हेतु ऋण	-	-	-
समाज सेवाओं के लिए ऋण	-	-	-
आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	-	-	-
सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण	-	-	-
विविध उद्देश्यों हेतु ऋण	-	-	-

(क) *विस्तृत लेखा खण्ड-II के विवरण संख्या 17 और 18 में दिया गया है।*

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण-(समाप्त)

विवरण	**वास्तविक**		
	31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020		
	प्रभारित	**दत्तमत**	**कुल**
		(₹ करोड़ में)	
छ. अंतर्राज्यीय निपटारा-			
अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-	-
ज. आकस्मिकता निधि में अंतरण-			
आकस्मिकता निधि में अंतरण	-	-	-

(झ) 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान कुल व्ययों हेतु प्रभारित व्यय और दत्तमत व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार थाः-

	कुल व्यय का प्रतिशत	
वर्ष	**प्रभारित**	**दत्तमत**
2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020)	3.50	96.50

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2020 को
				(₹ करोड़ में)
पूँजीगत और अन्य व्यय-				
पूँजीगत व्यय-				
लोक निर्माण	**61,53.33**	-	0.01	0.01
				61,53.33
अन्य सामान्य सेवाएं	**16,63.49**	-	3.26	3.26
				16,63.49
समाज सेवाएं-				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	69,82.53	-	0.07	0.07
				69,82.53
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	49,14.19	-	-	-
				49,14.19
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,33,15.73	-	-	-
				1,33,15.73
सूचना और प्रसारण	33.49	-	-	-
				33.49
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	3,05.38	-	-	-
				3,05.38
समाज कल्याण और पोषण	31,48.46	-	-	-
				31,48.46
अन्य समाज सेवाएं	3,72.61	-	-	-
				3,72.61
कुल- समाज सेवाएं	**2,90,72.39**	-	0.07	0.07
				2,90,72.39
आर्थिक सेवाएं-				
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	78,85.33	-	2.80	2.80
				78,85.33
ग्रामीण विकास	1,02,59.36	-	-	-
				1,02,59.36

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2020 को	
				(₹ करोड़ में)	
पूँजीगत और अन्य व्यय-					
पूँजीगत व्यय-					
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	36,88.82	-	2.30	2.30	
				36,88.82	
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	53,36.35	-	0.69	0.69	
				53,36.35	
ऊर्जा	1,42,12.80	-	-	-	
				1,42,12.80	(क)
उद्योग और खनिज	21,81.15	-	-	-	
				21,81.15	
परिवहन	1,39,99.18	-	15.46	15.46	
				1,39,99.18	
संचार	0.02	-	-	-	
				0.02	
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1,59.34	-	-	-	
				1,59.34	
सामान्य आर्थिक सेवाएं	83,89.20	-	-	-	
				83,89.20	(क)
कुल- आर्थिक सेवाएं	**6,61,11.55**	-	21.25	21.25	
				6,61,11.55	**(क)**
कुल-पूँजीगत सेवाएं	**10,30,00.76**	-	24.59	24.59	
				10,30,00.76	**(क)**
ऋण और अग्रिम-					
समाज सेवाएं-					
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5.46	-	-	-	
				5.46	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1.93	-	-	-	
				1.93	

(क) कृपया खण्ड-I के विवरण संख्या 5, मुख्य शीर्षों 4801 एवं 5465 के नीचे पाद टिप्पणी (क) और (ख) का संदर्भ लें। इसके अलावा, खण्ड-II में विवरण संख्या 18, मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2020 को	
				(₹ करोड़ में)	
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)					
समाज सेवाएं-(समाप्त)					
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	35.30	-	-	- **35.30**	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	0.13	-	-	- **0.13**	
समाज कल्याण और पोषण	1,03.53	-	-	- **1,03.53**	
अन्य समाज सेवाएं	0.13	-		**0.13**	
कुल समाज सेवाएं	**1,46.48**	-	-	- **1,46.48**	
आर्थिक सेवाएं-					
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	40.65	-	-	- **40.65**	
ग्रामीण विकास	0.05	-	-	- **0.05**	
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.43	-	-	- **1.43**	
ऊर्जा	85.05	-	-	- **85.05**	(ख)
उद्योग और खनिज	7,99.63	-	-	- **7,99.63**	
परिवहन	6,10.62	-	-	- **6,10.62**	

* *नगण्य।*

(ख) *खण्ड-II में विवरण संख्या 18, मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। इसके अलावा, खण्ड-II विवरण संख्या 16 मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।*

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	यूटी लद्दाख को आबंटित राशि	31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2020 को	
				(₹ करोड़ में)	
ऋण और अग्रिम-(समाप्त)					
आर्थिक सेवाएं-					
सामान्य आर्थिक सेवाएं	34.96	-	-	-	
				34.96	
कुल- आर्थिक सेवाएं	**15,72.39**	-	-	-	
				15,72.39	
सरकारी सेवकों को ऋण	**21.57**	-	(-)0.03	(-)0.03	
				21.57	
कुल- ऋण और अग्रिम	**17,40.44**	-	(-)0.03	(-)0.03	
				17,40.44	(ख)
कुल- पूँजीगत और अन्य व्यय	**10,47,41.20**	-	24.56	24.56	
				10,47,41.20	
कटौती					
आकस्मिकता निधि से अंशदान					
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	28.10	-	-	-	
				28.10	
विकास निधियों, आरक्षित निधियों इत्यादि से अंशदान	-	-	-	-	
निवल- पूँजीगत और अन्य व्यय	**10,47,13.10**	-	24.56	24.56	
				10,47,13.10	
निधियों का प्रधान स्रोत					
2019-20 (31-10-2019 से 31-03-2020 तक) हेतु राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)			**(-)58.69**		
जोड़- सेवानिवृत्ति/ विनिवेश के कारण समायोजन	**(-)28.10**	-	**-**	-	
				(-)28.10	

(ख) खण्ड-II में विवरण संख्या 18, मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का संदर्भ लें। इसके अलावा, खण्ड-II विवरण संख्या 16 मुख्य शीर्ष 4801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का भी संदर्भ लें।

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(जारी)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	**यूटी लद्दाख को आबंटित राशि**	**31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के दौरान**	**31 मार्च 2020 को**
				(₹ करोड़ में)
निधियों का प्रधान स्रोत				
ऋण-				
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	4,54,29.09	-	-	-
				4,54,29.09
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	12,37.13	-	-	-
				12,37.13
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,71,61.62	-	3.82	3.82
				2,71,61.62
कुल - ऋण	**7,38,27.84**	-	3.82	3.82
				7,38,27.84
अन्य देयताएं-				
आकस्मिकता निधि	1.00	-	-	-
				1.00
आरक्षित निधियाँ	28,05.43	-	(-)4.43	(-)4.43
				28,05.43
जमाएं और अग्रिम	69,01.54	-	(-)8,12.71	(-)8,12.71
				69,01.54
उचंत और विविध (सरकारी लेखा और नकद शेष निवेश लेखा में संवृत राशि)	(-)3,49.24	-	5.52	5.52
				(-)3,49.24
प्रेषण	28,47.49	-	(-)0.28	(-)0.28
				28,47.49
कुल - अन्य देयताएं	**1,22,06.22**	-	(-)8,11.90	(-)8,11.90
				1,22,06.22
कुल- ऋण और अन्य देयताएं	**8,60,34.06**	-	(-)8,08.08	(-)8,08.08
				8,60,34.06

12. वर्ष 2019-20 (31 मार्च 2020 की समाप्ति) के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग पर विवरण-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

	31 अक्टूबर 2019 को	**यूटी लद्दाख को आबंटित राशि**	**31-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के दौरान**	**31 मार्च 2020 को**	
				(₹ करोड़ में)	
कटौती- रोकड़ शेष	(-)4,41.95	-	(-)8,91.33	(-)8,91.33	
				(-)4,41.95	
कटौती- निवेश	3,94.78	-	-	-	
				3,94.78	
जोड़- 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु सरकारी लेखा में संवृत राशि	-	-	-	-	
				-	
निधियों का निवल प्रावधान	**8,60,53.13**	-	24.56	83.25	क
				8,60,53.13	

(क) ₹ 58.69 करोड़ के राजस्व घाटे से ₹ 24.56 करोड़ भिन्न है। (₹ 58.69 करोड़ का राजस्व घाटा)

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के अंत तक की अवधि हेतु पूँजीगत और अन्य व्यय के मध्य ₹ 58.69 करोड़ की राशि की भिन्नता थी तथा इसलिए निधियों का निवल प्रावधान जो कि सरकारी लेखाओं में संचयी राजस्व घाटे तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखा में संवृत राशि को प्रस्तुत करता है।)

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2020 तक शेषों का साराश है

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

डेबिट शेष (₹ करोड़ में)		सामान्य लेखा का क्षेत्र	लेखा का नाम	क्रेडिट शेष (₹ करोड़ में)
			समेकित निधि	
8,43,40.79	[1]	क से घ और ठ का भाग (एमएच 8680 मात्र)	सरकारी लेखा	
83.28				
		ङ	लोक ऋण	**-**
				4,66,66.22
(-)0.03		च	ऋण और अग्रिम	
17,40.44	$			
			आकस्मिकता निधि	
			आकस्मिकता निधि	**-**
				1.00
			लोक लेखा	
		झ	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3.82
				2,71,61.62
		ञ	**आरक्षित निधियाँ**	
			(i) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	
			सकल शेष	**-**
				12,71.48
-			निवेश	
10.86	^			
			(ii) ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ	
			सकल शेष	**(-)**4.43
				15,33.95
			निवेश	
		ट	**जमाएं और अग्रिम**	
			(i) ब्याज वहन करने वाली जमाएं	4.23
				53.67
			(ii) ब्याज वहन न करने वाली जमाएं	**(-)**8,16.94
				68,60.56
-			(iii) अग्रिम	
12.69				

[1] *कृपया खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 49 को यह समझने के लिए देखें की यह आँकड़े किस प्रकार आये हैं।*

$ *कृपया मुख्य शीर्ष 4801 और 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का क्रमशः खण्ड-I के विवरण संख्या 5 के और खण्ड-II के विवरण संख्या 18 का संदर्भ लें।*

^ *निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (अक्टूबर 2020) है।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(जारी)

क. निम्नलिखित 31 मार्च 2020 तक शेषों का सारांश है

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

डेबिट शेष		**सामान्य लेखा का क्षेत्र**	**लेखा का नाम**	**क्रेडिट शेष**
(₹ करोड़ में)				**(₹ करोड़ में)**
		ठ	**उचंत और विविध**	
-			निवेश	
3,83.92	^			
-			अन्य मदें (निवल)	5.52
3,49.24				
		ड़	**प्रेषण**	(-)0.28
				28,47.49
(-)9,91.33		ढ़	**नकद शेष**	
(-)4,41.95	*			-
(-)8,08.08				(-)8,08.08
8,63,95.99			**कुल**	**8,63,95.99**

^ निवेश का विवरण सरकार से प्रतीक्षित (अक्टूबर 2020) है।

** जैसा की रिज़र्व बैंक में जमा राशि के संबंध में जो कि सरकार के नकद शेष की घटक है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताये गये आँकडों और लेखाओं में प्रतिबिम्बित आँकडों में भिन्नता थी। पृष्ठ संख्या 7 के विवरण संख्या 2 के अनुलग्नक के अंतर्गत '@' पाद टिप्पणी का संदर्भ लें।*

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश-(समाप्त)

(**बोल्ड** में आँकड़े यूटी जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रतिधारित एवं अभी तक प्रभाजित किये जाने वाली बकाया प्रत्याभूतियों को प्रदर्शित करते हैं)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

ख **सरकारी लेखाः सरकारी लेखे में बहीखाता प्रणाली के अंतर्गत, राजस्व, पूँजीगत और अन्य संव्यव्हारों के अंतर्गत दर्ज की गई राशि, जिसकी शेष राशि को लेखों में वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, को एक एकल शीर्ष "सरकारी लेखा" में रखा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष ऐसे सभी संव्यव्हारों के संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।**

इसके लिए लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाएं एवं अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखो के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि आदि के अंतर्गत शेष राशि जोड़ी जाती है और वर्ष के अंत (30 अक्टूबर 2019) में नकद शेष को ज्ञात और प्रमाणित किया जाता है।

सारांश में अन्य शीर्षकों में सरकारी लेखाबही में सभी लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ध्यान में रखा गया है जिसके संबंध में सरकार को प्राप्त धन का भुगतान करने की देयता है या भुगतान की गई राशि की वसूली करने का दावा है और लेखाबही में प्रेषण संव्यवहारों के समायोजन के लिए खोले गए लेखा शीर्ष भी हैं।

यह समझना चाहिए कि इन शेषों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें ना तो राज्य की सभी भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार आदि और न ही किसी अर्जित बकाया या किसी बकाया देयता को हिसाब में लिया जाता जिसको सरकार द्वारा अपनायी गयी लेखांकन की नकद आधार के अंतर्गत लेखा में नहीं लाया जाता हैं।

वर्ष (31 मार्च 2020) के अंत में सरकारी लेखाओं के डेबिट पर प्राप्त हुई निवल राशि निम्नलिखित है:-

डेबिट		**विवरण**	**क्रेडिट**
(₹ करोड़ मे)			**(₹ करोड़ मे)**
8,43,40.79*	क.	30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
		31 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
-	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	92.71
-			
-	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
1,51.40	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
24.59	ङ.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	-
-	च.	उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे)	-
-	छ.	30 अक्टूबर 2019 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
		31 मार्च 2020 को सरकारी लेखा के डेबिट पर राशि	
			83.28
1,75.99		**कुल**	1,75.99
8,43,40.79			**8,43,40.79**

(i) कई मामलों में, अंत शेष में असंगत असमानता है जैसा कि प्राप्तियाँ, संवितरण और आकस्मिकता निधि और लोक लेखा (विवरण संख्या 21) के ब्योरे में बताया गया है और लेखा कार्यालय/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए अनुरक्षित पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेखो में दर्शाया गया है। विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) शेषों को उनके सत्यापन और स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) जिन मामलों में शेषों की स्वीकृतियों में विलंब हुआ है और जिनमें सम्मिलित राशियाँ महत्त्वपूर्ण हैं उनका उल्लेख परिशिष्ट-VII क खण्ड-II में किया गया है।

(iv) शेषों के मिलान से संबंधित ऐसे मामले, जिनमें विवरण/ दस्तावेजों प्रतीक्षित है, उनका वर्णन परिशिष्ट-VII ख खण्ड-II में दिया गया है।

* *(क) कृपया क्रमशः खण्ड-I के विवरण सख्या 5 के मुख्य शीर्ष 4801 और खण्ड-II के विवरण सख्या 18 के मुख्य शीर्ष 6801 के नीचे पाद टिप्पणी (क) का सदर्भ लें।*

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार-

i अधिष्ठान और लेखांकन अवधि

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (अनुभाग 'ख') के वित्त लेखाओं को 02 जिला कोषागारों को सम्मिलित करते हुए 11 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक की संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान मासिक लेखाओं के प्रतिपादन में 03 से 18 दिवसों तक की देरी हुयी। हालांकि, वर्ष 2019-2020 के अंत (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया था।

2. लेखाओं की गुणवत्ता-

i लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ तथा अन्य व्यय का संचालन करना तभी अभिप्रेत होता है जब लेखाओं में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन हेतु लघु शीर्ष-800 का नियमित संचालन राजस्व या व्यय की अपनी समुचित वस्तु हेतु प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किये बिना लेखाओं को अपारदर्शिता प्रदान करता है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान ₹ 34.50 करोड़ (जिसमें मुख्य शीर्ष- 0801 के अंतर्गत विद्युत की बिक्री और विविध विद्युत प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹ 32.19 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं) लेखाओं के 21 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 92.71 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 37.21 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे उदाहरण, जहाँ मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों को पर्याप्त अनुपात में (50 प्रतिशत या अधिक/ महत्त्वपूर्ण राशि) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत/ बुक किया गया था, वे **(अनुलग्नक-क)** में सूचीबद्ध हैं।

ii नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, किसी नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोई मिलान संचालित नहीं किया गया था।

iii रोकड़ शेष

महालेखाकार के बही खातों में प्रतिबिम्बित ₹ 8,91.33 करोड़ और आरबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ₹ 8,91.69 करोड़ (01 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक के संव्यवहारों और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक के जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र से संबंधित संव्यवहारों को हटाकर महालेखाकार द्वारा आंकलित) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ सरकार के रोकड शेष के मध्य 31 मार्च 2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) तक ₹ 0.36 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, बैंक से संघ शासित क्षेत्र लद्दाख द्वारा दावों के गैर-निपटान, विलंब पर किसी दण्ड-स्वरूप ब्याज का दावा नहीं किया गया था।

iv राजस्व/ राजकोषीय घाटा

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान**,** लेखा के अधिकांश शीर्षों के अंतर्गत शून्य व्यय प्रदर्शित है जिसके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधान किये गये थे तथा उन्हें पारित किया गया था। यद्यपि, मामला लेखा शीर्ष जिससे व्यय प्राप्ति किया था या बचत के कारणों की मांग करते हुए लद्दाख प्रशासन के साथ उठाया गया था, संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित (जून 2021) है। तदनुसार, लेखाओं को संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के लेखाओं मे समावेशन हेतु महालेखाकार को लद्दाख प्रशासन की लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त अवधि के लिए मासिक लेखे में प्रदर्शित आँकड़ों पर आधारित महालेखाकार द्वारा बुक किये गये आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। लेखा के अधिकांश शीर्ष के अंतर्गत शून्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के वास्तविक राजकोषीय मानदण्डों की गणना करना संभव नहीं है।

3. अन्य मदें-

i (क) सेवानिवृत्त लाभों पर देयताएं

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारियों पर "पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों" का खर्च ₹ 74.08 करोड़ था, (अवकाश नकदीकरण लाभों के प्रति ₹ 1.05 करोड़ सहित) जो ₹ 151.40 करोड़ के कुल राजस्व व्यय का 48.93 प्रतिशत है तथा ₹ 92.71 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 79.91 प्रतिशत है।

(ख) परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार ने सरकारी अंश के रूप में ₹ 0.66 करोड़ की राशि का अंशदान किया तथा कर्मचारियों ने भी अपने हिस्से का ₹ 21.22 करोड़ का अंशदान किया। संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹ 20.56 करोड़ की सीमा तक कम अंशदान किया गया था। ₹ 21.88 करोड़ की संपूर्ण राशि सरकारी कर्मचारियों हेतु मुख्य शीर्ष 8342-"अन्य जमाएं" के अधीन लघु शीर्ष 117-"सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना" (नई पेन्शन योजना) में हस्तांतरित की गयी थी। ₹ 21.88 करोड़ में से, ₹ 17.65 करोड़ जमा लेखा के इस शीर्ष से राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 को, ₹ 4.23 करोड़ की राशि (जो कि वास्तव में ब्याज वहन करने वाले जमा होते हैं) सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य शीर्ष 8342-"अन्य जमाएं"-117 "परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना" (नई पेन्शन योजना) के अंतर्गत पड़ी हुयी थी जिसे एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित करना प्रतीक्षित था।

प्रोद्भूत ब्याज सहित असंग्रहित, असुमेलित और अहस्तांतरित राशियाँ योजना के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार की बकाया देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी गणना नहीं की गयी है।

ii ऋण और अग्रिम

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा किसी भी अधिष्ठान को कोई ऋण नहीं दिये गया था, तथापि सरकारी सेवकों से ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में ₹ 0.03 करोड़ प्राप्त हुए थे।

iii आरक्षित निधियाँ

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, लद्दाख प्रशासन ने दो आरक्षित निधियों (1. मुख्य शीर्ष 8229-विकास और कल्याण निधियाँ के अंतर्गत तथा 2. मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत) को परिचालित किया था। इन निधियों (अभी तक प्रभाजित किये जाने वाले शेषों को हटाते हुए) के अंतर्गत कुल संचित शेष ₹ 4.43 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2020 को डेबिट शेष 30 अक्टूबर 2019 को निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष के गैर-प्रभाजन के कारण था।

ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों तथा ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियों का विवरण निम्नलिखित हैः

(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं" के अंतर्गत ₹ 41.85 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी। तथापि, उक्त राशि को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि के माध्यम से प्राप्त किया गया था जिसे संघ शासित क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था, परंतु 31 मार्च 2020 तक उक्त राशि को संघ शासित क्षेत्र लद्दाख का हस्तातंरित नहीं किया गया था।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र लद्दाख सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ (परिचालित निधियाँ)

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान, दो ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ थी, नामतः मुख्य शीर्ष-8229-'विकास एवं कल्याण निधियाँ' {₹ 4.44 करोड़ (डेबिट)} के अंतर्गत लघु शीर्ष-200-'अन्य विकास एवं कल्याण निधि' और मुख्य शीर्ष-8235-'सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत लघु शीर्ष 105-'सामान्य बीमा निधि- जनता बीमा' {₹ 0.01 करोड़ (क्रेडिट)}। 31 मार्च 2020 के अंत तक इन दो परिचालित निधियों में कुल संचित शेष ₹ 4.43 करोड़ (डेबिट) है। 31 मार्च 2020 को नामे शेष 30 अक्टूबर 2019 को निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष के गैर-प्रभाजन के कारण था।

iv उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

वित्त लेखे का विवरण सं. 21 उचंत तथा प्रेषण शीर्षों (लोक लेखा) के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों के कुल योग द्वारा संगणित किया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु मुख्य उचंत ओर प्रेषण शीर्षों में से कुछ के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **अनुलग्नक-ख** में दी गयी है।

v संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (संघ शासित क्षेत्र बजट के अलावा प्राप्त निधियाँ)

भारत सरकार के निर्णयानुसार, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) हेतु सभी सहायता को संघ शासित क्षेत्र सरकार को समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित

किया जाना अपेक्षित है न कि सीधे ही कार्यान्वयन एजेन्सियों को। तथापि, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे ही ₹ 5.00 करोड़ की राशि निर्गत की थी।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, सोसाइटियों इत्यादि ने सीधे ही केन्द्र सरकार से ₹ 4.47 करोड़ प्राप्त किये। खण्ड-II के **परिशिष्ट-VI** में इसका विवरण है।

vi पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान, लद्दाख सरकार ने मुख्य शीर्ष-3435 "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत ₹ 0.01 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति कोई व्यय नहीं किया था।

vii जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम)/ मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) अधिनियम, 2006 और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाएं

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा संसद में मार्च 2020 में एफआरबीएम अधिनियम के तहत रखे गये वक्तव्यों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु कोई राजकोषीय संकेतक-रोलिंग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र लद्दाख को ₹ 58.69 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 83.25 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।

viii राजस्व/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिये गये विवरण के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	**मद**	**राजस्व घाटे पर प्रभाव**		**राजकोषीय घाटे पर प्रभाव**	
		कम आंकलन	**अधिक आंकलन**	**कम आंकलन**	**अधिक आंकलन**
3(i)ख	परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना में कम अंशदान	20.56	कोई प्रभाव नहीं	20.56	कोई प्रभाव नहीं
कुल निवल प्रभाव		**20.56 कम आंकलन**		**20.56 कम आंकलन**	

अनुलग्नक- क

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय का संचालन

(संदर्भः पैराग्राफ 2(i); पृष्ठ 145)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय के प्रतिशत का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	व्यय की प्रकृति
	(₹ करोड़ में)			
0801- विद्युत	32.19	32.19	100.00	विद्युत की बिक्री

अनुलग्नक- ख

उचंत तथा प्रेषणों के अन्तर्गत शेष

(संदर्भः पैराग्राफ 3(iv); पृष्ठ 148)

लघु शीर्ष	**2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**		
	डेबिट	**क्रेडिट**	**निवल (डे./ क्रे.)**
8658- उचंत लेखा-		**(₹ करोड़ में)**	
101- पीएओ उचंत	0.39	0.28	**0.11 (डे.)**
102- उचंत लेखा (सिविल)	1.30	6.26	**4.96 (क्रे.)**
112- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	-	0.67	**0.67 (क्रे.)**
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन			
110- विविध प्रेषण	0.28	-	**0.28 (डे.)**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in

http://www.agjk.nic.in